लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7, बुधवार 23 नवम्बर, 1977/2 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 7, Wednesday, November 23, 1977/Agrahayana 2, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
केरल और लक्षद्वीप में हाल के समुद्री तूफान से जन तथा सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में संकल्प	Resolution *Re*. Loss of Life and Property in recent Cyclones in Kerala and Lakshadweep.	1
निधन सम्बन्धी उल्लख	Obituary Reference	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 121, 122, 125 से 128 और 130	Starred Questions Nos. 121, 122, 125 to 128 and 130	2—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 123, 124, 129, 131, 132 और 134 से 140	Starred Questions Nos, 123, 124, 129, 131, 132 and 134 to 140	17—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 1193 से 1217, 1219 से 1382 और 1384 से 1391	Unstarred Questions Nos. 1193 to 1217, 1219 to 1382 and 1384 to 1391	23—126
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Tables	126—128
सभापति तालिका	Panel of Chairmen	128
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	129
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	129
गैर-सरकारी सदस्यों और विधेयकों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	129
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	129
समिति के लिये निर्वाचन	Election of Committee	129
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	129
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	Indian Iron and Steel Company (Acquisitionand Shares) Amendment Bill—Introduced	130

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य--	Statement Re. Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) (Amendment) Ordinance	130
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	130
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377	130
(एक) जम्मू और कश्मीर में जन सुरक्षा अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के बारे में	Promulgation of Public Safety Ordinance in Jammu and Kashmir	130—131
(दो) पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में एनकेफैलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) रोग के फैलने के बारे में समाचार	(ii) News re. spreading of Encephalities in Bankura and Purulia District of West Bengal	131—132
सराय गोपाल फलैग स्टेशन लेवल क्रासिंग और नैनी स्टेशन पर हुई गम्भीर रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Serious Train Accident at Sarai Gopal Flag Station Level Crossing and Naini Station	132
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Paravathi Krishnan	132—134
श्री युवराज	Shri Yuvraj	134
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Quareshi	134—135
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	135
निधन संबंधी उल्लेख	Obituary Reference	135
श्री प्रकाशवीर शास्त्री का निधन	Death of Shri Prakash Vir Shastri	135—139
23-11-1977 को अहमदाबाद—दिल्ली मेल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re: Derailment of Ahmedabad-Delhi Mail Train on 23-11-77	136

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 23 नवम्बर, 1977/2 अग्रहायण, 1899 (शक)
Thursday, November 23, 1977/Agrahayana 2, 1899 (Saka)

[**लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock]

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

समुद्री तूफान के कारण केरल तथा लक्षद्वीप में हाल के जन तथा सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में संकल्प

RESOLUTION REGARDING LOSS OF LIFE AND PROPERTY IN RECENT CYCLONES IN KERALA AND LAKSHADWEEP.

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि हम आज की कार्यवाही आरम्भ करें, मैं सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प पेश करना चाहता हूं :—

"यह सभा हाल के समुद्री तूफानों के कारण केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में हुई जन-धन की भारी हानि पर अपना गहरा खेद व्यक्त करती है और संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Resolution was adopted.

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदस्यगण कुछ क्षण मौन रहने के लिए खड़े हो जायें।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ समय मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short while.

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने एक पुराने साथी, श्री बाल कृष्ण सिंह, जो तीसरी लोक सभा के सदस्य थे, के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। वह 1962 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

प्रारम्भ में वह जिला बोर्ड तथा जिला परिषद् से सम्बद्ध रहे। वहां उन्होंने कई पदों पर कार्य किया। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने सहकारी आन्दोलन में सक्रियता से भाग लिया। वह अपने मित्रों में सर्वप्रिय थे। वह शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में भी बहुत रुचि रखत थे।

हम उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

(The Members then stood in silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वरिष्ठ सिविल अधिकारियों की गिरफ्तारी

***121. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 1977 के महीनों में सर्वश्री अग्रवाल और बोहरा सहित वरिष्ठ सिविल अधिकारियों को आरोप-पत्र दिये थे और/अथवा उन्हें गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में उक्त गिरफ्तारियां अथवा अन्य कार्यवाही वारंट के आधार पर की गईं और क्या संबंधित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया;

(घ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या यह सच है, कि श्री वोहरा को, जो पैट्रोलियम मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव थे, जमानत पर रिहा करके पैदल घर वापिस जाने के लिए बाध्य किया गया था ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(क) प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री एस० एम० अग्रवाल और श्री बी० बी० वोहरा नाम के दो वरिष्ठ सिविल कर्मचारियों

को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामलों की जांच के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) श्री एस० एम० अग्रवाल के विरुद्ध मुख्य आरोप ये हैं :

(i) कि उसने टेलीफोन इक्सचेंजों के लगाने के लिए ठेका दिए जाने के मामले में एक विदेशी फर्म के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, इस फर्म को एक अन्य प्रतियोगी फर्म के आफर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना देकर पक्षपात करके अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया।

(ii) कि उसने चालाकी से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भारत में एक पार्टी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के लिए आदेश जारी करने में इलेक्ट्रानिकी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया; और

(iii) कि उसके पास उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति है।

(2) श्री बी० बी० वोहरा एक मामले में भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री के साथ अन्तर्ग्रत हैं, जिसमें उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया और एक कनसलटेन्सी सर्विस कान्ट्रेक्ट देने के मामले में एक विदेशी फर्म को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने में षड़यन्त्र किया, जिससे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को लगभग 11 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

भाग (ग), (घ) तथा (ङ) न्यायालय के वारन्टों के आधार पर गिरफ्तारियां नहीं की गई थीं, और उन्हें गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इन अधिकारियों के विरुद्ध जांचाधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होने के कारण, अन्वेषक अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) (क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना और किसी वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए सक्षम थे।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये लम्बे विवरण से पता चलता है कि अभी भी कई बातें न तो सभा को मालूम हैं और न ही देश को। क्या यह सही है कि हमारी स्वतन्त्रता के तीस वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है कि वरिष्ठ सिविल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जबकि उनके विरुद्ध कोई शिकायतें नहीं थीं। क्या यह भी सच है कि अंग्रेजों के शासन काल में ऐसे उच्च अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने बिना समुचित अपराधों के उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जबकि वे भी नीति निर्माण का एक अंग होते थे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सम्बन्धित दो अधिकारियों अर्थात् श्री अग्रवाल तथा श्री बोहरा को उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हें अकस्मात नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया। एक को कार्यालय में तथा दूसरे को घर

पर गिरफ्तार किया गया। क्या इन गिरफ्तारियों से केन्द्र में ही नहीं अपितु राज्यों में भी समूची सिविल सेवाओं में अधिकारी हतोत्साहित हुए हैं ?

श्री एस० डी० पाटिल : जब हमें विश्वसनीय जानकारी मिली है तभी हमें उन दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह कहना गलत है कि हमने उन्हें बिना किसी कारण के जल्दबाजी में गिरफ्तार किया है। इन दोनों अधिकारियों के बयान रिकार्ड कर दिए गए है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की गई है। और सच्चाई सिद्ध करने के पश्चात् हम इस मामले में आगे बढ़े हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इससे पहले कि सम्बन्धित सचिव कानून का संरक्षण चाहेंगे मैं उत्तर पाने के लिए आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है कि क्या उन दो अधिकारियों को अग्रिम रूप से कोई सूचना दी गई कि वे दोषी हैं। सिविल सेवा प्रक्रिया के बारे में मैं इतना जानता हूं कि जब कभी किसी सिविल अधिकारी को इस तरह के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है या उसे दोष पत्र दिया जाता है तो इस बारे में उसे अग्रिम रूप से सूचना देनी होती है। किन्तु इस मामले में इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। उस प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अग्रिम रूप से उन्हें सूचना न देने का यह असाधारण मार्ग क्यों अपनाया है और इन आरोपों पर उन्हें अकस्मात गिरफ्तार क्यों किया है, जैसा कि विवरण में उल्लेख किया गया है।

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यदि अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाने हैं, यदि उनके बयान रिकार्ड किए हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें पूर्व सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता। समझ में नहीं आता कि ऐसी मांग क्यों की गई है। इसका अन्य लोगों पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव क्यों पड़ेगा। यदि यह गलत बात होती या ऐसा दुर्भावना से किया होता तो फिर और बात थी। किन्तु यह काम वैसे ढंग से नहीं किया गया।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या वह प्रश्न के अन्य भागों का भी उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अन्य भाग कौन से हैं ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या स्वतंत्रता के 30 वर्षों के अवधि के दौरान या स्वतंत्रता से पूर्व भी कभी इस तरह का मामला हुआ है जबकि किसी सिविल अधिकारी की इस तरह से गिरफ्तारी की गई हो ?

श्री एस० डी० पाटिल : यह एक सामान्य प्रश्न है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं एक विशिष्ठ प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या स्वतंत्रता के 30 वर्षों के दौरान या उससे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस तरह का यह पहला अवसर है कि किसी सिविल अधिकारी की गिरफ्तारी की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : इन मामलों में परम्परागत वाली कोई बात नहीं है। यदि कोई बात पहले नहीं हुई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बात आज नहीं हो सकती। यह बात याद रखनी चाहिए कि जितना भ्रष्टाचार श्रीमती इन्दिरा गांधी के आपात स्थिति

के दिनों के दौरान बढ़ा है शायद उतना कभी नहीं बढ़ा यहां तक कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी नहीं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या यह सही नहीं है कि वरिष्ठ सिविल अधिकारी, जो कि स्थायी होते हैं, केवल गृह मंत्री का ही सहारा ले सकते हैं यद्यपि सामान्यत: अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए वे गृह मंत्री के पास जा सकते थे, किन्तु इस मामले में तो गृह मंत्री ने सिविल सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने की बजाय उन पर स्वयं ही मुकदमा चलाने की बात की है।

अध्यक्ष महोदय : अभी उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से दोष पत्र देने के लिए गृह मंत्री ही जिम्मेवार हैं। मेरा ख्याल है कि यह अभूतपूर्व मामला है और ऐसा पहली बार हुआ है। मैं ऐसा सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हमें दोषी अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इस बात से मैं सरकार के साथ हूं। मैं तो न्याय देने में प्रक्रिया को अपनाने की बात कर रहा हूं क्योंकि जनता सरकार कानून में विश्वास करती है। इसीलिए मैं इस मामले में इतनी रुचि रख रहा हूं। गृह मंत्री ने कहा है कि यह मामला अभूतपूर्व है और आज तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिना किसी वारंट के किसी उच्च सिविल अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है। मैं यह बात पुन: दोहरा देता हूं कि मैं किसी भी दोषी अधिकारी को संरक्षण प्रदान करने के हक में नहीं हूं। मैं तो केवल नियम की बात कर रहा हूं मैं केवल इतना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। क्या यह सही नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आज तक किसी अधिकारी को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया है? इसलिए शायद यह कार्यवाही गृह मंत्री के कहने पर की गई है। क्या मेरा यह विचार सही है? मैं इस बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री मोरार जी देसाई : उसके बाद ये अधिकारी मुझसे मिले और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं उनके मामलों पर विचार करूंगा।

श्री रागावल्लू मोहनरंगम : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की है। यह प्रतिवेदन दो महीने पहले पेश कर दिया गया था। इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है।

श्री रागावल्लू मोहनरंगम : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं कहूंगा।

श्री रागावल्लू मोहनरंगम : यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसका तमिलनाडु के 4 1/2 करोड़ लोगों से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री रागावलू मोहनरंगम : मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ राव।

श्री जगन्नाथ राव : क्या मैं उस विदेशी फर्म का नाम जान सकता हूं, जिसे श्री अग्रवाल ने टेलीफोन उपकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और ऐसा कौन से साल में किया गया है ?

श्री चरण सिंह : इस समय मेरे पास उस फर्म का नाम उपलब्ध नहीं है। इसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि फर्म का नाम बताना आवश्यक होगा।

श्री वयालार रवि : क्यों नहीं ? उन्होंने दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। राजनीतिक चाल क्यों चली जा रही है ? यह संगत प्रश्न है। जब गृह मंत्री ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया है तो उन्हें फर्म का नाम भी बताना चाहिए। नाम क्यों नहीं बताते ?

श्री चरण सिंह : जांच के ब्यौरे सभा में प्रकट नहीं किए जा सकते। इन सारी बातों पर न्यायालय के समक्ष वाद-विवाद होगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो गुप्त जांच करके तथा प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट रजिस्टर करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिकारी के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में मामला है, इसलिए उसके विरुद्ध एफ० आई० आर० रजिस्टर किया गया और अब आगे की जांच चल रही है।

SHRI SHYAM NANDAN MISHRA : There is a impression that some discrimination is exercised while taking action against the big industrialists and high officers whose against charges have been levelled. It is said that although the pasports of some big industrialists have been impounded, even then they have been allowed to go out of the country. Warrants for their arrests have been issued but they have not been arrested. They have been enlarged under the anticipatory bail.

अध्यक्ष महोदय : इस बात का मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा सरकारी उच्च अधिकारियों के साथ बर्ताव करने में किसी तरह का भेदभाव किया गया है। इस तरह के कई उदाहरण दिए जा रहे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ उद्योगपतियों के पास-पोर्ट छीन लिए गए थे और उन्हें पहले बाहर जाने से रोक दिया गया था किन्तु उनकी गिरफ्तारी के समय उन्हें बाहर जाने दिया गया और वे देश से बाहर चले गए। जब वे वापस यहां आय तो उन्हें ऐंटिसिपेटरी बेल पर छोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही सीमित है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने उतनी बातें नहीं कहीं हैं जितनी कि श्री मावलंकर ने कही हैं। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या कुछ उद्योगपतियों का पक्ष लिया गया है जबकि उनके विरुद्ध भी वही आरोप थे जो कि उन उच्च अधिकारियों के विरुद्ध थे। यदि

यह धारणा सही है तो क्या सरकार इस तरह का भेदभाव न करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यवाही करेगी ?

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य ने दो मामलों का उल्लेख किया है। एक मामले में एक उद्योगपति का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और उसे तभी जाने दिया गया जबकि उसके जब्ती आदेश संशोधित कर दिये गये। उसने सरकार से अपील की तथा वापस आने का आश्वासन दिया। बहुत विचार के पश्चात् उसे जाने दिया गया। नियमों में इसकी व्यवस्था है। अपील में उसने बताया कि विदेशों में उसके क्या कार्य हैं और कहा कि वह वापस आ जायेगा। वह वापस आ भी गया है (**व्यवधान**)। प्रश्न व्यापक है भले ही माननीय सदस्य के मन में यह बात न हो। माननीय सदस्य के मन में जो मामला है वह एक उद्योगपति के सम्बन्ध में है जिसके पासपोर्ट के जब्त किये जाने का प्रस्ताव था। परन्तु वास्तव में उसे जब्त नहीं किया गया। इस प्रकार ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि पासपोर्ट जब्त किया गया हो और व्यक्ति को बाहर जाने दिया गया हो। एक व्यक्ति को जाने दिया गया और ऐसा सरकार की अनुमति से हुआ। इस प्रकार नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ जहां तक गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, उन्होंने अग्रिम जमानत करा ली थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करके रोकना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

श्री चरण सिंह : 10 अक्तूबर को उसने पहले ही अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या ऐसी उम्मीद की जाती है कि सरकार को यह बात समाचार पत्रों से पता चले। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जायें तब उससे पता चले कि उसने अग्रिम जमानत ले रखी है ?

श्री चित्त बसु : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, सी० एफ० पी० के साथ परामर्श सेवाओं के बारे में बातचीत करने के लिए न केवल श्री बी० बी० वोहरा, अपितु श्री जी० रामचन्द्रन सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री मन मोहन सिंह, सचिव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और श्री एन० बी० प्रसाद सचिव तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सम्मिलित थे ? क्या प्रथम जांच रिपोर्ट में उल्लिखित करार पूरे दल का उत्तरदायित्व नहीं था ? क्या यह भी सच है कि बातचीत करने वाले दल ने सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था और क्या मंत्री महोदय ने उक्त समिति की रिपोर्ट का जायजा लिया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रथम जांच रिपोर्ट सम्बन्धी वक्तव्य की जांच की है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि वार्ता समिति की रिपोर्ट,.....
सी० एफ० पी० के अद्यतन प्रस्ताव के अनुसार

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह मामला जांचाधीन है। तथ्य बताना युक्त नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न स्वीकार करने के बाद पूरक प्रश्नों की अनुमति दी जानी चाहिए। उसे आप कैसे रोक सकते हैं ? (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे मैं श्री स्टीफन से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न स्वीकार करने के पश्चात् मैं उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने से कैसे रोक सकता हूं ? प्रश्न में जांच के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि जांच के बारे में तथ्यों का रहस्योद्घाटन न किया जाये। यह उचित नहीं है।

श्री चित्त बसु : मेरा प्रश्न जांच के बारे में जानकारी प्राप्त करने से सम्बन्धित नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या वार्ता समिति का गठन किया गया था और जो समझौता हुआ है उसका पूरा उत्तरदायित्व वार्ता समिति का है। श्री वोहरा का वार्ता समिति से अलग किया गया है। क्या सरकार रिपोर्ट का अध्ययन और पता लगायेगी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्रथम जानकारी रिपोर्ट कहां तक सही है। जांच के बारे में इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री चरण सिंह : वार्ता समिति में चार अधिकारी थे जिन्हें सी० एफ० पी० फर्म के साथ बातचीत करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने सी० एफ० पी० फर्म के 2.3 करोड़ डालर के आफर को घटा कर 1.74 करोड़ डालर पर लाये। इसके बाद करार हुआ। करार का दायित्व पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का है वार्ता समिति का नहीं। इसीलिए समिति के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया।

SHRIMATI CHANDRAVATI : May I know from the Home Minister whether the implementing authority adopts different ways while arresting so called big people. Please ensure that there is no such discrimination.

SHRI CHARAN SINGH : The laws do not discriminate whatever be the status of the accused. But still it depends on the discretion of the officers who make arrests. But the law demands same treatment for all.

SHRIMATI CHANDRAVATI : That discrimination should be removed. Is there any such proposal ?

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न रख दिया। आज इतना ही काफी है।

श्री वेदव्रत बरुआ : किसी भी अधिकारी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। फिर भी अधिकारियों के नियमों का तैयार करना इस सभा का दायित्व है। जहां जिस प्रकार से कार्यवाही हुई है वह ढंग अत्यन्त शोचनीय है। पुलिस अधिकारी उनसे मिलना चाहता था। उन्होंने सोचा कि वह मिलने आया है। उन्होंने बताया कि उनके पास उनके वारंट हैं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उनके पास कोई वारंट नहीं थे।

श्री वेदव्रत बरुआ : यह अधिकारियों को जलील करने का तरीका है। सदन को कार्यवाही करनी चाहिए। नियमों विनियमों के ध्यान कोई सरकारी अधिकारी अपना दायित्व कैसे निभा सकता है जबकि उसे कर्त्तव्य निभाने के समुचित अवसर नहीं मिलते। सरकारी अधिकारी को स्पष्टीकरण का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि कोई नया प्रश्न है तो आप पूछें।

श्री वेदव्रत बरुआ : यदि किसी सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी पाई जाती है तो उसे 'कारण बताओ' नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले ही बता चुके ह कि ऐसा नहीं किया गया।

RECRUITMENT OF OFFICER IN R.A.W.

*122. DR. BAPU KALDATY
SHRI HUKAM CHAND KASHWAI } Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether a number of junior and senior officials from different Departments of various Ministries were recruited in the Research and Analysis Wing during emergency;

(b) if so, which were the main Departments from where they were recruited;

(c) whether they have been sent back to their original place of work after the end of emergency; if so, the number thereof and

(d) how does the present staff strength of Research and Analysis Wing compare with its staff strength eight months ago ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) आपात स्थिति के दौरान भर्ती एक सतत प्रक्रिया के रूप में की जाती रही थी। अतः इस अवधि के लिए विशेष रूप से कोई नियुक्ति नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध में कर्मचारियों की संख्या की पुनरीक्षा की गई और उसमें काफी कटौती कर दी गई है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : May I know from the Prime Minister whether a large number of people were removed from Research and Analysis Wing and posted elsewhere during the emergency so that they may have contacts with the people in other organistations. Whether their services were utilised for the purpose ?

SHRI MORARJI DESAI : I am not aware of it.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Is it a fact that the present government is deliberately concealing the facts that the services of these people were not misused during the emergency so that the faith of the people of the former Prime Minister may not decline. Had not the former Prime Minister acted in order to safeguard her interests ?

SHRI MORARJI DESAI : The Hon. Member is making allegation against me. He is not justified.

SHRI RAMANAND TEWARI : May I know from the Hon. Prime Minister that certain officers and staff of certain departments did not want to commit atrocities on the people, and such officers were retired compulsorily and thousand of other people were recruited in their place. Would the Government constitute a committee to look into the position of these employees who were removed for not committing atrocities ? Would the Government re-instate such officers and employees.

SHRI MORARJI DESAI : This question does not arise out of it. But the effected officers can write to the Government. We are examining every such case. We have already re-employed certain persons.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : क्या मैं प्रधान मंत्री का ध्यान एक बात की ओर दिला सकता हूं। इस प्रश्न ने मुझे "रा" के बारे में नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछने का अवसर दिया है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा प्रश्न भर्ती के बारे में है। प्रश्न से यह सुझाव पैदा हुआ है। रा एक पुलिस संगठन बनता जाता है। क्या प्रधान मंत्री इसका पुनर्गठन कर रहे हैं और यत्न कर रहें हैं कि यह एक पुलिस संगठन बन कर ना रह जाये। ऐसा तभी सम्भव है जब संगठन का मुखिया पुलिस सेवा का व्यक्ति न हो।

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं जानता कि पुलिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कर्मचारी न केवल पुलिस अपितु सभी विभागों से लिये गये हैं। जहां जांच कार्य अपेक्षित है उसके लिए पुलिस अधिकारी अधिक युक्त हैं। इसीलिए उन्हें वहां रखा गया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरा प्रश्न मुखिया के बारे में है।

SHRIMATI MRIGAL GORE : Just now the Prime Minister has stated the recruitment is a continuing process in RAW. May I know that from June 1975 to March-April, 1977 how many persons were drawn from Different Departments ? How many of them have been sent back. Is there some discontentment among those not sent back. Is the RAW under the Prime Minister and whether there is any proposal to transfer the Department to Home Ministry.

SHRI MORARJI DESAI : It is under me and shall continue to be so. I shall return these persons who do not want to be there.

SHRIMATI MRIGAL GORE : How many persons were taken from different Departments into RAW ?

SHRI MORARJI DESAI : The reply contains that no new method was adopted during emergency. It has been asked whether any special recruitment was made during emergency. That is not a fact.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रधान मंत्री ने बताया है कि जो कोई भी अपने पूर्व विभाग में जाना चाहता है, जा सकता है। क्या यह अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है कि वह तबदीली करा सकें ।

श्री मोरारजी देसाई : निश्चय ही यह अधिकारियों का अधिकार नहीं है कि वह यदि चाहते हैं तो वापस जा सकें। परन्तु यदि अधिकारी नहीं चाहते तो मैं ऐसे अधिकारियों को नहीं रखना चाहता ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Prime Minister knows that during emergency and thereafter criticism of RAW has been published in newspapers. I know the organisation has been sufficiently stream lined after its being taken over by the Prime Minister and arrangements have been made from its proper functioning. What steps has he taken for its proper functioning ?

SHRI MORARJI DESAI : After taking over charge I have removed a number of persons. They have been told they have nothing to do in the internal affairs of the country. They have to collect the essential information. How can I know what was done formerly. I asked their Head. He refused to divulge its so I have relieved him.

श्री कृष्ण चन्द्र हलदर : प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया है कि वह "रा" के कार्य की पुनरीक्षा कर रहे हैं। क्या वह "रा" को आपात स्थिति के दौरान अलोकतंत्रीय ढंग से करने के लिए भंग कर देंगे । क्या वह उसे भंग करके उसके पुनर्गठन करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : किसी भी विभाग के लोकतन्त्रीय ढंग से कार्य करने का प्रश्न ही नहीं है। हम नियम से कार्य करते हैं, लोकतन्त्र का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए

इसे भंग करके फिर से गठित करने की आवयश्कता नहीं है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए ।

RURAL ELECTRIFICATION IN CHOTANAGPUR (BIHAR)

†*125. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the progress made so far in regard to the implementation of the scheme of electrification of 685, villages of Jaynagar, Markacho, Dhanwar and Gandey backward block in Chotanagpur (Bihar) undertaken by the Rural Electrification Corporation of India;

(b) whether the requisite progress has not been made due to the fact that the amount of Rs. 2 crores and 16 lakhs allocated for this purpose was not given direct to the Bihar State Electricity Board, Ranchi; and

(c) if so, whether Government propose to make over the above allocation direct to the Bihar State Electricity Board, Ranchi ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने तीन ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं मंजूर की हैं जिनमें दो योजनायें गिरिडीह जिले के गांडे और धनवार खण्डों के लिए हैं और एक योजना हजारीबाग जिले के जयनगर तथा मरकाची खण्डों के लिए है । विवरण नीचे लिखे अनुसार है :—

क्र० सं०	योजना का नाम	मंजूरी की तारीख	सम्मिलित गांव	पम्प सेट	स्वीकृत ऋण (लाख रुपए)
1.	गिरिडीह जिले का गांडे खण्ड	8–3–76	218	550	75.553
2.	गिरिडीह जिले का धनवार खंड	8–3–76	278	600	79.961
3.	हजारीबाग जिले के जयनगर और मरकाची खण्ड	30–11–76	262	445	67.585
	जोड़		758	1,595	223.099

इन योजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय आधार पर प्राप्त की है । 10 लाख रुपये के मूल्य का काम पूरा हो चुका है और चालू वित्त वर्ष के दौरान 57 लाख रुपए का कार्य पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) प्रत्येक परियोजना की सोपानबद्धता के अनुसार ऋण राशियां किस्तों में दी जाती हैं । उपर्युक्त तीनों योजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण राशि की प्रथम किस्त के रूप में निगम ने अब तक 79.092 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया है । दूसरी और उसके बाद की किस्तें, कार्य में हुई प्रगति के आधार पर दी जाती हैं ।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम केवल पटना स्थित राज्य बिजली बोर्ड से ही कार्य-व्यवहार करता है, इसकी किसी क्षेत्रीय यूनिट से नहीं ।

SHRI R. L. P. VERMA : May I know the expenditure incurred by Government in this regard ? Whether it is a fact that electricity is not being generated to the extent it should have been ?

श्री पी० रामचन्द्रन : अभी तक उपर्युक्त तीन योजनाओं के लिये पहली किस्त के रूप में 79 लाख रुपये स्वीकृत किये गये तथा आवंटित किये गये हैं। यह सच है कि इन योजनाओं के सम्बन्ध में इतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये थी। राज्य सरकार को तेजी से काम करना होगा। उसने विविध कारणों से ऐसा नहीं किया। उसने सामान की खरीद के बारे में कठिनाई बताई है और इसी कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है।

SHRI R. L. P. VERMA : Whether Government propose to issue directions to the Bihar Electricity Board to spend money for the purpose for which it is allotted and it should not be diverted ? These days many is being diverted for other purposes. Whether it is proposed to have diversion of money ?

श्री पी० रामचन्द्रन : राज्य सरकारों को बताये गये सिद्धांतों के अनुसार ग्रामीण विद्युत प्रदाय निगम को नियत की गई राशि निगम द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं पर ही व्यय की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं को क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के साथ हमेशा सम्पर्क बनाये रखता है।

SHRI RAMDAS SINGH : Corruption is rampant in Electrification Department as a result of which no progress is being made in this work. Power generation has declined in the Patratu Thermal Power Station. The amount meant for rural electrification is not spent. The amount allotted for Khirachatar. Dugadha, Ungwani is lying as it is and no progress is being made in the work there. May I know why electricity is not provided in backward areas particularly when it is generated there ? May I know whether any time-bound rural electrification programme has been formulated ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सदैव योजना को समय पर पूरा करने के लिये अनुरोध किया जाता है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से काम करता है। हम जो कुछ करते हैं वह राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से होता है और यह सरकार निश्चय ही इस मामले की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी।

SHRI KISHORE LAL : May I know the total installed capacity of all the power stations functioning in the country and how much of them are working below their installed capacity ? What steps Government are taking to increase power generation as per their installed capacity ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

छोटे जहाज

*126. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इण्डियन एक्सक्लूसिव मैरीटाइम इकनामिक जोन' (भारतीय अनन्य समुद्री आर्थिक क्षेत्र) की गश्त लगाने तथा उसकी प्रभावपूर्ण ढंग से रक्षा करने के लिये सरकार ने छोटे जहाज बनाने की योजना बनाई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जहाज प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) एक तटीय सुरक्षा संगठन कोस्ट गार्ड आर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय किया गया है जो अन्य कामों के साथ-साथ हमारे अनन्यरूप से समुद्री

व्यापार क्षेत्र (एक्सक्लूसिव मैरीटाइम इकनामिक जोन) में गश्त लगाएगा और हमारे हितों की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक अन्तरिम तटीय सुरक्षा संगठन स्थापित किया जा चुका है जिसके पास कुछ जहाज और गश्ती जलयान होंगे। इस बेड़े को और बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : हिन्द महासागर में विदेशी नौसेना अड्डों की विद्यमानता और हमारे देश के एक्सक्लूसिव मैरीटाइम इकनामिक जोन के साईज को देखते हुए और भारत में समुद्र पार व्यापार, मछली पकड़ने के हमारे अधिकारों, तटदूर प्रतिष्ठानों और बन्दरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि शान्ति काल में एक्सक्लूसिव मैरीटाइम इकनामिक जोन की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि युद्ध में क्षेत्रीय जलसीमा की रक्षा करना है, क्या माननीय मंत्री हमें उस अन्तरिम संगठन का साइज बतायेंगे जिसकी स्थापना यह काम करने के लिये की गई है और क्या सरकार हाईली मोबाइल लाइट नवल फोर्स बनाने पर विचार कर रही है जो लाइट जहाजों, सबमैरीन, एन्टी-सबमैरीन और रीकनाईसेन्स जहाजों से लैस हो ? सरकार इस एजेन्सी को इस प्रकार के जहाजों से लैस करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री जगजीवन राम : मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक विशेष अधिकारी के अधीन एक अन्तरिम संगठन स्थापित किया गया है। नौसेना से तीन जहाज और गृह मंत्रालय से तीन गश्ती जहाज इस संगठन को दिये गये हैं। अन्त में इस संगठन का स्वरूप क्या होगा इसकी जांच इस विशेष ड्यूटी अधिकारी द्वारा की जायेगी। ऐसा करने के बाद सरकार विचार करेगी और इसका विस्तार करेगी।

डा० मुरली मनोहर जोशी : कुछ मास पूर्व रक्षा मंत्री ने स्वयं पनडुब्बियों और अन्य नौसेना उपकरणों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होने की दलील दी थी। नौसेना उपकरणों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होने के बारे में उनकी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुये और प्रधान मंत्री की इस टिप्पणी को, कि हम हिन्द महासागर में शान्ति के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम चाहते हैं, ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारत में लाइट जहाजों, सब-मैरीन, एन्टी-सबमैरीन क्रांपटों का निर्माण करने की बात सोच रही है और क्या भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम है।

श्री जगजीवन राम : हम आत्म-निर्भर होने की ओर बढ़ रहे हैं और सदन को मालूम है कि मजगाव डाक में लीडर क्लास ग्रीगेट बनाने की क्षमता है और बम्बई, गोआ और कलकत्ता के हमारे डाकयार्ड इन लाइट-जहाजों का निर्माण कर सकते हैं जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। जहां तक सबमैरीन और अन्य उपकरणों के निर्माण का सम्बन्ध है,सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया है परन्तू सबमैरीन के निर्माण के लिये कुछ विदेशी निर्माताओं का सहयोग लेने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लाइट जहाज बनाने का निर्णय कर लिया है। आपने सब-मैरीन के बारे में कहा है। अन्तरिम तटीय गार्ड को लाइट जहाज देने के लिये उनके निर्माण का क्या हुआ ? यह फोर्स मोबाइल फोर्स होगी। आपने उन्हें फ्रिगेट दिये हैं। यह ठीक है। परन्तु लाइट जहाजों का क्या हुआ ?

श्री जगजीवन राम : तटीय गार्ड के पास सभी प्रकार की मोबिलिटी होनी चाहिये और यदि उनके पास यह नहीं होती तो वे कार्य नहीं कर सकते।

डा० मुरली मनोहर जोशी : लाइट जहाजों के बारे में क्या हुआ ?

श्री जगजीवन राम : मैं इस बारे में बता चुका हूं ।

SHRI ON PRAKASH TYAGI : Whether it is a fact that foreign boats meant for fishing enter our territorial waters as a result of which our territorial waters do not remain safe ? How many such boats were seized by the Defence Department during the last 3 years and the countries to which they belonged ?

श्री जगजीवन राम : मेरे पास इस सम्बन्ध में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

FORMULATION OF A SPECIAL PLAN FOR DEVELOPMENT OF RURAL INDUSTRIES

*127. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK
SHRI C. N. VISVANATHAN } Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a special plant for development of rural industries;

(b) if so, the outlines thereof and when it will be implemented; and

(c) whether any progress has been made so far in this regard ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) Yes, Sir. (b) and (c) : The details are being finalised.

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Hon. Minister be pleased to state when the work is expected to start on the schemes under preparation for development of rural industries ? Whether certain definite date have been fixed for this ?

SHRI GEORGE FERNANDES : Such a scheme is being finalised. I hope to place before Parliament the entire policy in this regard and start work on it before the expiry of the current session of Parliament.

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : I want to know whether Madhya Pradesh and other backward states, where there is no industry, will be given priority in this respect ?

SHRI GEORGE FERNANDES : Uptill now efforts were going onto ensure industrial development of a total number of 111 districts of the country by giving them some special assistance, under the Rural Industrial Projects. Now, we are formulating this new scheme under which the number of such districts will be raised from 111 to 250. We are trying to bring all the districts of the country under this scheme during the next 18 months so that all the districts, which were treated economically and industrially backward, can get assistance.

श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या ग्रामीण उद्योगों के लिए सरकार लघु उद्योगों तथा भारी उद्योगों से भिन्न निगम की स्थापना करना चाहती है तथा क्या उक्त निगमों अथवा लघु उद्योगों को केन्द्र पूरी सहायता देगा अथवा आंशिक सहायता देगी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ग्रामीण उद्योगों के लिए किसी निगम की स्थापना नहीं की जा रही है और मैं नहीं समझता कि ऐसे निगम की आवश्यकता है । हमारे प्रयत्न हैं कि उद्योगों में अधिकतम विकेन्द्रीयकरण किया जाये । इसलिये हम चाहेंगे कि जिला स्तर एवं निम्नतर स्तर पर प्राथमिकता करने वाले लोग हों । जहां तक भारत सरकार के सम्बद्ध होने का प्रश्न है यह मुख्यत: उद्योगों के चयन बिक्री, धन तथा प्रबन्ध क्षमता उपलब्ध करने तक सीमित है ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मेरा दूसरा अनुपूरक.....

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सदस्य केवल एक ही अनुपूरक रख सकता है ।

श्री यशवन्त बोरोले : क्या यह जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि क्या ग्रामीण उद्योग स्थापना के लिये कोई ढांचा उपलब्ध है तथा क्या उस सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे माल की सम्भावना पर विचार किया गया है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : देश के प्राय: सभी जिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है । इसलिए ग्रामीण उद्योग के ढांचे के बारे में किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री आर० वेंकटरामन : मंत्री महोदय ग्रामीण उद्योगों की क्या परिभाषा करते हैं ? क्या इसमें ग्रामों में स्थित उद्योग ही सम्मिलित हैं अथवा केवल ऐसे उद्योग आते हैं जो उपलब्ध ग्रामीण कच्चे माल से विकास की क्षमता रखते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब हम ग्रामीण उद्योगीकरण की चर्चा करते हैं तब हमारा सम्बन्ध ग्रामीण कुटीर उद्योगों में पंजीकृत दोनों ही उद्योगों से है ।

छठी योजना में राज सहायता नीति का पुनरीक्षण

*128. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग छठी योजना के लिए संसाधन जुटाने के संवर्ग में राज सहायता नीति का पुनरीक्षण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सभी प्रकार की वर्तमान राज सहायताओं और राज प्रदानों की इस समय क्षेत्रीय कार्यकारी दलों द्वारा अगली पंचवर्षीय योजना के लिए समीक्षा की जा रही है । इसके बाद 1978–83 की योजना के लिए संसाधनों का अनुमान लगाते समय, इन राज सहायताओं को चालू रखने, कम करने या समाप्त करने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाएगा । इस समीक्षा और परीक्षा के परिणामों को 1978–83 की अवधि के लिए योजना के प्रारूप में बताया जाएगा ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि योजना आयोग अनुदानों सम्बन्धी सरकारी नीति पर दो आधार पर विचार कर रहा है ।

(i) संसाधन जुटाने का मामला ;

(ii) अनुदान देने की नीति सामान्य अर्थ-व्यवस्था में लाभदायक सिद्ध नहीं हुई । यदि हां, उर्वरकों, बिजली, सिंचाई खाद्य और निर्यात के अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं अभी तो नहीं बता सकता कि ऐसा कब किया जायेगा । विचार करते समय इन सभी बातों पर ध्यान रखा जायेगा । अनुदान की राशि बहुत अधिक है । इस राशि के बारे में हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं क्या आयोग ने अंतरिम रूप में छठी योजना का आकार निर्धारित किया है । क्या यह बड़ी योजना होगी ? यदि हां, तो कितनी बड़ी होगी ?

श्री मोरारजी देसाई : हम पहले योजना का आकार निर्धारित करके उसके बाद योजना तैयार नहीं करते । हम संसाधनों को एकत्र करके कार्य आरम्भ करते हैं । अभी योजना तैयार करने का समय नहीं आया ।

DR. RAMJI SINGH : Would the intention of doing away with subsidy apply to backward areas and the industries which need it: Is the Government planning to do away with this subsidy as well ?

SHRI MORARJI DESAI : If the subsidy is to be stopped then it would not be stopped where it is necessary, whether it is backward sector or not. It is necessary to give subsidy it would be given and if not it would not be given.

श्री सौगत राय : इस बात को देखते हुये इस देश में वाणिज्यक सिंचाई को 250 करोड़ रुपए और राज्य बिजली बोर्डों को प्रति वर्ष 130 करोड़ रुपए का घाटा होता है और ग्रामीण क्षेत्रों आयोजना विकास कुल को और अमीरों को मिला । क्या प्रधान मंत्री वाणिज्यिक सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान वापस ले रहे हैं ।

श्री मोरार जी देसाई : इस पर गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव

*130. **श्री चित्त बसु**
श्री निर्मल चन्द्र जैन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्तमान राज्यों को अधिक प्रशासनिक कुशलता हेतु तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए छोटे राज्यों में पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक अन्य राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) राज्यों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास औपचारिक रूप से नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चित्त बसु : ऐसा लगता है कि सरकार राज्यों के पुनर्गठन में रुचि नहीं रखती । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात पर ध्यान देते हुऐ कि कई प्रसिद्ध व्यक्तियों जिनमें संसद सदस्य, सदस्य, राज्य विधान सभा, मंत्री परिषद के सदस्य जिनमें प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हैं और अंतत: लोक नायक जय प्रकाश नारायण द्वारा व्यक्त राय (एक माननीय सदस्य : आचार्य कृपलानी) इस सूची में बड़े बड़े लोगों के और भी नाम जोड़े जा सकते हैं । क्या सरकार इन सब बातों को ध्यान देते हुए क्या सरकार इस बात पर पुनर्विचार करेगी । अनौपचारिक रूप से तो कई बातें कही जाती हैं । सरकार क्यों नहीं उपचारिक रूप से इस समस्या पर पुनर्विचार क्यों नहीं करती ?

श्री धनिक लाल मंडल : प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री इस मामले में विचार व्यक्त कर चुके हैं। 19 नवम्बर को प्रधान मंत्री ने राची के निकट तथा 20 नवम्बर को गृह मंत्री ने हैदराबाद में विचार व्यक्त किये कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री चिन्त बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुऐ कि पहले भाषाई आधार पर राज्यों का बटवारा किया गया था और आज एक नयी संकल्पना रखी गई है। (प्रशासनिक क्षमता के आधार पर छोटे राज्यों का निर्माण) को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी और अपनी नीति घोषित करेगी। इस समय पर लोग परस्पर विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : सरकार यह नहीं समझती कि छोटे राज्य अधिक दक्ष होंगे।

SHRI NIRMAL CHANDER JAIN : The Hon. Minister has stated that there is not such proposed. Has not it been suggested that big states may be constituted in smaller ones in order to increase efficiency and to bring about Administrative Reforms.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I have stated that the Government does not consider that smaller states would not bring about administrative reforms.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्र राज्य सम्बन्ध

*123. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर**
श्री मायातेवर } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों के विषय में फिर से विचार करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) सरकार को कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूसरा प्रेस आयोग गठित करना

*124. **श्री के० लकप्पा**
श्री ओ० वी० अलगेशन } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार पुनः प्रेस आयोग गठित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले प्रेस आयोग को नियक्त किए अब 25 वर्ष हो चुके हैं। यह महसूस किया जाता है कि उन मूलभूत बातों, जो प्रेस की गुणवत्ता और स्वतन्त्रता पर प्रभाव डालती हैं, पर फिर से विचार करने का अब समय आ गया है, ताकि यह देखा जा सके कि उन परिस्थितियों, जिनमें प्रेस विशेष का भाषायी और क्षेत्रीय प्रेस, स्वस्थ आधार पर विकसित हो सके, को उत्पन्न करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने आवश्यक हैं।

झरिया और हजारीबाग में गर सरकारी व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कोयला निकाला जाना

*129. **श्री के० ए० राजन**
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि समस्त झरिया और हजारी बाग में बड़े पैमाने पर गैर सरकारी कोयला निकालने वाले लोग कोयला खनन करने लग हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकरण अधिनियम के बाद गैर–सरकारी व्यक्तियों को कोयला खनन करने से रोक दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 के 29 अप्रैल, 1976 से लागू होने के साथ ही लोहा और इस्पात का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को छोड़कर, शेष प्राइवेट पार्टियों के सभी कोयला पटटे रद्द कर दिए गए थे। परन्तु मई, 1977 से आगे कई पार्टियों ने उक्त अधिनियम को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त किए। इन स्थगन आदेशों के आधार पर, पार्टियों ने झरिया और रानी गंज सहित क्षेत्रों में कोयले का खनन शुरू कर दिया। किन्तु बाद में सितम्बर और अक्तूबर, 1977 में इन स्थागन आदेशों में परिवर्तन करा लिया गया, जिसके द्वारा पार्टियों को कोयला खोदने से रोक दिया गया है यद्यपि कोयला खान राष्ट्रीयकरण, संशोधन अधिनियम, 1976 के अनुसरण में उनकी खानों को कब्जे में लेना स्थगित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा है कि ये उच्चतम न्यायालय के नवीनतम स्थान आदेशों के परिप्रेक्ष्य में समुचित कार्रवाई करें। कानून तथा तथ्यों दोनों को दृष्टि में रखते हुए रिट याचिकाओं का विरोध करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

WITHDRAWAL OF PROVISIONS OF MISA AND RELEASE OF PEOPLE DETAINED

*131. SHRI UGRASEN
SHRI M. A. HANNAN ALHAJ } : Will the MINISTER OF HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have withdrawn all the provisions of the MISA and the people detained thereunder have been released; and

(b) if not, the number of persons still in jails, State-wise ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) & (b) The proposals for the repeal of the Maintenance of Internal Security Act are acitvely under consideration. In pursuance of the advice given to the State Governments, most of the detenus have been released and as against 6851 detenus on 25-3-77, the number has come down to 403 on 12-11-1977 which includes 388 foreigners awating expulsion from the

country. The State-wise break-up is given in the Statement laid on the Table of the House.

STATEMENT

Name of State/ Union Territory	No. of persons in detention for reasons connected with the Defence of India, the relation of India with Foreign powers of the security of India.	No. of persons in detention for reasons connected with the security of the State/ maintenance of public order	No. of persons in detention for reasons connected with the maintenance of supplies & services essential to the community.	No. of persons in detention with a veiw to regulating continued respence of any foreigner or for making arrangements for his expulsion from India.	Total of Col. 2, 3, 4 & 5.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Madhya Pradesh . .	—	—	—	1	1
2. Maharashtra . .	—	11	—	—	11
3. Manipur . .	—	2	—	—	2
4. Meghalaya . .	—	—	—	1	1
5. Punjab . .	—	—	—	236	236
6. Rajasthan . .	—	—	—	146	146
7. Tamila Nadu .	—	2	—	—	2
8. Tripura . .	—	—	—	2	2
9. West Bengal .	—	—	—	1	1
10. Delhi . . .	—	—	—	1	1
TOTAL . . .	—	15	—	388	403

NOTE—The information in respect of the remaining States is NIL.

मिदनापुर में अणु शक्ति संयंत्र की स्थापना

132. श्री समर गुह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक अणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार से कोई और आगे विचार विमर्श हुआ है ;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) परमाणु ऊर्जा आयोग के सम्मुख उक्त मामला कितने वर्षों से विचाराधीन है ;

(घ) पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में अणु शक्ति संयंत्र स्थापित करने के मामले पर विचार विमर्श में अधिक समय लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) मामले को अन्तिम रूप कब तक दिया जाएगा ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) जी, नहीं ।

(ग) पश्चिमी बंगाल में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का सुझाव भारत सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार ने पहली बार जुलाई, 1973 में दिया था ।

(घ) तथा (ङ) पूर्वी क्षेत्र में एक परमाणु बिजलीघर लगाने के प्रश्न पर नवम्बर, 1974 में पश्चिमी बंगाल के राज्य योजना बोर्ड के साथ हुए विचार-विमर्श में उस बोर्ड को यह परामर्श दिया गया था कि वह समग्र क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ऊर्जा सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखकर यह पता लगाने के लिए ब्यौरेवार अध्ययन करे कि इस क्षेत्र की बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी निश्चित अवधि तक करने की दृष्टि से ताप-बिजली, पन-बिजली तथा परमाणु बिजली की सप्लाई को मिलाकर की गई कौन सी व्यवस्था इष्टतम तथा अनुकूलतम सिद्ध हो सकती है । बोर्ड को यह भी परामर्श दिया गया था कि यदि वह अध्ययन के बाद यह पाये कि पूर्वी क्षेत्र में एक परमाणु बिजलीघर का लगाया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है तो उसके बारे में ऊर्जा मंत्रालय से बातचीत की जाए । इसमें और आगे हुई प्रगति की सूचना की प्रतीक्षा है ।

SCHEME FOR SALE OF GOODS PRODUCED BY SMALL INDUSTRIES

*134. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any comprehensive scheme for the sale of goods produced by small industries; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) Yes, Sir. A proposal is under consideration for providing marketing assistance to small scale industries including sale of goods produced by them.

(b) The main features of the proposal are :

(1) Introduction of a minimum quantity order guarantee scheme.

(2) Marketing of the goods obtained under the above mentioned guarantee scheme by the National Small Industries Corporation through measures like :—

(i) introduction of NSIC's own brand and sales through its own distribution network;

(ii) use of existing distribution channels like State Small Industries Corporation, Super Bazars, State Government Emporia and net work of petrol pumps; and

(iii) entering into rate contract with various Government and semi-Government organisations.

BROADCASTING OF SINDHI PROGRAMME FROM RAJKOT RADIO STATION

*135. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Sindhi community of Saurashtra has demanded that Sindhi programme should be broadcast from Rajkot Radio Station in Saurashtra region in Gujarat ;

(b) if so, the time by which Sindhi programme is likely to be broadcast from Rajkot Radio Station; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) A representation has been received from a social worker of Bantava (Saurashtra).

(b) & (c) Sindhi programmes are broadcast from Ahmedabad and Bhuj and Mega-watt transmitter at Rajkot and can be listened to in the area covered by Rajkot Radio Station.

हरिजनों के लिए एक नया मंत्रालय बनाना

*136. **श्री के प्रधानी**
श्री लखन लाल कपूर } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की ओर ध्यान देने के लिए एक नया मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : जी नहीं श्रीमान् ।

बम्बई बन्दरगाह में भीड़भाड़

*137. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह में भीड़भाड़ बढ़ रही है जिसके कारण वहां जहाजों को घाट पर लगने के लिये कई सप्ताह प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं ;

(ख) क्या करमाहोम सम्मेलन के अनुसार भीड़भाड़ शुल्क लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है तथा इसके वित्तीय परिणाम क्या होंगे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) इस समय बम्बई में प्रिन्सेस और विक्टोरिया गोदियों में घाट प्राप्त करने के लिए जहाजों के लिए कोई प्रतीक्षा-समय नहीं ह । परन्तु, इन्दिरा गोदी में सामान्य माल जहाजों के लिए औसतन प्रतीक्षा अवधि लगभग केवल 5 दिनों की है ।

(ख) और (ग) करमाहोम काफ्रेंस लाईन्स ने 3.10.77 से 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया । स्थिति में सुधार को दृष्टि में रखते हुए, अधिभार की दर 1.11.1977 से घटा कर 7 1/2 प्रतिशत कर दी है ।

3 अक्तूबर से 19 नवम्बर, 1977 तक लगाया अधिभार मोटे रूप से लगभग 1.00 लाख यू० एस० डालर है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की प्रयोगशालाओं का मन्त्रालयों को अन्तरण

*138. **श्री सुरेन्द्र विक्रम**
श्री एडुआर्डो फलोरो } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के साथ सम्बद्ध वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को सम्बद्ध मंत्रालयों को अन्तरित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सी०एस०आई०आर० को पुनर्गठित करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) के पुनर्गठन के कारणों और मुख्य सिद्धान्तों सम्बन्धी एक समाचार विज्ञप्ति जो भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1977 को प्रसारित की गई थी, की एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है ।

[मंत्रालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1157/77]

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षत्रों में औद्योगीकरण को तेज करने के लिए फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की सिफारिश

*139. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने विशेषकर अधिक वित्तीय प्रोत्साहन देने के आवश्यकता पर बल देते हुए ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को तेज करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्रियान्वित के संबंध में यदि कोई निर्णय तथा कार्यवाही की गई हो तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

'रोजगार समाचार' के क्षेत्रीय संस्करणों का प्रकाशन बन्द होना

*140. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ**
श्री जी० एम० बनतवाला } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने रोजगार समाचारपत्र के असमी, बंगाली, तमिल और तेलुगु संस्करणों का प्रकाशन 29 अक्तूबर, 1977 से बन्द करने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों के लिए कोई वैकल्पिक सेवाओं की व्यवस्था की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) असमिया, तेलुगु, तमिल और बंगला भाषाओं में "रोजगार समाचार" के संस्करणों का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान रूप में इनका प्रकाशन जारी रखना घाटे का काम था और इनसे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई जिसके लिए वे निकाले गए थे । इस मामले पर राज्यों के सूचना मंत्रियों के 4-11-1977 की नई दल्ली में हुए सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था । असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की राज्य सरकारों ने इसके भाषायी संस्करण अपने राज्यों से निकाले जाने में अपनी रुचि

दिखाई थी । तदनुसार, सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहायता से इन संस्करणों को प्रादेशिक संस्करणों के रूप में निकालने की संभावना पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग) नियमित पदों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों में से, केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड–III) के 4 सहायक सम्पादकों और 2 आर्टिस्टों (अराजपत्रित) को फालतू समझा गया है । चार सम्पादकों को, जो केन्द्रीय सूचना सेवा से सम्बन्धित हैं, उनके अपने संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा । जहां तक आर्टिस्टों का सम्बन्ध है, एक आर्टिस्ट दूसरे मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर था और उसको उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किया जा रहा है । दूसरे आर्टिस्ट ने लगभग 8 1/2 महीने सेवा की थी और वह अस्थायी रूप से कार्य कर रहा था । उसको एक महीने का सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया है ।

हरिजनों के मकानों के निर्माण के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

1193. श्री वयालार रवि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हरिजनों और समाज के अन्य निर्बल वर्गों के लिए मकानों की व्यवस्था करने हेतु अपनी योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवास योजनाएं राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग क्षेत्र में है और केन्द्रीय सहायता खंड ऋणों तथा अनुदानों के रूप में उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त राज्य में हरिजनों को अन्य के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक आवास योजनाएं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन योजनाओं से लाभ होता है ।

भारत सरकार के दो भूतपूर्व सचिवों की गिरफ्तारी

1194. श्री माधवराव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो शिकायतें होती हैं उन्हें पहले उनकी बात सुनने के लिए उनके पास भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के दो भूतपूर्व सचिवों को गिरफ्तारी के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस सामान्य प्रक्रिया की उपेक्षा की ; और

(ग) यदि हा, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) ऐसी कोई स्वीकृत क्रिया-विधि नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

FOREIGN MISSIONERIES IN INDIA

1195. SHRI S. K. SARDA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries in India and the names of the countries to which they belong and the duration for which they have been issued visas; and

(b) the number of foreign missionaries active in the border areas of the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) A statement giving, nationality-wise, the number of registered foreign missionaries in India as on 1-1-1977 is attached. They are granted extensions of their visas for a period of upto one year at a time.

(b) The term "border areas" has not been defined and therefore the number of foreign missionaries working in such areas can not be given. However, a statement giving the number of registered foreign missionaries in the border States as on 1-1-1977 is attached.

STATEMENT

NATIONALITY-WISE STATEMENT OF REGISTERED FOREIGN MISSIONARIES IN INDIA AS ON 1-1-1977

Sl. No.	*Nationality &*	*Number*
1.	American	632
2.	Argentinian	3
3.	Australian	125
4.	Austrian	18
5.	Bangladesh	3
6.	Belgian	213
7.	Brazilian	3
8.	British	575
9.	Burmese	19
10.	Canadian	207
11.	Chinese	11
12.	Czech	5
13.	Danish	19
14.	Dutch	56
15.	Finish	9
16.	French	323
17.	German	191
18.	Hungarian	6
19.	Indonesian	4
20.	Iranian	19
21.	Irish	269
22.	Italian	391
23.	Japanese	16
24.	Luxembourg	3
25.	Maltese	77
26.	Mauritius	2
27.	New Zealand	50
28.	Norwegian	29
29.	Pakistani	10
30.	Philippines	5
31.	Polish	4
32.	Portuguese	7
33.	Singaporean	3

34.	Spanish	253
35.	Sri Lankan	43
36.	Swedish	69
37.	Swiss	75
38.	Tanzanian	8
39.	Thain	4
40.	Yugoslav	15
41.	Others	48
	TOTAL :	3732

STATEMENT

STATE-WISE NUMBER OF REGISTERED FOREIGN MISSIONARIES IN THE BORDER STATES/UNION TERRITORIES

Sl. No.	*State/Union Territory*	*Number*
1.	Gujarat	139
2.	Rajasthan	27
3.	Punjab	38
4.	Jammu and Kashmir	38
5.	Himachal Pradesh	48
6.	Uttar Pradesh	303
7.	Bihar	348
8.	West Bengal	350
9.	Assam	37
10.	Meghalaya	105
11.	Nagaland	2
12.	Mizoram	3
	TOTAL	1438

राज्यों को धनराशि का आवंटन

1196. श्री पद्माचरण सामन्त सिंहार : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को धन राशियों का आबंटन करने के बारे में मूल सिद्धांत क्या है; और

(ख) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के लिए कोई विशेष मापदंड है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन गाडगील फार्मूला के आधार पर किया जाता है। इस फार्मूले के सिद्धांत के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एक मुक्त

व्यवस्था की जाती है और शेष राज्यों को निम्न प्रकार से बाकी राशि का आबंटन किया जाता है :—

(1) जन संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ;

(2) जिन राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है उन्हें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 10 प्रतिशत ;

(3) कराधान के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर 10 प्रतिशत;

(4) बड़ी सिंचाई और बिजली स्कीमों को जारी रखने के लिए 10 प्रतिशत; और

(5) राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए 10 प्रशितत

पहाड़ी और जनजातीय तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है। इसके अलावा विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और सहायता और सहायता करने वाली अन्य विदेशी एजेंसियों से वित्त प्राप्त करने के लिए चुनी गई राज्य योजना स्कीमों को अलग से सहायता दी जाती है। योजनेतर व्यय के लिए वित्त आयोग, जिनका गठन पांच वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए, अपेक्षित संसाधनों का आबंटन करते हैं।

(ख) गाडगील फार्मूले में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि कुल केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को दिया जाता है, जबकि विशेष समस्याओं के आधार पर 10 प्रतिशत और सहायता वितरित की जाती है। योजनेतर व्यय के लिए संसाधनों का आबंटन करते समय वित्त आयोग राज्यों के विकास की स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं।

चुंगी शुल्क समाप्त करना

1197. श्री दौलत राम सारप : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ऐसी योजना मंजूर की है जिसके अनुसार नगर पालिकाओं द्वारा लिया जाने वाला चुंगी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा और यदि हां, तो कब तक और इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इससे नगर पालिकाओं को होने वाले घाटे की पूर्ति सरकार करेगी और यदि हां, तो किस प्रकार ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, नहीं। चुंगी शुल्क की समाप्ति के प्रश्न पर [गहराई से अध्ययन किया जाना है क्योंकि यह स्थानीय संस्थाओं के राजस्व का एक बहुत बड़ा स्त्रोत है। अतः चुंगी शुल्क की समाप्ति के कारण राजस्व की हानि के लिये इन संस्थाओं को मुआवजा देने के लिये अर्थोपाय ढूंढने होंगे।

चूंकि इसमें कई उलझनें हैं अतः वह समय बताना संभव नहीं है कि कब मामले में अंतिम निर्णय किया जाता है और उसके बाद चुंगी शुल्क समाप्त किया जाता है।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में विनयगढ़ में ब्राह्मनी नदी पर पुल का निर्माण

1198. श्री डी० अमात : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में विनयगढ़ में ब्राह्मनी नदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) उसके लिये कुल कितनी व्यवस्था की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण और जांच की जा रही है और जब ये पूरे हो जायेंगे तब इस परियोजना के लिये बीनायगढ़ के निकट ऐसे स्थान को अंतिम रूप दिया जायेगा जो तकनीकी रूप से सबसे उपर्युक्त होगा । पहुंचमार्गों सहित पुल की अनुमानित लागत 2.3 करोड़ रु० होगी और कार्य के अगले 5 वर्षीय योजना काल में शुरू किये जाने की संभावना है ।

भारतीय समवक्षम कामगार संघ, पुणे का अभ्यावेदन

1199. श्री आर० के० महालगी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय समवक्षम कामगार संघ केन्द्रीय आयुध डिपो, पुणे (महाराष्ट्र) द्वारा अगस्त 1973 में अपनी मांगों को लेकर भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित अभ्यावेदनों की एक प्रति प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन आठ मांगों में से प्रत्यक के बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या संबंधित विभागों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है तथा कब सूचित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में संभवत: कब कार्यवाही की जायगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां । भारतीय समरक्षण कामगार संघ, केन्द्रीय आयुद्ध डिपो, देहू से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आठों मांगों की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को बोनस देना ।

(2) आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकना और मंहगाई भत्ते को शत-प्रतिशत वास्तविक मूल्य वृद्धि से जोड़ना ।

(3) डिपो के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने में प्राथमिकता

उपर्युक्त तीनों मांगें अखिल भारतीय आधार की हैं और इनका निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना है, इसलिए इन मांगों को 4-1-77 को भारत सरकार के संबंधित मन्त्रालयों को विचारार्थ भेज दिया गया है।

(4) आपात स्थिति के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली

पिछली आपात स्थिति के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गए कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(5) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत समयोपरि भत्ते की ग्राह्यता।

संबंधित लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों की सलाह से मामले पर विचार किया जा रहा है।

(6) केन्द्रीय आयुध डिपो, देहू में काम की कमी के फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में कमी।

इस समय डिपो में काम के घटने की कोई आशा नहीं है।

(7) डिपो के लिए जिन ग्रामीणों की भूमि ली गई थी, उन्हें नौकरी पर लगाना

1940 में भूमि अधिग्रहीत करते समय ग्रामीणों को उपर्युक्त मुआवजा अदा कर दिया गया था। उन लोगों को यथा सम्भव-रूप से नौकरी भी दी गई थी। इस लिए उन्हें अब और नौकरी दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(8) चोरी के मामलों की जांच

मामला विचाराधीन है।

भूतपूर्व मिजो विद्रोहियों का पुनर्वास

1200. डा० आर० सेथुरमन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन छिपे भूतपूर्व मिजो व्यक्तियों ने आत्म-समर्पण कर दिया अथवा जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किये जाने के बाद बाहर आ गये हैं, उनके लिए अब तक मंजूर किए गए केन्द्रीय पुनर्वास अनुदान के तथ्य और आंकड़ें क्या हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने भूतपूर्व छिपें व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा चुका है ; और

(ख) उन बहुत से मिजो राजनीतिक बंदियों से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो मिजोरम तथा उससे बाहर की भिन्न-भिन्न जेलों में हैं और जिन्हें आई० पी० सी० 121 के आरोप में आपात स्थिति से पहले तथा आपात स्थिति के दौरान गिरफ्तार किया गया था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मिजोरम में 1977–78 और 1978-79 वर्षों के लिए भूतपूर्व भूमिगत व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अक्तूबर,

1977 में 192.88 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस बारे में योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) मिजोरम में या बाहर की किसी जेल में इस समय कोई राजनैतिक बंदी नहीं है। जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए थे, उनका सम्बन्ध भूमिगत मिजो राष्ट्रीय मोर्चे से था और उन पर विशिष्ट अपराधों के आरोप हैं।

मध्य प्रदेश के विकास के लिए धन का नियतन

1201. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि नियत की गई है।

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए इस के लिए नियत धनराशि बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में इस नियतन की प्रतिशतता क्या है और आगामी योजना में धनराशि का नियतन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रमुख आबंटन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से सहायता प्रदत्त केन्द्रीय स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करती है। इन स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को किए गए केन्द्रीय धनराशि के आबंटन, सभी राज्यों कुल आबंटन और अखिल भारतीय आबंटन के प्रतिशत के रूप में राज्य के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

यह दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश में इन कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आबंटन पर्याप्त है और उसके आकार तथा पिछड़ेपन के अनुरूप है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

केन्द्रीय स्कीमें	पांचवीं योजना के दौरान परिव्यय		
	मध्य प्रदेश	कुल	प्रतिशत
जन-जातीय उप-योजना	50.57	190.00	26
जन-जातीय विकास एजेंसी	3.55	12.00	30
सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	12.40	161.40	9
रियायती वित्त निवेश राज सहायता परिवहन राज सहायता		‡	

‡राज्यों को चुने हुए जिलों/क्षेत्रों के लिए धन आवंटित नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य से चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने/वर्तमान इकाइयों का काफी अधिक विस्तार करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आवधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग उद्यमियों को रियायती दरों पर वित्तीय सहयता दी जाती है। इसी प्रकार क्षेत्रों/जिलों में इस उद्देश्य से चुने गए उद्योगों को दी गई निवेश सहायता की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा कर दी जाती है।

SCHEME OF SETTING UP AND PROMOTION OF SMALL AND SUBSIDIARY INDUSTRIES

1202. SHRI NATWAR LAL B. PARMAR : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated by big industrial groups for setting up and promotion of small and subsidiary industries;

(b) the names of big industries which have so far extended their cooperation in setting up and development of subsidiary industries; and

(c) the procedure for obtaining assistance from big industries by the desirous persons for setting up subsidiary and small industries ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

THERMAL POWER STATION AT KAHALGAON, BHAGALPUR, BIHAR

†1230. SHRI RAMJI SINGH : Will the MINISTER OF ENERGY be pleased to state :

(a) the time by which the thermal Power Station near Kahalgaon (district Bhagalpur, Bihar) will be commissioned;

(b) the expenditure it will involve, the number of men likely to get employment therein, its power generation capacity and the time by which the work on it will commence and time by which it will be completed; and

(c) whether Government are aware of the power crisis in Bihar; if so, whether the Thermal Power Station at Kahalgaon will be given priority ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (c) While there is shortage of peaking capacity, there is no shortage of energy in Bihar. Power supply is disturbed because of poor performance of the thermal power stations. The installed capacity is adequate to meet the present demand and the projects sanctioned so far are adequate to meet the demand uptil 1982-83.

Project Report for a thermal station at Colgong has been received in Central Electricity Authority on 13-9-1977 and the same is under examination. The proposal will be considered along with other schemes which have been received from Bihar.

INSTALLATION OF TRANSFORMERS FOR ELECTRIFICATION IN JAIPUR

†1204. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the MINISTER OF ENERGY be pleased to state :

(a) whether two transformers were sanctioned to be installed in village Bariyal for electrification of Bondikui, Sikrai, Chosa etc. in Jaipur district (Rajasthan) under the rural electrification scheme; and

(b) the respective capacity of the above transformers and whether both the transformers have since been installed if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The rural electrification scheme covering Baswa, Sikrai and Dausa tehsils in Jaipur district in Rajasthan sanctioned by the Corporation in 1973-74 provides for installation of two transformers in village Bariyal Khurd in Baswa tehsil.

(b) The capacity of these two transformers is 100 KVA each. The Rajasthan State Electricity Board has intimated that one of these transformers has since been installed. The other transformer will also be installed later on the basis of load demand.

राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग

1205. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों से होकर निकलता है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कितनी है ; और

(ग) राजमार्ग के रखरखाव के लिए राज्य-वार कितनी वार्षिक धनराशि दी जाती है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांदराम): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई सूचित करने वाला विवरण अनुबंध I पर संलग्न है।

(ग) 1977-78 के बजट अनुमान में 22 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। अनुरक्षण और मरम्मत की आवश्यकताएं कई बातों पर निर्भर करती है अर्थात् भूमि, यातायात, वृष्टि भूमि की किस्म, पत्थर की खानों की दूरी बाढ़ क्षति की आवश्यकताएं तथा विशेष मरम्मत इत्यादि। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रा० रा० मार्गों के लिए अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए धन का आवंटन भी प्रत्येक राज्य के लिये अलग अलग किया जाता है। 1977-78 में राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिये उपलब्ध 22 करोड़ रु० की राशि में से 2055.86 लाख रु० का आवंटन अब तक किया जा चुका है। जैसा कि संलग्न अनुबन्ध II में दिखाया गया है। बकाया राशि आगे की बाढ़ तथा विशेष मरम्मत इत्यादि की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध रखी गयी है।

विवरण—1

प्रत्येक राज्य में मौजूदा रा० रा० की लम्बाई दिखाने वाला विवरण

क्र० संख्या	राज्य का नाम	कुल लम्बाई किलो मीटर में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2299
2.	असम	1468
3.	बिहार	2117
4.	चण्डीगढ़	24
5.	दिल्ली	72
6.	गोआ	229
7.	गुजरात	1352
8.	हरियाणा	681
9.	हिमाचल प्रदेश	630
10.	जम्मू व कश्मीर	641

1	2	3
11.	केरल	784
12.	कर्नाटक	1996
13.	मध्य प्रदेश	2670
14.	महाराष्ट्र	2861
15.	मणिपुर	211
16.	मेघालय	345
17.	नागालैंड	113
18.	उड़ीसा	1649
19.	पंजाब	913
20.	राजस्थान	2157
21.	सिक्किम	62
22.	तमिल नाडू	1749
23.	त्रिपुरा	200
24.	उत्तर प्रदेश	2328
25.	पश्चिम बंगाल	1419
	कुल :	28970

विवरण–2

1977–78 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए अब तक किए गए आवंटन सूचित करने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अब तक किए गए आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	162.46
2.	असम	124.86
3.	बिहार	279.16
4.	चण्डीगढ़	1.60
5.	दिल्ली	28.33
6.	गोआ	11.75
7.	गुजरात	116.14
8.	हरियाणा	83.04
9.	हिमाचल प्रदेश	36.65
10.	जम्मू व कश्मीर	6.25
11.	कर्नाटक	118.69

1	2	3
12.	केरल . .	56.55
13.	मध्य प्रदेश	122.37
14.	महाराष्ट्र	177.20
15.	मणिपुर .	28.73
16.	मेघालय .	22.81
17.	नागालैंण्ड	0.09
18.	उड़ीसा .	82.30
19.	पंजाब .	53.83
20.	राजस्थान	130.73
21.	तमिल नाड् .	121.11
22.	उत्तर प्रदेश	158.34
23.	पश्चिम बंगाल . .	117.09
24.	पांड़ में ब्रह्मपुत्र में फेरी सेवा . . .	6.35
25.	सीमा पथ विकास बोर्ड को मणिपुर और नागलैंड में रा०रा 39 के अनुरक्षण के लिए . .	9.43
	कुल :	2055.85

नौसैनिक अधिकारियों की समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति

1206. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं के अधिकारी लगभग 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो सकते हैं ;

(ख) क्या नौसैनिक अधिकारियों में समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में किस-किस रैंक के कितने नौसैनिक अधिकारी समय-पूर्व सेवा-निवृत्त हुए तथा उनकी समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रक्षा सेवा अफसर समय-पूर्व सेवा निवृत्ति का दावा किसी भी समय अपने एक आधिकार के रूप में नहीं कर सकते। समय-पूर्व सेवा निवृत्ति के अभ्यावेदनों पर उनके औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है और इसके लिए उनकी सेवा अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाता ।

(ख) मर्चेन्ट शिपिंग में रोजगार के अच्छे अवसरों की वजह से कुछ नौसैनिक अफसरों अवश्य ही समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति होना चाहते हैं ।

(ग)

	1975	1976	1977
रियर एडमिरल	1	3	1
कैप्टन	4	7	14
कमांडर	21	17	8
एल० सी० डी० आर० और उनसे नीचे	42	28	17
कुल . .	68	55	40

समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण

(क) पदोन्नति में अतिक्रमण होना।

(ख) करुणाजन्य आधार।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त होना।

(घ) स्वास्थ्य संबंधी आधार।

मिजो के साथ दिल्ली शांति समझौता

1207. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो नेता श्री लालडेंगा किसी न किसी बहाने समय ले रहे हैं और शांति समझौता क्रियान्वित करने को उत्सुक नहीं हैं;

(ख) क्या उनके साथ नये सिरे से वार्ता करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली शांति समझौते को उचित ढंग से क्रियान्वित करने के लिए क्या दृढ़ उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) इस मामले पर 27 जुलाई, 1977 को अल्प सूचना प्रश्न संख्या 25 के पूरक प्रश्नों के दौरान सदन में बहस की गयी थी। इसके प्रश्चात् श्री लाल डेंगा मुझ से मिल लिए हैं और प्रधान मंत्री से भी मिले हैं। बातचीत की प्रगति संतोषजनक है।

CIRCULAR REGARDING PROTECTION TO HARIJANS

1208. SHRI SUSHIL KUMAR DHARA : Will the MINISTER OF HOME AFFAIRS be pleased to refer to the circular issued by him to the States during the last week of August, 1977 for giving protection to the Harijans and state :

(a) the extent of its implementation in various States;

(b) the various incidents of atrocities committed on Harijans and weaker and backward sections of the society which have come to the notice of his Ministry after the issuance of the circular and the steps taken by the State Governments in this regard; and

(c) the steps taken by the State Governments for the implementation of suggestions given in the conference of Chief Secretaries of the State Governments just before August, 1977 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (c) The Home Minister had addressed the State Chief Ministers demi-officially on October 2, 1977 suggesting, interalia a review of administrative arrangements for giving protection to Harijans. This issue was also discussed in a conference of State Chief Ministers held in the last week of July, 1977. The subject matter falls within the jurisdiction of the State Governments, who take appropriate action whenever such incidents occur. However, the Central Government keeps in close touch with the State Governments in this matter and suggestions are sent from time to time to ensure that all possible protection is provided to the members of Scheduled Castes and other weaker sections of the society.

रूट नं० 91 पर दिल्ली परिवहन की बसें

1209. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक व्यस्तता के घण्टों में रूट नं० 91 पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बहुत ज्यादा भीड़भाड़ होने के बारे में त्रिनगर, दिल्ली के निवासियों से सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो भीड़-भाड़ कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या बस-सेवा की वास्तविक जरूरत का पता लगाने के लिए सरकार इस मार्ग पर सर्वेक्षण करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांदराम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) त्रिनगर में यातायात स्थिति पर बराबर नजर रखी जा रही है । सुबह के व्यस्ततम समय में इस रूट पर बसों म काफी भीड़-भाड़ रहती है। इस भीड़-भाड़ को कम करने के लिए इस रूट पर सुबह को तीन विशेष फेरों की पहले ही व्यवस्था की गई है ।

ANOMALIES IN THE PAY SCALES OF EMPLOYEES OF J.C.B. AND GOVERNMENT OF INDIA PRESS

1210. SHRI MAHI LAL : Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to refer to the replies given to Starred Question No. 163 and Unstarred Question No. 3306 on the 22nd June, 1977 and 13th July, 1977 respectively in regard to the recommendations of the Second Pay Commission on the anomalies in the pay scales of the employees of the J.C.B. and those working in the Government of India Press and state :

(a) whether the matter pending consideration since 1974 had been finally decided; and

(b) if so, the outcome thereof and if not, the reasons for the inordinate delay in this regard ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) The matter has been delayed because it requires detailed examination from all aspects and its possible repercussions elsewhere. However, efforts are being made to finalise it quickly.

PUBLICATION OF MINISTRY'S BOOKS IN HINDI

1211. SHRI MOHAN LAL PIPIL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of manuals, codes books containing rules etc., prepared in his Ministry;

(b) whether these manuals, codes etc., are required to be published in Hindi also in accordance with the policy of official language; and

(c) if so, the number of books published in Hindi and the reasons for not publishing the remaining books in Hindi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) A list is attached. [Placed in Library. *See* No. LT-1158/77].

(b) Yes, Sir.

(c) 64 Translation and publication of the remaining Manuals, etc. are at various stages.

SLOGANS RAISING DURING HEARING OF THE CASE KISSA KURSI KA

1212. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the MINISTER OF HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that when the accused in the 'Kissa Kursi Ka' case came to court, hired people had been brought from Aligarh and other places for raising slogans in their favour and that the said accused persons stayed in a famous hotel in Connaught Place run by the owner of an Export and Import firm which is connected with Shri Sanjay Gandhi; and

(b) the brief details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) No such information has been received.

(b) Does not arise.

सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, दिल्ली

1213. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **रक्षा** मंत्री सोलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, दिल्ली के कार्यकरण के बारे में वर्ष 1976 का प्रबन्ध प्रतिवेदन के बारे में 6 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 347 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखक ने प्रतिवेदन में उल्लिखित कुछ गोपनीय जानकारी डी० आर० डी० ओ० हैडक्वार्टर्स से इतर किसी अनधिकृत एजेंसी को दे दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है;

(ग) लेखक किस पद पर आसीन हैं उनको कितनी परियोजनायें सौंपी गई ह और गत तीन वर्षों में उन्होंने अलग अलग क्या योगदान दिया है; और

(घ) क्या लेखक को सौंपी गई परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1974-75 के दौरान, वह प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी की हैसियत से रक्षा इलैक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में सर्वो एण्ड कन्ट्रोल डिवीजन में डिवीजनल अधिकारी के पद पर था। उन्हें किसी स्वतन्त्र परियोजना का कार्य नहीं सौंपा गया था। एक गम्भीर दुर्घटना का शिकार हो जाने के कारण उन्हें अप्रैल 1975 से जनवरी, 1976 तक कोई ड्यूटी नहीं सौंपी गई थी। उन्हें सोलिड स्टेट फिजिक्स प्रयोगशाला, दिल्ली में

करुणाजन्य आधार पर 15 जनवरी, 1976 को तैनात किया गया था और वह वहां 19 फरवरी, 1977 तक रहे। वहां उन्हें किसी विशेष परियोजना पर नहीं लगाया गया था बल्कि उन्हें तकनीकी प्रबंध प्रभाग में प्रभारी अधिकारी की ड्यूटी दी गई थी। करुणाजन्य आधार पर प्रारम्भिक अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें पुनः अपनी मूल प्रयोगशाला अर्थात् रक्षा इलैक्ट्रानिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में फिर से नियुक्त किया गया। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर उन्हें वैज्ञानिक मूल्यांकन निदेशालय अर्थात् अनुसंधान एवं विकास मुख्यालय के एक निदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपने नए कार्यभार में उन्होंने अनुसंधान एवं विकास प्रबंध गोष्ठी के लिए कागज-पत्र तैयार करने में सहायता की थी। वह प्रतिष्ठान के पुस्तकालय के कार्यभारी अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें परियोजना का कुछ कार्य भी सौंपा गया है।

गैस टरबाइन का आयात करने के लिए आवेदन पत्रों को मंजरी

1214. **श्री एस० जी० मरुगय्यन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट कम्पनियों के गैस टरबाइनों को आयात करने के लिए अनेक आवेदन पत्र मंजरी के लिए काफी अर्से से केन्द्र के विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे सभी प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) गैस टरबाइनों का आयात करने के लिए प्राइवेट कम्पनियों का कोई भी आवेदन-पत्र मंजूरी के लिए विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सलाल में पन-बिजली विद्युत् परियोजना का निर्माण

1215. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चनाब नदी पर सलाल में पन-बिजली विद्युत् परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में पाकिस्तान और हमारे देश के बीच विवाद हल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीपी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जा रहा है।

HOUSES FOR HARIJANS

1216. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the MINISTER OF HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration any proposal for the construction of new houses for Harijans in order to improve their housing conditions in the country; and

(b) if so, the amount proposed to be provided for the purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : a) and (b) The following Housing Schemes in order ot improve the housing conditions of Harijans are already in operation. The amount proposed to be provided for the purpose during the year 1977-78 is also indicated below :—

1. Housing programmes under the welfare of Backward Classed Sector provide for subsidies/grants/loans for construction of houses to Backward Classes including the Harijans. The outlays proposed by the State Governments for the year 1977-78 under the above programme amount to Rs. 598.95 lakhs.

2. Schemes under minimum needs programmes and other Social Housing Schemes sponsored by the Ministry of Works and Housing in the State Sector Programme, benefit, among others, the Harijans also. The approved outlays for these schemes for the year 1977-78 are Rs. 128.33 crores.

ARREST OF PAKISTANI SPIES

1217. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Pakistani spies arrested during the last one year; and

(b) the steps being taken by Government to deal with foreign spies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) While information from the State of Jammu and Kashmir, Rajasthan and West Bengal and the Union Territory of Mizoram is awaited, material received from the remaining States and Union Territories show that 13 Pakistani spies were arrested during the year 1-11-1976 to 31-10-1977.

(b) The security agencies at the Centre and the States maintain constant vigilance and appropriate steps are taken to check espionage activities. The foreign spies are prosecuted under the provisions of the Official Secrets Act.

REPAIRS OF NATIONAL HIGHWAY-30

1219. SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no repairs have been done to National Highway-30, from Patna to Mohania, for years together and the new construction being made from Arrah to Mohania has stopped for years together;

(b) whether the width of the said road from Patna to Arrah is also not as much as that of a National Highway and big pits have been formed on the sides of the road as a result of which a danger is apprehended for the vehicular traffic; and

(c) if so, the suitable action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (c) Perhaps the Hon'ble Member is referring to the non-improvement of the Patna-Arrah-Sasaram Section of National Highway No. 30 in Bihar. In this connection it may be explained that this length being narrow, congested and flanked by numerous villages and the Arrah-Sasaram narrow gauge railway line is planned to be replaced by a new alignment which would terminate at Mohania instead of at Sasaram thus reducing the distance from the Varanasi side. In the first phase the 115 kilometre long alignment between Arrah and Mohania has been sanctioned at an estimated cost of Rs. 644 lakhs and though the progress on the works has been somewhat slow because of delay in land acquisition, difficult accessibility, remoteness of quarries. dearth of contractors etc. the works have not stopped and are going on. About six bridges and a few culverts on this new alignment remain to be sanctioned and for these estimates are being expedited.

In the meantime the route operating is Patna-Danapur-Maner-Bihta-Arrah-Bikramganj-Sasaram and this route though narrow and congested, specially upto Maner, is being fairly maintained to serve the traffic. Besides the annual maintenance and repairs, the Central Government have sanctioned special repairs/flood damage repair estimates to the tune of Rs. 62.00 lakhs on this route during the last three years and most of these works are complete.

भारत से चुराई गई कला वस्तुएं

1220. **श्री अनन्त दवे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से चुराई गयी कितनी अमूल्य कला-वस्तुएं संयुक्त राज्य अमरीका पहुंच गयी हैं ;

(ख) ऐसी कितनी कला-वस्तुएं अमरीका के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित की जा रही हैं;

(ग) इन कला-वस्तुओं को देश में वापस लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी और इन प्रयत्नों में कितनी सफलता मिली , और

(घ) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 38।

(ख) 22 ।

(ग) और (घ) बांगिया साहित्य परिषद्, कलकत्ता की भगवान विष्णु की एक कांसे की मूर्ति तथा विष्णु की दूसरी रत्नजटित मूर्ती 15 जनवरी, 1965 को अथवा उसके लगभग चुरायी गयी पायी गयी थी । भगवान विष्णु की कांसे की मूर्ती को संयुक्त राज्य अमेरिका में फाइन आर्ट्स के बोस्टन म्यूजियम में पायी गयी थी। उपयुक्त अभ्यावेदनों पर इसे 1974 में वापस किया गया था और बांगिया साहित्य परिषद् को लौटा दिया गया था। तमिल नाडु के नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ती भी जो भारतीय कला की अमूल्य कृति है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और समझौते के परिणाम स्वरूप, उसे 10 वर्ष बाद भारत को लौटायी जाएगी । उक्त विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय अप्रवृतीय कानून लागू होने के कारण, चुरायी गयी कला कृतियों के वापस करने का कार्य बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से, भारत ने 1970 के यूनेस्को कनवेंशन को हाल में अभिपुष्ट किया है जिसके अन्तर्गत विदेश में पायी गयी हमारी पुरातन वस्तुएं अनुसमर्पित देशों से पुनः प्राप्त की जा सकें। तथापि, यह कनवेंशन भविष्य प्रभावी है तथा पूर्वव्यापी नहीं है । इसी बीच, पुरातत्व तथा कला निधियों में निर्यात नियंत्रण करने के लिए और उनमें तस्करी तथा जालसाजी के कार्य को रोकने के लिए पुरातत्व तथा कला निधि अधिनियम, 1972 बनाया गया है।

MICRO-PROJECTS LAUNCHED IN ADIVASI AREAS

1221. SHRI CHHABIRAM ARGAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any micro-projects have been launched in Adivasi areas for all round development of Adivasis;

(b) if so, the Adivasi areas, State-wise, where these projects have been implemented and the names of Development Blocks where they have not been implemented;

(c) the funds, item-wise and state-wise, provided upto 31st October, 1977 for these micro-projects;

(d) the funds provided during the past two years for these projects, the funds actually spent on the development blocks of States thereunder and the funds that remained unutilized and lapsed; and

(e) the reasons for not utilizing the funds allocated and the steps taken to ensure proper implementation of the projects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) Eleven micro-projects were taken up in Madhya Pradesh in those areas where large compact tribal area was not available. These Projects are (i) Karahal, (ii) Sailana, (iii) Khalwa, (iv) Maheshwar, (v) Bichuwa, (vi) Kurai. (vii) Kesla, (viii) Kusumi, (ix) Chowki, (x) Dondi, and (xi) Jaisingnagar. These micro-projects have since been designated as Integrated Tribal Developmental Projects. Developmental programmes have been started in all these Projects.

(c) to (e) The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

संवाददाताओं को जानकारी देते समय सूचना अधिकारियों द्वारा अनुपालित मार्गदर्शी सिद्धांत

1222. डा० बापू कालदते: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में प्रधान मंत्री के प्रैस सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं द्वारा व्यक्त की गई उनकी शिकायतों की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सूचना अधिकारियों द्वारा संवाददाताओं को जानकारी दिये जाते समय किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाता है ;

(ग) क्या सूचना अधिकारी जानकारी को अपने मित्र संवाददाताओं तक ही सीमित रखते हैं तथा जानकारी प्राप्त करने को उनके पास आने वाले अन्य लोगों को देने से इन्कार कर देते हैं ;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी सूचना अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) यह प्रश्न स्पष्टतया 1 सितम्बर, 1977 के प्रधान मंत्री के प्रैस सम्मेलन में की गई इस शिकायत से सम्बन्धित है कि मंत्रियों के प्रेस सम्मेलनों के लिए संवाददाताओं को आमन्त्रित करने के मामले में भेदभाव बरता जाता है।

तभी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विशिष्ट प्रेस सम्मेलनों में कुछ या थोड़ी संख्या में संवाददाताओं को आमंत्रित करना जानी मानी प्रथा है और यह शिकायत का कारण नहीं हो सकती।

(ख) सूचना अधिकारियों का यह सामान्य काम है कि वे नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में संवाददातओं को सूचना दे कर तथा हैंड आउटों के माध्यम से यथा संभव अधिक से अधिक प्रचार करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ATOMIC POWER HOUSE AT NARORA

1223. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) the present progress in regard to the atomic power house being built at Narora in Bulandshahr District and when will it be completed; and

(b) the megawatt electricity to be generated there ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORAR JI DESAI) : (a) Construction of the main plant building is in progress. Major nuclear equipment and turbo-generator are under manufacture. Detailed designs of the various systems are in progress. The first unit is expected to attain criticality by December 1982 and the second unit by December 1983. Full commissioning can be expected a few months thereafter.

(b) Each unit is designed to generate 235 MW of electricity.

सेवा निवृत्ति के बाद अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

1224. **श्री इब्राहीम सुलेमाना सेट**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मनोराम बागड़ी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संवर्ग और गैर-संवर्ग पदों पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति के बारे में भारत सरकार ने कोई कसौटी निर्धारिती की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1 जुलाई, 1977 के बाद पुनर्नियुक्त किये गये ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिनमें आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० अधिकारी भी शामिल हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों में यह व्यवस्था है कि सेवा में वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति केवल बहुत ही आपवादिक और विशेष परिस्थितियों में न्यायोचित होगी। सेवा में ऐसी वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति गैर-वैज्ञानिक/गैर-तकनीकी पदों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद नहीं दी जायेगी। सेवा में वृद्धि किए जाने अथवा पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति के लिए अभिभावी विचार यह है कि यह स्पष्टत: लोकहित में होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त उसे निम्नलिखित दो शर्तें पूरी करनी चाहिए :—

(1) यह कि अन्य अधिकारी उस कार्य को करने के लिए पूर्णत: परिपक्व न हों; अथवा

(2) यह कि सेवा निवृत्त होने वाला अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता वाला हो।

(ख) ऐसे आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारियों के ब्यौरे, जिन्हें पहली जुलाई, 1977 के बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन पुनर्नियुक्त किया गया है, एकत्रित किए जा रहे हैं और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

कोयले की सप्लाई में बाधा के कारण सीमेंट सन्यन्त्रों का बन्द होना

1225. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की सप्लाई में बाधा आने के कारण दक्षिण में स्थित 18 सीमेंट कारखानों को बन्द होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, उनको बन्द होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) दक्षिण में अधिकांश सीमेंट संयत्रों में कोयले के स्टाक की स्थिति इस समय संतोषजनक बतायी जाती है। फिर भी, हाल के तूफान के कारण रेलमार्ग के टूट जाने से पाइपलाइनों में कोयले की सप्लाई की स्थिति अस्थायी तौर पर अस्त-व्यस्त रही है। दक्षिण में सीमेंट संयंत्रों में कोयले के अभाव में उत्पाद पर प्रभाव न पड़ने देना सुनिश्चित करने के लिये समुद्र, रेल व सड़क परिवहन के सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन संयंत्रों की सप्लाई पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

'इस्कोन' की गतिविधिया

1226. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि :'इटरनेशनल सोसाइटी फार कृष्णा कांसियसनैस' (इस्कोन) का भारत-बंगलादेश सीमा पर एक 'ठाकुर हरिदास श्रीमन्दिर' स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रस्तावित स्थल पैट्रोपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रीय पड़ताल चौकी के बहुत ही निकट है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि 'इस्कोन' का सी० आई० ए० सम्बन्ध होने का सन्देह है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठन को ऐसे सामरिक महत्व स्थल पर अपना मन्दिर स्थापित करने की मंजूरी किस ने दी थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1976 में इन्टर नेशनल सोसाइइटी फार कृष्णा कांसियसनैस का हरिदासपुर में एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा दान में दिये जाने के लिए सहमत होने पर 3 बीघे भमि पर एक मन्दिर स्थापित करने का प्रस्ताव था जो भारत बंगला देश सीमा से 1–1/2 किलोमीटर दूर पेट्रो पाल पड़ताल चौकी के पास स्थित है।

(ग) यह सुझाने के लिए सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि भारत में इस्कोन यूनिटों का सी० आई० ए० से संबंध है।

(घ) इस संबंध में सूचना राज्य सरकार से आनी है।

पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना और उसका उपयोग

1227. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्टी के लिए पैसा इक्ट्ठा करने और उसके उपयोग के बारे में जांच करने के लिए एक स्वतन्त्र तन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) जब कि पार्टी के पैसे इक्ट्ठे करने और उसके उपयोग की जांच करने के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, सरकार इस बात की इच्छुक है कि राजनैतिक दलों द्वारा धन इक्ट्ठा करने, उससे सम्बन्धित खातों को रखने, ऐसे लेखा परीक्षित खातों की लेखा-परीक्षा तथा प्रकाशन से सम्बन्धित मामलों की जांच की जानी चाहिए।

आर्थिक ढांचे के शीर्ष के रूप में भारी एवं बड़े उद्योग

1228. **श्री राज केशर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि, हस्तकलाओं, ग्रामीण तथा घरेलू उद्योगों को आधार मानते हुए आर्थिक ढांचे के शीर्ष स्थान पर रखना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जो कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज : (क) और (ख) सरकार की नीति एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार करने की रही है जिसमें उद्योगों के विभिन्न क्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरक भूमिका निभा सकें। इस नीति के अनुसरण में औद्योगिक क्षेत्र के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए मूलभूत, अत्यावश्यक और सामाजिक महत्व की हैं का पता लगाया गया है और एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों को इन क्षेत्रों में प्रविष्ट होने की अनुमति होगी। छोटे और मझौले उद्यमियों को एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों के लिए क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में भी क्षमता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अनुपूरकता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से सरकार की नीति एक दूसरे पर निर्भर रह कर पारस्परिक लाभ प्राप्त करने वाले बृहत्तर और लघुतर उद्योगों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की रही है।

छिपे नागाओं द्वारा कर एकत्र करने का अभियान

1229. **श्री एम० राजगोपाल रेड्डी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छिपे नागाओं ने अपने भूमिगत कार्यों के लिए धनराशि जुटाने हेतु कर एकत्र करने का अभियान तेज कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् जी। एसे कोई समाचार नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

1230. **श्री शिव सम्पतिराम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को सरकार कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए कितनी वार्षिक सहायता देती है;

(ख) क्या समिति को भारी घाटा हो रहा है ;

(ग) संचित घाटे को कुल राशि कितनी है और गत तीन वर्षों प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ है;

(घ) समिति ने खर्च को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयत्न किए हैं जिससे घाटे पर रोक लगाई जा सके ; और

(ङ) क्या समिति के कार्य कलापों की जांच करने और इस भारी घाटे के लिए उत्तर-दायित्व निर्धारित करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटील) : (क) समिति के प्रवर कमचारियों के वेतन के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली वार्षिक सहायता की राशि लगभग रु० 1.5 लाख है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) वर्ष 1974-75 तक संचित घाटे की कुल राशि रु० 10.66 लाख थी । वर्ष 1974-75 में, समिति को रु० 1.83 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ था । जबकि वर्ष 1975-76 के अपरोधित लेखे (अनन्तिम) से रु० 6.06 लाख के शुद्ध घाटे का पता चलता है, वर्ष 1976-77 को लेखा-परीक्षा अभी की जानी बाकी है और इस प्रकार इस वर्ष के घाटे (अथवा लाभ) के आंकड़े इस स्टेज पर नहीं दिए जा सकते ।

(घ) समिति द्वारा कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती, कार्यालय खर्च में कमी, व्यापार की विविधत दिशा में फैलाने, सामान-सूची पर प्रभावी नियंत्रण, बिक्री योग्य वस्तुओं का तत्काल निपटान, निकासी बिक्री आयोजित करने, वस्त्र बिक्री के कुछ काउटरों की जो किफायती साबित नहीं हुए, बन्द कर देने जैसे विभिन्न उपायों का सहारा लेकर अपने खर्च पर रोक लगाए जाने के लिए प्रभावशाली तथा संगठित प्रयत्न किए गए हैं ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूल साईकल इवैलुएशन कांफ्रेंस

1231. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1977 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूल साईकल वैलुएशन कांफ्रेंस द्वारा स्थापित कार्यकारी दलों में सरकार ने भाग लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भाग लेने का यह आशय है कि भारत परमाणु प्रोद्योगिकी के विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को स्वीकार करता है जिसे परमाणु शक्ति सम्पन्न देश परमाणु शक्ति रहित देशों पर थोपना चाहते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो हमारी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास पर इस भाग लेने से क्या अन्य पाबन्दियां लगेंगी ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ। सरकार न हाल ही में, अक्तूबर, 1977 में सम्पन्न हुए इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूअल इवैलुएशन सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लिया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इवैलुएशन सम्बन्धी अध्ययन में हमारे भाग लेने के साथ न तो कोई समय की सीमा सम्बन्धी शर्त जुड़ी है न ही इससे हमें न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में किसी प्रकार से वचन-बद्ध हो जाते हैं।

औद्योगिक उत्पादन की विकास दर

1232. **श्री हितेन्द्र देसाई**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तिमाहियों में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर क्या रही?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : जिस पिछली अंतिम तिमाही के आंकड़े केन्द्रीय संगठन से प्राप्त हुए हैं। वे अप्रैल-जून 1977 के हैं। 31 मार्च और 30 जून, 1977 को समाप्त दोनों तिमाहियों की औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्रमश: 8.8 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत है।

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज आफ इन्डिया द्वारा लघु उद्योगों का अध्ययन

1233. **डा० हेनरी आस्टिन**
श्री ओ० वी० अलगेशन } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लघु उद्योगों के बारे में अध्ययन कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज आफ इंडिया को सौंपने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो उनकी सौंपी गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालिज ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले पर भी विचार करेगा; और

(घ) वे सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेंगे?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया से विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय के कार्य तथा प्रबन्ध का अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

पांचवीं योजना से हुई प्रगति की पुनरीक्षा के लिए गठित कार्य दल

1234. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने और अगली योजना के लिए मुख्य योजना नीति पर विचार करने के लिए योजना आयोग में 21 कार्य दल गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दलों के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ये दल अपने प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत करेंगे ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) अलग-अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति की विवेचनात्मक समीक्षा करने के लिए और सरकार द्वारा घोषित रोजगार सर्जित करने तथा गरीबी घटाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अगली मध्यावधि योजना के लिए कार्य-नीतियों, नीतियों और कार्य क्रमों का सुझाव देने के लिए सरकार ने 83 कार्यकारी दलों का गठन किया है (सूची संलग्न है)। इन कार्यकारी दलों में सदस्यों का मनोनयन मंत्रालयों, राज्य सरकारों, तकनीकी विशेषज्ञों, आदि द्वारा किया जाता है। कार्यकारी दलों से अनरोध किया गया है कि वे अपने अंतरिम रिपोर्ट नवम्बर, 1977 के मध्य तक और अंतिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1977 के अंत तक प्रस्तुत कर दें।

विवरण

अगली पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में गठित किए गए कार्यकारी दलों की सूची

क्रम संख्या

1. भावी आयोजन

1. न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग की भाग के अनुमानों के संबंधित अभियान दल।

2. वित्तीय संसाधन

2. बचत, निवेष और वित्तीय संसाधनों से संबंधित

3. कृषि

3. बीज और वृक्षारोपण सामग्री के उत्पादन सहित फसल उत्पादन
4. कृषि प्रबंबंध और विस्तार
5. विस्तार शिक्षा और प्रशिक्षण
6. नियंत्रक क्षेत्र और विकास और चकबन्दी
7. लघु सिंचाई
8. मिट्टी और जल संरक्षण और भूमि उद्धार
9. निवेश (उर्वरक, कीटाणुनाषक और कृषि उपकरण) से संबंधित कार्यकारी दल
10. पशुपालन
11. मत्स्योद्योग
12. वनोद्योग
13. कृषि से संबंधित सांख्यकी और मांग तथा पूर्ति के अनुमान
14. एकीकृत ग्रामीण विकास
15. पंचायत राज
16. सहकारिता और ग्रामीण ऋण

17. कृषि तथा व्यवस्था और व्यवस्थित मंडियों की भूमिका
18. रेगिस्तान विकास
19. वृक्ष-रोपण (चाय, काफी, रबड़ और इलायची)
20. कृषि से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा
21. भूमि सुधार

4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

22. सिंचाई
23. बाढ़ नियंत्रण

5. बिजली

24. बिजली से संबंधित

6. उद्योग और खनिज

25. उर्वरक उद्योग
26. आरगेनिक रासायनिक उद्योग
27. इनआरगेनिक रासायनिक उद्योग
28. दवाइयाँ और औषधि
29. कोयला और लिगनाइट
30. लोहा और इस्पात
31. अलौह वर्ग की धातुएं
    (एल्यूमिनियम, ताबा, जस्ता और सीसा)
32. लौह अयस्क
33. परिवहन, कृषि से संबंधित और स्थलाकृति व्यवस्थित करने से संबंधित मशीनें
34. औद्योगिक मशीनों से संबंधित दल
35. विद्युत् शक्ति उपकरण दल
36. इलैक्ट्रानिक उद्योग
37. जहाज निर्माण और जहाजों की देखभाल
38. चीनी उद्योग
39. सीमेंट
40. चमड़ा उद्योग
41. कागज और गत्ता उद्योग
42. टायर और ट्यूब
43. वस्त्रोद्योग (हथकरघों और बिजलीचालित करघों सहित)
44. जूट वस्त्रोद्योग

45. कीटाणुनाशक उत्पादक उद्योग

46. पैट्रोलियम

47. पैट्रोकैमिकल के निर्माण की योजना तैयार करने से संबंधित कार्यकारी दल

7. ग्रामीण और लघु उद्योग

48. खादी और ग्रामोद्योग

49. रेशम उद्योग

50. हस्त शिल्प

51. लघु उद्योग

8. परिवहन और संचार

52. रेलवे

53. संचार

54. सड़क

55. सड़क परिवहन

56. अंतर्देशीय जल परिवहन

57. पत्तन

58. नौवहन

59. पर्यटन

60. नागरिक विमान सेवा (परिवहन)

61. मौसम विज्ञान

62. सूचना और प्रसारण

9. वैज्ञानिक अनुसंधान

63. विज्ञान और प्रोद्योगिक तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी दल।

64. अंतरिक्ष विभाग

65. परमाणु ऊर्जा —अनुसंधान और विकास

66. परमाणु ऊर्जा वि भाग के औद्योगिक उत्पादनों से संबंधित कार्यकारी दल।

10. शिक्षा

67. प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण

68. प्रौढ़ शिक्षा

69. व्यावसायिकीकरण

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

70. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

71. संगठित निजी क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार कल्याण

72. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार कल्याण

73. दवाओं और खाद्य सामग्री में मिलावट

74. देशी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी

75. निरोधक औषधियां और लोक स्वास्थ्य

12. आवास और शहरी विकास

76. आवास

77. शहरी विकास

78. जल पूर्ति

13. रोजगार और जनशक्ति आयोजन

79. महिलाओं को रोजगार

14. समाज कल्याण

80. समाज कल्याण

15. खंड स्तर योजना

81. खंड स्तर आयोजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए कार्यकारी दल

16. सांख्यिकी

82. छठी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की जाने वाली सांख्यिकीय स्कीमों को तैयार करने के लिए कार्यकारी दल

83. उत्तर-पूर्वी अंचल और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास के लिए कार्यकारी दल

टिप्पणी:— कई कार्यकारी दलों द्वारा स्थापित किए गए उप दल ऊपर की सूची में शामिल नहीं हैं।

मद्रास की फर्म से टायरों तथा ट्यूबों की खरीद

1235. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपनी बसों के लिए 1977 में मद्रास रबर फैक्टरी से 5000 टायरों तथा ट्यूबों की खरीद के बारे में इस बीच जांच कर ली है; और

(ख) जांच के क्या परिणाम निकले है और इस सौदे के लिये किन अधिकारियों को उत्तर-दायी ठहराया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1977 में दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों के लिए लगभग 5000 टायर और ट्यूब की सप्लाई के लिये सभी प्रमुख टायर निर्माताओं से टेन्डर मांगे। प्रथम दो निम्न भाव मैसर्स इन्चेक टायरस और मैसर्स मद्रास रबड़ फैक्टरी के थे। मैसर्स इन्चेक टायरस् के निम्न प्रस्ताव को दिल्ली परिवहन निगम के भंडार और क्रय समिति ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस फर्म द्वारा पहल दिये गये टायर संतोषजनक नहीं बताए गए थे। तदनुसार दूसरे निम्न फर्म मैसर्स मद्रास रबड़ फैक्टरी को आर्डर दिया गया। अतः किसी अधिकारी पर उत्तरदायित्व नियत कराने का प्रश्न नहीं उठता।

SETTING UP OF A PAPER MILL IN SAHABGANJ (SANTHAL PARGANA) OF NORTHERN BIHAR

1236. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Sabegrass is found in the hill area near Sahabganj (Santhal Pargana) of Northern Bihar which is used for manufacturing paper; and

(b) if so, whether Government propose to set up a public sector paper mill in this area ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) While Sabaigrass is established as a good raw material for paper making, the adequacy and sustained availability of this and other raw materials in the region for meeting the requirements of an economic sized paper mill have to be ascertained by detailed studies before the question of setting up a public sector paper mill can be considered.

पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी स्थान पर सोवियत रूस से आयातित डीजल जनेरेटिंग सेट लगाना

1237. **श्री के० एन० दास गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सिलीगुडी स्थान पर लगाने के लिए सोवियत रूस से पांच वर्ष पूर्व आयात किए गए 3.5 मेगावाट प्रति सेट क्षमता के दो डीजल जनेरेटिंग सेटों में से एक सेट जनरेटर के लिए कुछ आवश्यक पुर्जों की सप्लाई न किए जाने के कारण अभी भी चालू नहीं किया जा सकता ; और

(ख) यदि हां, तो ये पुर्जे अभी तक हासिल क्यों नहीं किए गए हैं जबकि उत्तरी बंगाल में बिजली की भारी कमी है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) एक डीजल उत्पादन संयंत्र जुलाई, 1977 में चालू कर दिया गया था तथा दूसरे यूनिट को चालू करने का कार्य कुछ गायब संघटकों के अभाव के कारण रुका हुआ है। निर्माण स्थल पर सामग्री की जांच करने पर इसका पता चला था। सोवियत रूस से अन्तिम खेप का माल निर्माण स्थल पर अगस्त, 1976 में ही पहुंचा था / गायब संघटकों के प्राप्त न होने के बारे में सप्लाई कर्ता को जुलाई, 1976 में सूचित कर दिया गया था। पता चला है कि निर्माता ने इन मदों का निर्माण करना बंद कर दिया है और गायब मदों के निर्माण की व्यवस्था विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के उपरान्त

ही रशियन ट्रेड रिप्रेसेन्टेशन के साथ की जा सकी है। प्रत्यय-पत्र की सुस्थिति होने के बाद ही, गायब संघटकों का पोत लदान नवम्बर, 1977 में आने की संभावना है। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि सम्भवत: वह अगले लगभग तीन महीने में सेट को चालू कर सकेंगे।

LANDSLIDE AT TAWAGHAT IN PITHORAGARH DISTRICT

1238. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether dwellers of several villages were killed and many camps of B.S.F. were devastated by the landslides on 15th August, 1977 at Tawaghat in Pithoragarh district which forms border with Nepal and is confluence of Kaliganga and Dhaulinadi; and

(b) if so, whether Government have taken steps to investigate the causes of this landslide ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) Information is being collected from the concerned authorities and will be laid on the Table of the House, as soon as it is received.

कोयले को तेल में बदलने के सम्बन्ध में गठित समिति का प्रतिवेदन

1239. **श्री सौगत राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले को तेल में परिवर्तन करने के बारे में सरकार द्वारा गठित समिति नें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) जी हाँ, रिपोर्ट की मूख्य बातें अनुबंध में दी गई हैं।

(ग) सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस समय कोयले को तेल में बदलने का संयंत्र लगाने के प्रस्ताव पर आगे अमल किया जाए।

विवरण

(1) "दल" कोयले को तेल में बदलने की विभिन्न प्रौद्योगिकियों की जांच करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय कोयल के लिए यह विधि अनुकूल रहेगी कि इसका पहले गैसीकरण किया जाए जिसके बाद गैस को कृत्रिम ईंधन में बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाए। यह विधि बीच के अंकों (डीजल तेल और केरोसिन) के अधिकतम उत्पादन के लिए अपनाई जा सकती है।

(2) दल ने यह सिफारिश की है कि इस प्रकार का पहला संयंत्र रानीगंज कोयला क्षेत्र में और दूसरा सिंगरौली में लगाया जाए।

(3) इस प्रकार के प्रतिवर्ष एक मिलियन टन कृत्रिम कच्चा तेल उत्पादन की क्षमता वाले संयंत्र की अनुमानित पूंजी लागत लगभग 700 करोड़ रुपए बताई गई है। इस परियोजना में विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 150 करोड़ रुपए होगा।

(4) "दल" ने यह सिफारिश की है कि उत्प्रेरकों की आवश्यकता देश में ही पूरी करने के लिए नए नए उत्प्रेरकों का विकास किया जाए।

(5) दल ने यह सिफारिश भी की है कि कैरोसिन और तरल पेट्रोल गैस के स्थान पर प्रयोग के लिए घरेलू कोक के उत्पादन हेतु अनेक निम्नतापीय कार्बनीकरण संयंत्र लगाए जाएं। उनके उप उत्पादनों का प्रयोग रसायन निकालने अथवा जमाकर कृत्रिम ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है।

श्री फिजो और प्रधानमन्त्री के बीच एक अन्य बैठक के लिए प्रयत्न

1240. **शंकर सिंह जी वाघेला**
श्री यशवन्त बोरोले } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं के भूमिगत नेता प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और स्वयं निष्कासित विद्रोही नेता श्री फिजो के बीच दूसरी बैठक के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हैं ;

(क) क्या इस सम्बन्ध में भूमिगत विद्रोही नागाओं के कुछ प्रमुख नेताओं ने राज्यपाल श्री एल० पी० सिंह से मुलाकात की ;

(ग) क्या विद्रोही नागाओं के नेताओं ने राज्यपाल से यह कहा है कि श्री फिजो की भावनाओं में परिवर्तन आया है ; और

(घ) भूमिगत विद्रोही नागा नेताओं के प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 21 जुलाई, 1977 को नागालैण्ड शान्ति परिषद द्वारा पारित एक प्रस्ताव में सर्वसम्मति से यह व्यक्त किया गया था कि प्रधान मंत्री और श्री फिजो के बीच एक दूसरी बैठक यथा शीघ्र आयोजित की जाए।

(ख) कुछ भूतपूर्व भूमिगत नेता 27 सितम्बर, 1977 और 24 अक्तूबर, 1977 को राज्यपाल से मिले थे। किन्तु उन्होंने प्रधानमंत्री और फिजो के बीच दूसरी बैठक के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया था।

(ग) उन्होंने कोई ऐसा निश्चित बयान नहीं दिया था।

(घ) सरकार के पास यह विश्वास करने के कोई कारण नहीं है कि फिजो के रुख रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है।

बालासौर, उड़ीसा में चांदबली बन्दरगाह

1241. **श्री जेना बैरागी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदबली एक प्राकृतिक बन्दरगाह था जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नौवहन मांग की पूर्ति करता था ;

(ख) क्या सरकार की क्रियाशीलता की कमी के कारण इसका उपयोग एक लघु बन्दरगाह के रूप में भी संभव नहीं है।

(ग) क्या स्थान की स्थिति एवं वहां पर उपलब्ध स्थान को देखते हुए बालासोर के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के लिये आर्थिक विकास के मार्ग खोलने हेतु इस परियोजना को प्रारम्भ करने के तत्काल कदम उठाये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या उचित कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पत्तन को 1960-61 तक छोटे तटीय जहाजों के उतार / तथा लदान के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। पूर्वी तट के साथ साथ रेल की सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप पत्तन पर यातायात बहुत घट गया तथा पत्तन का प्रयोग नहीं किया गया।

(ख),(ग) तथा (घ) छोटे पत्तनों की विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चांदबली पत्तन पर यातायात की उपलब्धि अनिश्चित है यद्यपि पत्तन के पास विकास की तकनीकी शक्यता उपलब्ध है। उन्होंने यह भी सलाह दी है कि चांदबली के बहुत निकट धमरा के स्थान पर एक मत्स्य घाट कम्पलैक्स बन रहा है।

महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद

1242. **श्री के० मालन्ना**
एडुआर्डो फलीरो
सी० के० जाफर शरीफ } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने कोई कदम उठाया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोआ के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) :(क) जबकि सरकार की पूरी इच्छा है कि विवाद यथाशीघ्र हल हो जाना चाहिए, इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए वर्तमान समय उचित नहीं हो सकता है जब तक कि सम्बन्धित राज्य सरकारें परस्पर स्वीकार्य प्रस्ताव नहीं लाती हैं।

(ख) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

LIST OF LEADERS AND PROMINENT PERSONS FOR BROADCASTING THEIR TEACHINGS

1243. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the list of the leaders and prominent persons of national level in whose memory, their life sketches and teachings are highlighted on All India adio on special occasions;

(b) whether Government realise that this list is incomplete as it does not include the names of great personalities; and

(c) whether Government would include the names of other great personalities such as Swami Dayanand, who worked for the awakening and upliftment of India in order to make the list complete ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVAN) : (a) The list is placed on the table of the House.

(b) and (c) Yes, Sir. The list is being reviewed.

STATEMENT

LIST OF ANNIVERSARIES OF POLITICAL LEADERS

I. *Anniversaries of the leaders observed annually,*

1. Mahatma Gandhi (Both Birth & (death) .	2-10-1869	30-1-1948
2. Pt. Jawahar Lal Nehru (Birth & Death) .	14-11-1889	27-5-1964
3. Lal Bahadur Shastri (Birth & Death)	2-10-1904	11-1-1966
4. Netaji Subhas Chandra Bose (Birth)	23-1-1897	
5. Sardar Vallabhbhai Patel (Birth) .	30-10-1875	
6. Dr. Rajendra Prasad (Birth) . .	3-12-1884	
7. C. Rajagopalachari (Birth) . . .	8-12-1877	
8. Maulana Abul Kalam Azad (Death) .		22-2-1958
9. Dr. Zakir Hussain (Death) . .		3-5-1969
10. Lokmanya Tilak (Death)		1-8-1920

II. *Anniversaries of the leaders observed on five yearly basis :*

1. M. G. Ranade	(Birth)	18-1-1842
2. T. R. Phukan	Do.	Mag -8, according to Assamese Almanac (Jan. 1877)
3. Lala Lajpat Rai .	Do.	28-1-1865
4. P. S. Sivaswami Ayyer .	Do.	7-2-1864
5. C. F. Andrews . . .	Do.	12-2-1871
6. Motilal Nehru . . .	Do.	6-5-1861
7. Salem Vijayaraghavachariar .	Do.	18-6-1852
8. Gopal Krishna Gokhale .	Do.	9-5-1866
9. Sarojini Naidu . .	Do.	13-2-1879
10. Phirozeshah Mehta .	Do.	4-8-1845
11. S. Satyamurthy .	Do.	19-8-1887
12. Dadabhai Naoroji	Do.	4-9-1825
13. Srinivasa Shastri .	Do.	22-9-1869
14. Vithalbhai Patel	Do.	27-9-1873
15. Annie Besant .	Do.	1-10-1847
16. U. Gopabandhu Das	Do.	9-10-1877
17. C. R. Das . .	Do.	5-11-1870
18. Surendranath Banerjee .	Do.	12-11-1848
19. Madan Mohan Malaviya	Do.	25-12-1861
20. Pt. Govind Vallabha Pant	Do.	10-9-1887
21. Dr. B. R. Ambedkar	Do.	14-4-1891
22. Kamaraj Nadar	Do.	15-7-1903

23. Kasturba Gandhi	Death	22-2-1944
24. Sardar Bhagat Singh	Do.	23-3-1931
25. Hakim Ajmal Khan .	Do.	29-12-1927
26· Shri Fakhruddin Ali Ahmed .	Do.	11-2-1977

पश्चिमी बंगाल में बिजली का संकट

1244. **श्री सी० आर० महाटा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में बिजली के गम्भीर संकट का पता है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त पत्रादि में तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुए बिचार-विमर्श में गैस टर्बाइनों का आयात करने संबधी उल्लेख है परन्तु गैस टर्बाइनों और डीजल सेटों का आयात करने के लिए उस सरकार से कोई निश्चित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन ने कलकत्ता में टीटागढ़ में विद्युत्त केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इस पर विचार किया जा रहा है।

कोचीन पत्तन कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

1245. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोचीन पत्तन के उन सभी कर्मचारियों के मामलों पर सरकार द्वारा फिर से विचार कर लिया गया है जिनको आपात स्थिति के दौरान अनिवार्यता सेवा निवृत्ति दे दी गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकलें ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : जी, हां। कोचीन पत्तन न्यास के तीन कर्मचारी जिन्हें आपातकाल के दौरान अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया था, के मामले की समीक्षा की गई और यह निश्चय किया गया कि उनमें से एक को बहाल किया जाए ।

अमरकटक तापीय बिजलीघर में बी० एच० ई० एल० टर्बो जेनरेटर सेट लगाने में विलम्ब

1246. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरकटक तापीय बिजलीघर में लगाये गये बी० एच० ई० एल० टर्बो जेनरेटर सेट के चालू होने में छः महीने का विलम्ब होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विलम्ब से कुल कितनी राशि की हानि होगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अमरकंटक ताप विद्युत्त केन्द्र में स्थापित 120 मेगावाट के भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के पहले टर्बो-जेनरेटर सेट को 11 सितम्बर, 1977 को प्रणाली से समकालित किया गया था। प्रदोलन संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए इस सेट को 14 सितम्बर, 1977 को हटा लिया गया था। इसके शीघ्र ही दुबारा प्रचालन में आने की संभावना है।

(ग) हानि की मात्रा बता सकना कठिन है। तथापि, नए चालू किए गए विद्युत्त उत्पादन यूनिट को सुस्थिर उत्पादन देने में सामान्यतया कुछ समय लगता है।

गुजरात में परमाणु विद्युत संयंत्र

1247. **अहमद एम० पटेल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निकट भविष्य में राज्य में परमाणु विद्युत्त संयंत्र की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) पश्चिमी क्षेत्र में एक परमाणु बिजलीघर के लिए उपयुक्त स्थल चुनने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति ने अपने प्रतिवेदन में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित कुछ स्थलों के नामों की सिफारिश की है। स्थल चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

LICENSED AND INSTALLED CAPACITY OF FACTORIES MANUFACTURING SCOOTERS, MOTOR CYCLES AND MOPEDS

1248. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the licensed and the installed capacity in regard to the factories manufacturing various types of scooters, motor cycles and mopeds, separately;

(b) the production of various types of scooters, motor cycles etc. during the last three years, year-wise;

(c) the details of the prices including all kinds of taxes of every type of scooters and and motor cycles during the last three years and at present; and

(d) the action taken or proposed to be taken by Government to reduce the prices of scooters keeping in view the fact that these are very popular among the people belonging to low and middle income classes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) The requisite information is given in the attached Statement. [Placed in Library. *See* No. L.T.-1159/77]

(c) The available information in respect of ex-factory prices is also indicated in the attached Statement. On-the-road prices vary from place to place depending on the cost of transportation and local taxes etc. the current on-the-road prices (exclusive of Insurance) at Delhi of Bajaj 150, Bajaj Chetak, Priya and Vijay Super scooters are about Rs. 4592/-, Rs. 5239/-, Rs. 4993/- and Rs. 5000/- respectively.

(d) There is Government control on the prices of scooters manufactured by Bajaj Auto Ltd. and Maharashtra Scooters Ltd. Besides a Central Public Sector Unit, namely, Scooters India Ltd., Lucknow also manufactures scooters. These measures have been taken to ensure that scooters are available at reasonable prices.

INCREASING THE TRANSMISSION CAPACITY OF A.I.R. STATION ALLAHABAD AND RE-SETTING UP THERE A T.V. CENTRE

1249. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the transmission capacity of A.I.R. Station at Allahabad and to st up a Television Centre there; and

(b) if so, when action will be taken in this direction ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI : (a) There is no proposal at present to increase the transmission capacity of A.I.R. Station at Allahabad or to set up a Television Centre there. However, a scheme for the setting up of permanent studies for A.I.R. Allahabad is now under implementation.

(b) Does not arise.

कर्मचारियों की बहाली

1250. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकाल के दौरान कितने-अधिकारी निलम्बित किये गए थे अथवा सेवावधि समाप्त होने से पूर्व सेवा-निवृत्त किए गए थे ;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों को नौकरी में बहाल किया गया है ;

(ग) कितने मामलों में पुनर्विलोकन किया जा रहा है; और

(घ) ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) आपात स्थिति के दौरान निलम्बित अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी, यह सूचना कि 5477 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आपातस्थिति के दौरान समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया था, अतारांकित प्रश्न सं० 467 द्वारा दिनांक 15-6-1977 को लोकसभा को दी गई थी।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आपातस्थिति के दौरान समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया था, उनकी समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेशों के विरुद्ध उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए अब अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, चाहे उनके अभ्यावेदनों पर पहले भी विचार किया गया हो और उन्हें अस्वीकार भी कर दिया गया हो।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करना

1251. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक लघु सीमेंट कारखाने की स्थापना करने की कोई योजना थी; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

CHARGES LEVELLED IN A BOOK "SAVE COAL INDIA"

1252. SHRI SUBHAS AHUJA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) Whether severe charges have been levelled against Coal India Limited in a book names "Save Coal India" written by a responsible officer of that company;

(b) in case the charges levelled in that book are correct the action Government propose to take against the concerned officers of that company; and

(c) in case the charges levelled in that book are wrong the action taken against the officer who has written that book ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (c) A book by the name "Save Coal India" has been written by an officer of the Western Coalfields Ltd. Some general and some specific allegations covering the circumstances leading to the nationalisation of the coal mines, promotion policy of Coal India Ltd., accounts procedures, excess expenditure over projects estimates, stocks etc. have been made in the book. Coal India Ltd. is examining these allegations. In the meantime disciplinary action has been initiated against the officer for violating the conduct rules of the company.

लघु औद्योगिक उत्थान हेतु मध्य प्रदेश के लिए धनराशि का नियतन

1253. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में सामान्यत: और सियोनी तथा जबलपुर जिलों में विशेष रूप से लघु उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि नियत की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिज) : मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों से संबंधित केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित निधियाँ आबंटित की गई थी ।

(रु० लाख में)

वर्ष	ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम	ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम
1974-75	20.08	0.22
1975-76	21.82	0.30
1976-77	22.77	0.18
1977-78 (परिव्यय)	21.50	0.98

दो कार्यक्रमों में जबलपुर जिला शामिल नहीं है । ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम में केवल सियोनी जिला आता है । जिला विशेष को निधियाँ राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती हैं ।

लघु उद्योगों से संबंधित विकास की अन्य योजनाओं पर जो खर्च होता है वह राज्य की योजना निधियों में से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

जम्मू और कश्मीर में लागू केन्द्रीय कानूनों का पुनर्विलोकन

1254. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी**
श्री ईश्वर चौधरी
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री अमर राय प्रधान
श्री एस० एस० सोमानी
श्री सी० आर० महादा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अगस्त, 1953 के बाद जम्मू और काश्मीर में लागू सभी केन्द्रीय कानूनों का पुनर्विलोकन करने के बारे में वहां की सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) पूछताछ करने पर, जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने सूचित किया कि उन्होंने 1953 के बाद राज्य में लागू किए गए भारत के संविधान के उपबन्धों सहित केन्द्रीय कानूनों की जांच करने के लिए उप-मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति यह पता लगाने के उद्देश्य से गठित की थी कि किन कानूनों का लागू करना राज्य के हित में लाभकारी नहीं है। जाँच, महाराजा द्वारा हस्ताक्षर किये गये विलय के पत्र (इन्सट्रूमेन्ट आफ एक्रोसन) की पृष्ठभूमि, 1952 के दिल्ली समझौते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और भारत सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए 1975 के समझौते के सम्बन्ध में करनी थी। समिति से दिसम्बर, 1977 के अन्त तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था।

(ख) संविधान में राज्य विधान मण्डल के लिए ऐसे केन्द्रीय कानूनों में जो अनुवर्ती सूची में शामिल मामलों से संबंधित है, अनुच्छेद 254 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन करने अथवा उनका निरसन करने के लिए व्यवस्था है। किन्तु कोई विधानमंडल संघ सूची में शामिल मामलों के बारे में ऐसा नहीं कर सकता, उसका अधिकार केवल संसद को ही है। उपर्युक्त "1975 के समझौते" के अधीन जम्मू और काश्मीर सरकार को पुनः आश्वासन दिया गया था कि वे केवल अनुवर्ती सूची में शामिल मामलों से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए अथवा 1953 के बाद राज्य में लागू कानूनों का पुनरीक्षण कर सकते हैं और यह निर्णय कर सकते हैं कि उनकी राय में उनमें से किस में संशोधन अथवा निरसन की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने स्पष्टतः इस प्रयोजन के लिए समिति गठित की है।

साइकिल रिक्शा

1255. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निम्न आय वर्ग के लोगों में, जो टैक्सी अथवा आटोरिक्शा का किराया नहीं दे सकते हैं, साईकिल रिक्शा की बहुत मांग है;

(ख) क्या सरकार ने हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा के चालकों की समस्याओं की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(ग) क्या सरकार साईकिल रिक्शा के पक्ष में है और यदि नहीं, तो सरकार ने साईकिल रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों के लिए किन अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय ने, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोटरयुक्त, साईकिल रिक्शा प्रारम्भ करने की योजना अक्तूबर, 1976 में कार्यान्वयन के लिए भेजी। इस योजना में मौजूदा साईकिल रिक्शाओं के स्थान पर मोटरयुक्त रिक्शाओं पर जोर दिया गया है।

काकीनाडा पत्तन, केरल

1256. कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काकीनाडा पत्तन का तुरन्त विकास करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या आगामी समय में पत्तन पर प्रतिवर्ष कुल 30 लाख टन माल चढ़ाने-उतारने की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ग) क्या सरकार से काकीनाडा पत्तन के विकास के लिए 740 लाख रुपयों के ऋण की सहायता माँगी गयी है, और

(घ) तुरन्त कार्यवाही के लिए अपेक्षित धनराशि देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) छोटे पत्तनों के विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि नियुक्त किए गए परामर्शकों की रिपोर्ट के अनुसार काकीनाडा पत्तन की 1977-78 तक प्रस्तावित उर्वरक संयन्त्र के लिए 15 लाख टन कुल कच्चे माल और 15 लाख टन अन्य माल की धरा उठाई करनी थी । उनके द्वारा 1974 में किए गए पुर्नमूल्यांकन से यह पता चलता है कि संभावित माल की मात्रा कम हो सकती है ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने काकीनाडा पत्तन विकास योजनाओं के लिए पहले चरण के लिए 600 लाख रु० और दूसरे चरण के लिए 300 लाख रु० की ऋण सहायता के लिए अनुरोध किया है । यह नोट कर लिया गया है, परन्तु भारत सरकार ने 1978-79 योजना में छोटे पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण के तरीके पर, यदि कोई हो, अभी निर्णय करना है ।

तमिलनाडु म राष्ट्रीय राजपथों का विकास

1257. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम**
श्री पी० एस० रामलिंगम } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथों के व्यापक विकास के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) क्या सरकार मद्रास से कन्याकुमारी तक ईस्ट कोस्ट रोड को शीघ्र विकसित करने की अविलम्बनीयता पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और परियोजना की यदि कोई रूपरेखा तैयार की गयी है तो वह क्या है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के भाग के रूप में शुरु किया गया है और एक "सतत" प्रक्रिया है । चौथी योजना के शुरु में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 1680 कि० मी० थी । पालायमुट्टाई को तूतीकोरिन से जोड़ने वाली एक और सड़क (जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7-ए बनाया गया) की 1972 में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल की गयी जिससे लम्बाई बढ़कर 1729 कि० मी० हो गयी ।

चूंकि चौथी योजना के आरम्भ में, 37 करोड़ रु० की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं और इन कार्यों को करने के लिए अब तक 35 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है । भौतिक रूप में, चौथी योजना के आरम्भ से कार्यों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण श्रेणियां हाथ में ली गयी हैं :—

(1) वर्तमान यातायात की पूर्ति के लिए पटरियों को चौड़ा करने और सशक्त बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है । चौथी योजना के शुरू में 1100 कि० मी०

लम्बी सड़क में इकहरी पटरी थी और शेष 580 कि० मी० लम्बी सड़क में दो गली वाली पटरी थी। इस समय स्थिति यह है कि 1520 कि० मी० सड़क दोहरी गली की है। लगभग 520 कि० मी० की लम्बाई में पटरी को सशक्त करने का कार्य पूरा हो गया है।

(2) भीड़-भाड़ वाले नगरों और शहरों में और इनके आस पास 11 उपमार्गों का निर्माण शुरू किया गया है। इनमें से 7 उपमार्ग पूरे हो गए हैं।

(3) 9 रेलवे समपारों के स्थान पर उपरि पुलों के लिए स्वीकृति दी गयी है। इनमें से दो पूरे हो गए हैं।

(4) पम्बन जलडमरुमध्य पर एक बड़े पुल का निर्माण जिसमें पहुंच मार्ग भी शामिल है, स्वीकृत किया गया, है, और कार्य प्रगति पर है।

(5) ट्रिची में कोलोरुन नदी के ऊपर एक और बड़े पुल का का निर्माण स्वीकृत किया गया है और वह निर्माणाधीन है।

(6) बहुत से कमजोर और तंग पुलों और पुलियों का पुनर्निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी है।

(ख) और (ग) पूर्वी तट की सड़क एक राज्य सड़क है और इसके विकास से राज्य सरकार सम्बन्धित है। परन्तु, इस सड़क के विकास कार्य में, इनको वित्तीय सहायता देने के लिए अब तक इस सड़क के लिए 2.95 करोड़ रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए सहमति हो गयी है। इससे इस सड़क का विकास हो जाएगा।

भूतपूर्व उद्योग मन्त्री द्वारा नमक आयुक्त के कार्यालय के बारे में की गई टिप्पणी

1258. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नमक आयुक्त के कार्यालय के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट की पत्रिका प्रजनन में प्रकाशित उनसे पूर्व के मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पणी से निकाले गये निष्कर्ष के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) नमक विभाग के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

SCARCITY OF DRINKING WATER IN MEERUT CANTONMENT

1259. SHRI KAILASH PRAKASH : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Meerut Cantonment Board has submitted a proposal that there is scarcity of drinking water for the inhabitants in the cantonment area have made a demand for necessary funds for making arrangements therefor; and

(b) if so, the dates when such proposals were received and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) Proposals were received by Government in August 1977. As they were not complete and were lacking in supporting details, the case has been referred back to the Board through the Central Command.

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को क्रयादेश न मिलना

1260. श्री के० राममूर्ति : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार को क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के पास 1979-80 तक पूरा करने के लिये क्रयादेश है। सरकार पांच वर्षों की अवधि में देश की बिजली संयंत्रों की कुल आवश्यकता का पता लगा रही है। इससे निश्चित रूप से क्रयादेशों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और आशा है कि हरिद्वार संयंत्र के पास काफी संख्या में क्रयादेश होंगे। इसके अलावा दूसरे देशों से क्रयादेश प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आपातकाल में अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग

1261. ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं जहां आपात काल के दौरान अधिकारियों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है ;

(ख) कितने मामलों में इन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कितने मामलों में कार्यवाही की जा रही है/विचाराधीन है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जनता पार्टी के घोषणापत्र की क्रियान्विति

1262. श्री एडूआर्डो फैलीरो : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल के सचिव ने सरकार के सचिवों को लिखे गये पत्र में जनता पार्टी के घोषणा पत्र का अनुसरण करने का आग्रह किया है और कहा है कि केन्द्र में राजनतिक परिवर्तनों का प्रभाव उनके विचारों और कार्यकरण में पूरी तरह महसूस नहीं किया गया है या क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) मंत्रिमंडल के सचिव द्वारा सिविल अधिकारियों को दी गई इस प्रेरणा के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि वे शासक दल की नीतियों के अनुसार कायवाही करें।

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ओर (ख) नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने तथा उनके कार्यान्वयन में सरकार की सहायता तथा सलाह देने में, प्रशासनतंत्र की महत्वपूर्ण

पूर्ण भूमिका से सदन भली प्रकार से अवगत है। मार्च, 1977 में हुए लोक सभा चुनावों के परिणामस्वरूप पूरे देश में हुए भूलभूत परिवर्तनों तथा फलस्वरूप इन परिवर्तनों के प्रति प्रशासनतंत्र की अनुक्रिया की आवश्यकता से भी सदन परिचित है। ऐसी स्थिति में उच्च सिविल अधिकारियों को व्यापक मार्गदर्शन कराने की आवश्यकता नितांत अनिवार्य हो गई थी। इसी संदर्भ में मंत्रिमण्डल सचिव के एक पत्र द्वारा सिविल अधिकारियों को आर्थिक नीति तथा प्रशासन संबंधी मामलों में नई सरकार के उद्देश्यों और दृष्टिकोण को समझने की सलाह दी गई थी। इस संदर्भ में जनता पार्टी के घोषणा-पत्र, नई सरकार के निर्णयों और प्रधान मंत्री द्वारा नीति संबंधी की गई घोषणाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था चूंकि इनसे सरकार के उद्देश्यों और दृष्टिकोण का पता लगता था। अतः सत्ताधारी दल की नीतियों के साथ उनकी तदात्मयता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर में वैस्टर्न कोलफील्डस द्वारा फालतू पुर्जों की खरीद

1263. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैस्टर्न कोलफील्ड्स के नागपुर कार्यालय ने 1976-77 में (एक) प्रीमियर स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ; (दो) प्रीमियर इंजीनियरिंग कम्पनी ; (तीन) प्रीमियर स्पेयर्स एण्ड इक्विपमेंट; (चार) प्रीमियर प्लास्टिक्स इंडिया; (पांच) प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर्स ; (छः) प्रीमियर एजेंसीज और (सात) प्रीमियर ट्रेडर्स, जो सब नागपुर में स्थित हैं, से कुल कितने मूल्य के फालतू पुर्जे खरीदे ;

(ख) क्या यह पाया गया था कि खरीदे गए अधिकांश पुर्जों की कतई आवश्यकता नहीं थी और जिन पुर्जों को खरीदा गया था वे वास्तविक और प्रयोग में लाये जाने वाले न थे ; और

(ग) इस मामले की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान प्रश्न में गिनाए गए नामों में से वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के नागपुर स्थित कार्यालय द्वारा केवल दो निम्नलिखित फर्मों को अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई के लिए आदेश दिए गए थे :

(1)	मैसर्स प्रीमियर एजेन्सीज , नागपुर	रु० 6,384.00
(2)	मैसर्स प्रीमियर स्पेयर्स प्रा० लि०,	रु० 6,220.00

(ख) जी नहीं। अतिरिक्त पुर्जे लेने का उद्देश्य सप्लाई के और स्त्रोत जानने के अलावा आयात किए गए सामान के स्थान पर देसी सामान के प्रयोग को प्रोत्साहन देना था। सप्लाई किए गए पुर्जे असली थे और वास्तव में उनका इस्तेमाल कर लिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दल बदल रोकने के लिए विधेयक

1264. **श्री श्यामा सुन्दर गुप्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले विधान मंडलों में एक दल से दूसरे दल में दल बदल रोकने हेतु संसद के समक्ष एक विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विधेयक संसद के शरद्कालीन अधिवेशन में पेश किया जाएगा और यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने दलबदल को रोकने के विधान की विस्तृत रूपरेखाओं को संसद के पिछले सत्र में पुन: स्थापित करने के लिए अन्तिम रूप दे दिया था। किन्तु इन रूपरेखाओं पर पहले विपक्ष के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय किया गया था। तदनुसार प्रधान मंत्री द्वारा 18 जून, 1977 को विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक की गई थी। जैसा बैठक में तय किया गया, सरकार के समक्ष प्रस्तावों की मुख्य बातों की एक टिप्पणी विपक्षी दलों के नेताओं को परिचालित की गई ताकि वे निहित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है।

COST OF HALDIA PORT

1265. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the cost estimated at the time of commencement of construction of Haldia port as also the cost thereof now;

(b) the time to be taken now for completion of the work of the said port; and

(c) whether any reports have been received regarding great bungling and corruption committed there and if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE IN THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) The original estimated cost of the Haldia Dock Project was Rs. 40 crores. A revised estimate of Rs. 146 crores approximately is under consideration of the Government.

(b) Haldia is now operational in that the dock system was commissioned in February 1977, when trial loading at Coal and Ore Berths started. The remaining berths are ready; only equipment for general cargo berths is expected to be ready by June, 1978 and equipment for phosphate berth is expected to be ready by end of 1978.

(c) An anonymous complaint about some irregularities at Haldia has been received. However, as per Government's extent policy, no action is taken on anonymous/pseudonymous complaints.

इंडियन आक्सीजन में हड़ताल के कारण हुई मौतें

1266. **श्री बसन्त साठे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सीजन में हड़ताल के कारण आक्सीजन की भारी कमी होने से देश में अनेक व्यक्तियों की मोतें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस जीवनदायी गैस का उत्पादन करने हेतु अधिक एककों के लिए लाइसेंस देने अथवा सरकारी क्षेत्र में एक कम्पनी स्थापित करने पर विचार करने का है ; और

(ग) इस मामले में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

तिहाड़ सेंट्रल जेल, दिल्ली में लाठी चार्ज की जांच

1267. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह मंत्री आपात स्थिति के दौरान जेलों के किये गये लाठी चार्ज के संबंध में 8 अगस्त, 1977 को उनके द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान तिहाड़ सेंट्रल जेल, दिल्ली में किये गये लाठी चार्ज के मामले की जांच करने के लिए एक अदालती जांच आयोग नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त न्यायाधिकरण अथवा आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार को जांच प्रतिवेदन संभवतया कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक सदस्यीय आयोग जिसके एक मात्र सदस्य श्री आर० के० बवेजा, सेवा निवृत्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश हैं ।

(ग) आयोग 25 अक्तूबर, 1977 को नियुक्त किया गया था और उसकी अवधि 30 नवम्बर, 1977 तक है । आशा है यह 31 जनवरी, 1978 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

आंध्र में परमाणु ऊर्जा प्रजनन संयंत्र

1268. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा प्रजनन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) तथा (ख) परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थल चुनने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति ने दक्षिणी विद्युत्त क्षेत्र में, जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, कई स्थलों की जांच की है । स्थल चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

PROPOSAL FOR POWER GENERATION BY MULTINATIONAL INDUSTRIAL FIRMS

1269. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay stress on power generation by multi-national industrial firms in the country by imposing restrictions on the production of consumer goods by them; and

(b) if so, the names of such firms which have so far been contacted in this regard and the reaction of the said firms ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) No such proposal is under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

रेडियो रिले स्टेशन, सांगली को पूर्ण आकाशवाणी केन्द्र में परिवर्तित किया जाना

1270. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सांगली नगर पालिका परिषद्, महाराष्ट्र राज्य से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सांगली स्थित रेडियो रिले स्टेशन को पूर्ण आकाशवाणी केन्द्र में परिवर्तित करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) और (ख) जी, नहीं तथापि, सांगली के सहायक केन्द्र को मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्ण रूपेण केन्द्र में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन इस प्रयोजन के लिए सांगली में स्थायी स्टूडियो स्थापित करने की योजना को अनवरत योजना 1978-83 के मसौदे में शामिल किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन योजना आयोग की स्वीकृति पर निभर करेगा।

DEMONSTRATION BY THE CONGRESS WORKERS IN FRONT OF AIR AND TV

1271. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Congress Workers demonstrated in front of the A.I.R. and Television inspite of the fact that Section 144 was in force there; and

(b) if so, the reasons therefor and steps being taken by the Government to deal with the activities of such people who disturb peace and violate law ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) Yes, Sir. The demonstraction was held on 8-10-77 in violation of the Prohibitory orders u/s 144 Cr.P.C. with a view to protest against the alleged blackout and omitting to cover properly the Congress activities following the arrest and release of Smt. Indira Gandhi, the former Prime Minister of India. As the crowed formed assembly which was declared unlawful and obstructed the police in the discharge of their official duties and also damaged public property a total of 94 persons were arrested and a case F.I.R. No. 502 dated 8-10-77 u/s 147/148/149/186/188/353/429 IPC. was registered at Police Station Parliament Street. As and when such incident occur action is taken under the law.

कोल इंडिया लिमिटेड में द्विपक्षीय व्यवस्था

1273. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लिमिटेड में द्विपक्षीय व्यवस्था को पुन: लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके पुनर्गठन का आधार क्या है ; और

(ग) द्विपक्षीय व्यवस्था के समक्ष किस प्रकार के मामले उठाये जा सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), से (ग) कोयला उद्योग में द्विपक्षीय व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। संयुक्त द्विपक्षीय समितियां, उत्पादन और उत्पादकता, कमखर्ची, सुरक्षा, कल्याण संबंधी और ऐसे अन्य मामलों पर विचार करती हैं जिनका समग्र कोयला उद्योग पर प्रभाव पड़ता है।

ABOLITION OF PRACTICE OF NAMING BATTALIONS AFTER CASTES

1273. SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the practice of naming the battalions after castes;

(b) if so, by what time; and

(c) whether Government have under consideration any proposal to fill 50 per cent of vacancies in the army purely on promotion basis; if so, when the proposal would be promulgated ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b) The existing names of certain Regiments based on caste are being retained due to historical reasons. In conformity with the policy of Government to broad-base recruitment, no new Regiment is raised with caste nomenclature.

(c) There is no such proposal under consideration.

अखबारी कागज में आत्म निर्भरता

1274. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज सम्बन्धी नई परियोजनाएं आगे प्रगति नहीं कर रही है और पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक अखबारी कागज में देश के आत्मनिर्भर होने की सम्भावना है, जैसा कि पहले अनुमान था ; यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अखबारी कागज में आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) यह प्रत्याशा नहीं थी कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश अखबारी कागज में आत्मनिर्भर हो जाएगा । आशा यह की जाती है कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक नेशनल न्यूज़प्रिंट एण्ड पेपर मिल [की क्षमता के 75,000 मी० टन वार्षिक तथा हिन्दुस्तान कागज निगम लि० की केरल न्यूजप्रिंट परियोजना की क्षमता के 80,000 मीट्रिक टन वार्षिक तक बढ़ाये जाने की विस्तार योजना चालू कर दी जायेगी, जबकि मांग 2 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से अधिक की है । यद्यपि विभिन्न पार्टियों को बहुत बड़ी संख्या में आशयपत्र जारी किये गये हैं और चूंकि कच्चे माल का नियमित रूप से संभरण करते रहने की व्यवस्था की जानी है तथा योजना की आर्थिक जीव्यता पर सावधानीपूर्वक विचार करना है, इसलिए इन योजनाओं की सफलता का अभी से निर्धारण करना समय से बहुत पूर्व ही है ।

(ख) निजी तथा संयुक्त दोनों ही क्षेत्रों के उद्यमियों से जहां कहीं भी कागज उद्योग स्थापित करने हेतु इस प्रकार के आवेदन-पत्र मिलते हैं सरकार उन्हें अपनी उदार लाइसेंसिंग नीति से प्रोत्साहन दे रही है ।

नमक बनाने वाले उद्योग की स्थापना

1275. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में नमक बनाने के उद्योग की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या 24 परगना जिले म सुन्दर वन के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार का विचार वहां उक्त उद्योग के लिए प्रस्ताव एकक की स्थापना करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने सुन्दरवन क्षेत्र में सौर वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा नमक बनाने की सम्भावना का पता लगाने के लिए नमक आयुक्त भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण, सुन्दरवन विकास बोर्ड, जिलाधीश, 24 परगना मे० बंगाल साल्ट कम्पनी लि०, निदेशक, कुटीर एवं लघु उद्योग, पश्चिम बंगाल और उद्योग निदेशक के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अध्ययन दल का गठन किया है।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कन्टोई क्षेत्र मे नमक बनाने की सम्भावना का पता लगाने के लिए नमक आयुक्त के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अन्य अध्ययन दल का गठन किया है। इन अध्ययन दलों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों में तोड़फोड़

1276. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तोड़-फोड़ करने वालों का पता लगाने और उन्ह सजा देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ; और

(ग) सरकार को इसके लिए क्या उपाय करने का विचार है जिससे कि समाज-विरोधी तत्व भविष्य में दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों में तोड़फोड़ न कर सकें ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 13 अक्तूबर, 1977 को चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट 1 और 2 की कोयला मिलों के सात गीयर बक्सों के गेज ग्लास टूटे हुए पाए गए थे और काफी हद तक यह संदेह है कि यह नुकसान तोड़फोड़ की कार्यवाही के परिणामस्वरूप हुआ है।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) बिहार सरकार से परामर्श करके दामोदर घाटी निगम ने अपने विद्युत केन्द्रों पर सुरक्षा उपाय सख्त कर दिए हैं ।

अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव

1277. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने के उद्देश्य से संविधान की पांचवीं अनसूची में संशोधन किया गया है ;

(ख) क्या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिये राज्यों से प्रस्ताव मंगाये गये हैं।

(ग) क्या मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी हो जाने की की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उन राज्यों से जिनके क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए प्रस्ताव मांगे गये हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान्

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मिजोरम में पहचान पत्र प्रणाली

1278. **डा० आर० रोथुआम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि गत आपात स्थिति के दौरान तत्कालीन केन्द्रीय कांग्रेस सरकार ने मिजोरम में पहचान पत्र प्रणाली लागू की थी जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु से बड़े प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति को पहचान पत्र प्राप्त करना तथा उसे सदा साथ रखना अनिवार्य था तथा अनजाने में उसे साथ न रखने पर बहुत से निर्दोष ग्रामीणों की तलाशी ली गई, उन्हें तंग किया गया तथा उन्हें शारीरिक यातनाएं तक दी गईं ;

(ख) क्या इससे नागरिकों और सुरक्षा बल के बीच संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, क्या सरकार सारे मिजोरम में पहचान पत्र प्रणली हटाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) मिजोरम सरकार द्वारा दिसम्बर, 1973 में भूमिगत सशस्त्र मिजों की हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए विरोधी विद्रोही उपाय के लिए 14 वर्ष से ऊपर के सभी व्यस्कों को पहचान पत्रों के जारी करने की प्रणाली लागू की गयी थी । यह जनवरी, 1975 में ऐजवाल (मिजोरम) में पुलिस के महानिरीक्षक तथा दो अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद सख्ती से लागू की गई थी । बताया जाता है है कि 1976 तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 95% पात्र व्यक्ति आ गए थे ।

(ख) ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है कि इस योजना के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के बीच कोई मन मुटाव वाले संबंध हो गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एच० एम० टी० की घड़ियों की कीमत

1279. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या आम आदमी एच० एम० टी० की घड़ियों को खरीदने की स्थिति में नहीं है क्योंकि एक घड़ी का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कीमतें घटाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है , और

(ग) मशहूर एच० एम० टी० की घड़ियों के नाम क्या हैं और उनकी कीमतें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क)तथा (ख) : हिमटू द्वारा हाथ से चाबी दी जाने वाली बढ़िया क्वालिटी की जनता घड़ी बनाई जाती है जिसकी कारखाने से निकलत समय की कीमत 140 रुपये है। 10% उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों को मिलाकर (बिक्री कर समेत) जोकि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होता है बिक्री मूल्य, दृष्टांत के रूप में दिल्ली में 168.94 रुपये लगाया गया है। हिमटू द्वारा घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने तथा कम कीमत की घड़ियों का विकास करने के लिए कदम उठाए जा रहे है।

(ग) हाथ से चाबी दी जाने वाली हिमटू की लोकप्रिय ब्रांडों की घड़ियों की कारखाने से निकलते समय की कीमत निम्न प्रकार है :—

माडल	कारखाने से निकलते समय का मूल्य
1. जवाहर	180
2. सोना/प्रिया	175
3. पायलट	170
4. चिनार	152
5. निशात	166
6. जनता	140
7. नूतन	170
8. राखी	215
9. अविनाश	205
10. अजीत/रूपा/विजय	210
11. आशा	215
12. कोहिनूर	220
13. सुप्रिया	200

FAST BREEDER REACTOR

1280. SHRI NATWERLAL B. PARMAR : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state the steps being taken to develop technical know-how for the production of Fast Breeder Reactor in order to augment nuclear nergy generation in the country ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : As a first step towards the development of technical know-how for fast breeder reactors to augment the nuclear power programme in the country, a Fast Breeder Test Reactor (of about 45 MWt and 15 MW capacity) is being constructed at Kalpakkam near Madras along with the other laboratories which provide facilities for research and development in the associated aspects of sodium technology, fuel reprocessing, materials selection etc. Consultancy assistance is available from the Commissariat AL' Energie Atomique, France and technical know-how for certain essential components has been obtained from French industry.

SETTING UP OF NAINITAL PAPER MILLS

1281. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4975 on 27th July, 1977 and state :

(a) the time by which the Nainital Paper Mills Limited will set up its industry in the hill area near Nainital;

(b) the nature of facilities provided by Government to them; and

(c) Government's policy to encourage such industries ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) to (c) Nainital Paper Mills Limited have secured allotment of land have made arrangements for supply of raw material. A feasibility Report is being prepared and it is understood that arrangements for the proceurement of machinery and equipment are also being made. It is however too early to indicate when the scheme will be commissioned. Government are following a liberal policy with regard to licensing of new capacity in the Paper Industry. The State Government are also providing infrastructural facilities to encourage industries in the State, particularly in the backward areas.

आपात स्थिति से पूर्व जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की जांच

1282. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति से दो वर्ष पूर्व जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की सरकार द्वारा कराई गई जांच का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) सरकार ने रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह सच है कि जांच अधिकारी ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार द्वारा 2 फरवरी, 1975 की जामा मस्जिद घटना में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की ऐसी कोई जांच नहीं कराई गई थी ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके प्रसारण नीतियां तय करना

1283. **श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य की विविधिता सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि को देखते हुए जिसे विभिन्न आकाशवाणी के कार्यक्रमों में प्रसारित किया जाना चाहिये, मांग की है कि उनके राज्यों में प्रसारण नीतियां तय करने में उनकी बात अधिक मानी जानी चाहिए ।

(ख) क्या इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारों ने उनके प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके प्रसारण कार्यक्रम तय करने का सुझाव भी दिया है ताकि उनके राज्यों तथा वहां विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के हितों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य में स्थित आकाशवाणी के केन्द्र, अपने क्षेत्रों की संस्कृति और प्रतिभा को प्रतिबिम्बित करते हैं और राज्य सरकारों को उनकी नीतियों को प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। आकाशवाणी और राज्य सरकारों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) इस मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों की राजधानियों में अन्तर माध्यम प्रचार समन्वय समितियां बनाई हुई हैं।

(2) राज्य सरकारों का सूचना निदेशक केन्द्रों की कार्यक्रम, ग्रामीण तथा अन्य समितियों जैसी विभिन्न सलाहकार समितियों का पदेन सदस्य होता है। ग्रामीण सलाहकार समितियों में, जिनकी बैठकें हर तीसरे महीने होती हैं, ग्रामीण कार्यक्रमों की सूचियां स्वीकृत की जाती हैं। इस समिति में राज्य सरकार के सूचना निदेशक और राज्य सरकार के कृषि, पशुपालन, सिंचाई, स्वास्थ्य और अन्य विकास विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

औद्योगिक और जन-जाति कार्यक्रमों के लिये इसी प्रकार की समितियां उन सभी मामलों में गठित की जाती हैं जहां केन्द्र द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। शैक्षिक प्रसारण पैनल भी होते हैं। इन सभी पैनलों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी सहयोजित किया जाता है।

STATE CONTROL ON CEMENT FACTORY AT SWAI MODHOPUR

1284. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Rajasthan Government has agreed with the Central Government's proposal for bringing the cement factory of the Jaipur Udyog Ltd. at Swai Madhopur under full State control; and

(b) if so, the time by which the said factory will be taken over by Government and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) The present policy for dealing with the sick industrial undertakings has been to work out a scheme of rehabilitation under the auspices of the banks and the financial institutions themselves and assist in effecting such changes as might be considered necessary by these institutions for undertaking the rehabilitation. This is the basis on which the rehabilitation of Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur has been organised. Out of the 11 Members of the re-constituted Board of Management, 7 are representatives of the Central Government, State Government, the State Bank of India and the financial institutions. The factory may, therefore, be considered as under State control for managerial purposes.

कोयले के उत्पादन में कमी के कारण उद्योगों को भट्टी तेल दिया जाना

1285. **श्री अनन्त दवे : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमिया एक्सप्लोसिव्स फैक्टरी में निरन्तर हड़ताल के कारण कोयले के उत्पादन में कमी होने से उद्योगों को कोयले के स्थान पर भट्टी तेल का उपयोग करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) जब तक कोयले की सप्लाई में सुधार नहीं हो जाता है तब तक इन उद्योगों को भट्टी तेल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां। फर्नेस आयल की स्थायी समिति ने सभी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के सचिवों (उद्योग) को कोयले की कमी से प्रभावित सभी औद्योगिक इकाइयों को जहां इस प्रकार की दोहरी ईंधन सुविधा है फर्नेस आयल देने के लिये तेल कंपनियों से सिफारिश करने के लिये अधिकृत किया है।

(ख) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भी फर्नेस आयल दिए जाने के लिए सिफारिश करते रहने की सलाह दी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्थिति के सुदृढ़ हो जाने तक यह व्यवस्था चलती रहेगी।

BRIDGES ACROSS JAMUNA NEAR DELHI

†1286. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether construction work of a large road-bridge in Delhi across Jamuna facing Inter-State Bus Terminal is in progress and if so, the work so far done thereon and the estimated cost thereof as also the time by which the bridge would be ready;

(b) whether Govrnment propose to construct two bridges, one in place of the boat bridge near Vijay Ghat and other at the present Pantoon bridge near Shanti Van; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (c) There was a proposal in the Master Plan of Delhi to construct two bridges across Yamuna i.e. one near Inter State Bus Terminal and the second near Shantivana. The Shantivana Committee objected to the construction of second bridge near Shantivana as the Delhi side approach road was cutting across Shantivana and therefore the Delhi Administration proposed to locate it near the Electric Crematorium. It has been accorded second priority *vis a vis* the suggested bridge near Inter-State Bus Terminal. An estimate amounting to Rs. 11.689 Crores for the bridge near Inter-State Bus Terminal was submitted by Delhi Administration for the approval of the Government of India which has been returned to the Local Administration after technical examination with certain observations for modification of the Plans and estimate and resubmission after compliance. No work has been started on this bridge so far except for collection of result of field studies, sub-soil data and model studies for design of the bridge. The bridge would take about 5 years for completion from the date of start.

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में काम करने वाले मजदूरों को अनिवार्य जमा योजना की रकम का भुगतान

1287. **श्री मनोरंजन भक्त** : गृह मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री द्वारा अपनी अण्डमान की यात्रा के दौरान दिए गए आश्वासन के बावजूद अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहां काम कर रहे मजदूरों को अनिवार्य जमा योजना की रकम का पूर्ण भुगतान नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) अधिनियम के अनुसार किसी जमा लेखा में किसी कर्मचारी की जमा बकाया की पूर्ण रशि अथवा उस के किसी भाग का उसको भुगतान करने की अनुमति दी जाती है यदि सक्षम प्राधिकारी इस

बात से संतुष्ट है कि यदि ऐसा भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे अत्यधिक कष्ट होगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भुगतान स्वीकृत करने के लिये प्राधिकार विभागाध्यक्षों को प्रत्यावर्तित किया गया है। संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले की गुण दोष के आधार पर जांच करने के अनुदेश किये जा चुके हैं। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य जमा योजना राशि का सामान्य भुगतान संभव नहीं है। अण्डमान प्रशासन से अलग अलग मामलों की गुण-दोष के आधार पर जाँच करने को कहा गया था।

DECLARATION OF HINDI VERSION OF THE CONSTITUTION AS THE AUTHORISED ONE

1288. SHRI BRIJ RAJ SINGH
SHRI SUSHIL KUMAR DHARA } : Will the Minister of HOME AFFAIRS

be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to declare the Hindi version of the Constitution as the authorised version in view of the action taken to declare the Hindi version of the Constitution as unauthorised during the tenure of the former Congress Government;

(b) whether it is afact that on the day when the English version of the Constitution was adopted by the Constituent Assembly, the Hindi version of the same was also adopted along with it and the President of the Constituent Assembly had also put his signatures thereon, if so, the reasons to declare it as unauthorised; and

(c) the time by which the Hindi version and versions in other languages of the Constitution will be declared as authorised version ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (c) It is true that two English copies and one Hindi copy of the Constitution were submitted to the Chairman of the Constituent Assembly on 24th January, 1950 and these three copies were signed by all the members of the Constituent Assembly. The Hindi copy of the Constitution was never adopted as authentic text, so the question to declare it unauthentic does not arise. The position in this regard is as under :—

The opinion of some prominent jurists was sought in regard to legal position of Hindi Copy and it was considered on the possibility whether it could be given the status of authentic text of the Constitution. All the jurists are of the view that the Hindi version of the Constitution prepared by the authority of the Chairman of the Constituent Assembly could not be adopted as authentic text of the Constitution and it would not be possible to make provision for any such authentic text, either by an amendment in the Constitution or by enacting any other Parliamentary legislation. They are also of the view that the Parliament can make the provision by legislation that the translation in any other language mentioned in Eighth Schedule of the Constitution would be treated as its authentic Hindi or in any such language translation. The Government are contemplating the question to make provision in this regard.

भारत जर्मन लोकतंत्रात्मक गण राज्य राजनयिक शिष्टाचार करार

1289. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री डी० अमात } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1977 में नई दिल्ली में भारत और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच राजनयिक शिष्टाचार करार पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हां तो उसका विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) भारत और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिये

संयुक्त आयोग के दूसरे अधिवेशन के राजनयिक शिष्टाचार करार पर दो सह-अध्यक्षों केन्द्रीय उद्योग मंत्री और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष ने 28 सितम्बर, 1977 को हस्ताक्षर किए थे। राजनयिक शिष्टाचार करार में औद्योगिक सहयोग, व्यापार आदान प्रदान और नौवहन, कृषि और मत्स्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबंध में विचार-विमर्श के दौरान हुए निष्कर्ष सम्मिलित थे। यह देखा गया था कि भारत-जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य सहयोग की अनेक परियोजनाओं ने काफी प्रगति की है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं --डेरी मशीनों के लिये निर्माण सहयोग और फिल्मों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को सामग्री का सम्भरण और तकनीकी सहायता। वस्त्र मशीनों, मुद्रण मशीनों, कृषि उपकरणों, मशीनी औजारों, दुग्ध परिष्करण उपकरणों और इलैक्ट्रानिक्स के संबंध में सहयोग के और क्षेत्र का पता लगाया गया था,। दोनों देशों के बीच सहयोग के लिये भारत में प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं का भी पता लगाया गया था जिनमें माइक्रो पेपर और माइबानाइट प्लाट स्थापित करना, कन्टिन्युअस प्रोसेस टैक्नोलाजी द्वारा अस्थालिमक ब्लैंक्स का निर्माण और एक निर्यातोन्मुख खाद्य परिष्करण परियोजना स्थापित करना भी सम्मिलित है; भवन निर्माण, विज्ञान, तापसह सामग्री आप्टीकल ग्लास और गियर टैक्नालोजी का विकास और उत्पादन सहित अनेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया सहयोग कार्यक्रम भी पूरा किया गया था। तीसरे देशों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये दोनों देशों के बीच सहयोग का भी पता लगाया गया था।

ILLEGAL MINING AND SALE OF COAL

1290. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing on page 5 of 'Nav Bharat Times' dated the 19th September, 1977 published from New Delhi under the caption "Pratimas 3 Keror rupaye ke koyale ki avaidh khudai wa bikri" (illegal mining and sale of coal worth Rs. 3 crores every month); and

(b) if so, the steps taken to check this illegal trade immediately ?

THE MINISTRY OF ENREGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) to (b) Yes, Sir. With the coming into force of the Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act, 1976, with effect from 29th April, 1976 all coal leases held by companies, engaged in the production of iron and steel were terminated. However, from May, 1977 onwards, a number of parties filed writ petitions in the Supreme Court challenging the above mentioned Act and obtained stay orders. On the basis of these stay orders, the parties started mining coal in various areas. Subsequently, however, these stay orders were got modified in September and October, 1977, whereby the parties have been prevented from mining coal, although taking over possession of their mines in pursuance of the Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act, 1976, has been stayed. Central Government have addressed the State Governments to take appropriate action in the light of the latest stay orders of the Supreme Court. Necessary steps have also been taken to oppose the writ petitions both on points of law and facts. The matter is, thus, *sub-judice*.

रुग्ण मिलों के प्रबन्ध के लिये किये गये उपाय

1291. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रुग्ण मिलों के प्रबन्ध के लिये अब तक भिन्न-भिन्न कौन-कौन से उपाय किये हैं ?

(ख) क्या रुग्ण मिलों का प्रबन्ध श्रम समितियों द्वारा चलाये जाने की प्रणाली का प्रयोग करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं और इन प्रस्तावों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अधीन जहां सरकार की राय में उत्पादन के परिणाम मे गैर न्यायोचित कमी हुई है, बनाई गई वस्तु की किस्म में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है, किसी विशेष वर्ग की वस्तु के मूल्य में अनपेक्षित वृद्धि हुई है, अथवा जहां राष्ट्रीय महत्व के साधनों को बचा रखना जरूरी है, वह औद्योगिक उपक्रम के कार्यकरण की जांच के आदेश दे सकती है और यदि जांच के निष्कर्षों के अनुसार सरकार का हस्तक्षेप करना अपेक्षित होता है तो वह प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर सकती है । अपेवादिक आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार पूर्णरूपेण जांच कराना छोड़ भी सकती है तथा अधिनियम की धारा 18क के अनेसार सीधे प्रबन्ध का हाथ में लिये जाने के आदेश दे सकती है उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अधीन प्रबन्ध के हाथ में लिये जाने के ऐसे मामलों में सरकार किसी प्राधिकृत व्यक्ति अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय को प्रबन्ध सौंप सकती है ।

हाल ही में एक रुग्ण एकक को एक स्वस्थ एकक के साथ मिलाने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है । इस संशोधन के अनुसार, जहां किसी कंपनी का औद्योगिक उपक्रम स्वामित्व वाली अन्य कंपनी से समामेलन होता है तथा इस प्रकार के विलयन के तत्काल पूर्व विलयन की जाने वाली कंपनी आर्थिक दृष्टि से जीव्य नहीं होती है तथा ऐसा विलयन लोक हित में हो और सरकार द्वारा उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो विलयनकारी कंपनी की संचित हानि तथा मिलाया गया मूल्य ह्रास विलयनकारी, कंपनी का पिछले वर्ष का, जिसमें कि समामेलन किया गया था, हानि अथवा जैसी भी दशा हो, मूल्यह्रास समझा जायेगा ।

(ख) जहां किसी रुग्ण औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध के लिये किसी रुग्ण औद्योगिक उपक्रम के कर्मचारी प्रस्ताव लेकर आगे आते हैं वहा सरकार विचार करने के लिये तैयार है ।

(ग) इस सम्बन्ध में उद्योग मंत्रालय में कोई औपचारिक तथा ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

राजस्थान में पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता अधिकार

1292. **श्री डी० अमात** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे पाकिस्तानी शरणार्थियों को, जो गत भारत-पाकिस्तान युद्ध में सीमा पार करके राजस्थान में आ गय, नागरिकता अधिकार देने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स और वेव फिल्म फेब्रिक वुल्फेन की बीच करार

1293. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स और जमन लोकतांत्रिक गणराज्य की वेव फिल्म-फेब्रिक वुल्फेन के बीच हाल ही म किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) रोल फिल्मे बनाने के लिये 21 फरवरी, 1977 को हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफैचरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा मेसर्स वी० इ० बी० फिल्म फैब्रिक वुल्फेन फोटो केमिशेज जर्मनी के लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक तकनीकी सहयोग का करार किया गया है । इस करार के अन्तर्गत हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स भिन्न-भिन्न प्रकार की ब्लेक एण्ड व्हाइट निगेटिव रोल फिल्मे बनाने के लिये तथा भारत म इन्हीं उत्पादों की एक एकमात्र बिक्री करने हेतु साथ ही जहां लाइसेंसिंग फर्म इसी प्रकार की व्यवस्था कर चुका हो छोड़कर अन्य देशों में निर्यात करने के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा । करार में आवश्यक कच्चे माल तथा मध्यवर्ती उत्पादों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिये जर्मनी के लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय विशषज्ञों का प्रशिक्षण देने के लिय भी व्यवस्था की गई है।

बम्बई की मजगांव गोदी में मेंसर्स एलकाक एशडाउन के कर्मचारियों को खपाया जाना

1294. **श्री आर० के० महालमी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसर्स एलकाक एशडाउन लिमिटेड, बम्बई के कितने भूतपूर्व श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को मजगांव गोदी में खपा लिया गया है; और

(ख) क्या सभी को नहीं खपाया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख) महर्स एलकाक एशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के भूतपूर्व कर्मचारियों को मजगांव डाक लिमिटेड में खपाये जाने की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :--

(1) मैसर्स एलकाक एशडाउन एण्ड कम्पनी के भूतपूर्व कर्मचारियों की कुल संख्या (श्रम आयुक्त, बम्बई द्वारा मझगांव भेजी गई सूची के अनुसार)	932
(2) मझगांव डाक में नौकरी के लिये निर्धारित प्रोफार्मों पर विवरण भजने वालों की संख्या	761
(3) मझगांव डाक लिमिटेड में नौकरी पर लगाए जाने वालों की संख्या	528
(4) उन लोगों की संख्या जिनके मामलों पर उनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विचार नहीं किया जा सका	38
(5) शारीरिक दृष्टि से योग्य न होने के कारण न लिए जाने वालों की संख्या	2
(6) उन लोगों की संख्या जो टेस्ट/इंटरव्यू के लिय नहीं आए .	77
(7) उन लोगों की संख्या जिन्होंने मझगांव डाक में नौकरी स्वीकार नहीं की	79
(8) उन लोगों की संख्या जिन्हे अभी तक नहीं खपाया जा सका .	37

मैसर्स एलकाक एशडाउन एण्ड कम्पनी के बकाया 37 भूतपूर्व कर्मचारियों को न खपाये जाने का कारण यह है कि मझगांव डाक लिमिटेड में तदनुरूप अथवा समान कैटेगरी नहीं है। उपयुक्त वकल्पिक ट्रेडों में रिक्त स्थान होने पर इन्हें नियोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सैनिक बोर्ड

1295. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सैमिक बोर्डों को सुदृढ़ करने की कोई योजना है; **और**

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख) राज्य सैनिक बोर्डों के कार्यचालन को सुदृढ बनाने के लिये निम्नलिखित निर्णय किए गए हैं :—

(1) राज्य सैनिक बोर्डों के सचिव, थल सेना के सेवा निवृत्त ब्रिगेडियर/ कर्नल अथवा नौसेना या वायुसेना के उनके समकक्ष अधिकारी होने चाहियें।

(2) जिला सैनिक बोर्डों के सचिव थल सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल/मेजर अथवा नौसेना या वायुसेना के उनके समकक्ष अधिकारी होने चाहये।

(3) कल्याण-कार्य व्यवस्थापक थलसेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशन अफसर सीनियर नान-कमीशन अफसर अथवा नौसेना या वायुसेना के उनके समकक्ष अफसर होने चाहियें और उनका चुनाव ऐसे अनुभवी भूतपूर्व सैनिकों में से किया जाना चाहिए जो पर्याप्त शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों।

(4) ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित सचिवों के नियुक्ति आरंभतः तीन वर्ष के लिये की जानी चाहिये और उन्हें छः महीने की परिवीक्षाधीन अवधि में रखना चाहिये। परिवीक्षाधीन अवधि के बाद उनके कार्य-निष्पादन और कार्य कुशलता के आधार पर उनकी सेवा अवधि वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ाई जानी चाहिये।

इन निर्णयों को क्रमिक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा है कि उपर्युक्त उपायों से इन बोर्डों के कार्यचालन में सुधार होगा।

पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर दूरदर्शन कार्यक्रम

1296. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओंऔर कठिनाइयों के बारे में कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण निकट भविष्य में शुरू करने का है और यदि हां, तो कब से ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदान नहीं करता है। तथापि लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र उत्तर प्रदेश के लखीम पुर खड़ी के पहाड़ी क्षेत्रों के "थारू"

जनजातियों की समस्याओं पर एक डाकुमेन्ट्री फिल्म और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के विकास पर एक परिचर्चा पहले ही टैलीकास्ट कर चुका है ; भारत के जन-जाति क्षेत्रों के लोक नृत्यों और संगीत को प्रतिबिम्बित करने वाले कार्यक्रम दूर दर्शन केन्द्रों से समय समय पर टेलीकास्ट किए जाते रहते हैं। मसूरी ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र में आने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में कभी-कभी एक फिल्मी टीम भी भेजने का प्रस्ताव है ताकि उन क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रतिबिम्बित करने वाले कार्यक्रम तैयार किये जा सकें ।

पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों पर पुनर्विचार

1297. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों पर मदानी क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों से भिन्न स्तर पर पुनर्विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग को इस बारे में पहाड़ी और आदिसी क्षेत्रों से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के प्रत्येक क्षेत्र में पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिये योजना आयोग क्या कार्यवाही कर रहा है अथवा करना चाहता है ?

प्रधानमंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्रों के लिये और जन-जातीय क्षत्रों के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के परामर्श से अलग से उप-योजनाएं तैयार की गई थीं । राज्य योजना से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिये उपलब्ध धनराशि में से इन क्षेत्रों के लिये किए जाने वाले आवंटनों को इन उप-योजनाओं में दिखाया गया है। केन्द्रीय योजना से निवेश के एक भाग को इन विशेष क्षेत्रों के वास्ते नियत करने के लिये भी प्रयास किए जा रहे हैं। अगली योजना की अवधि में पहाड़ी और जन-जातीय क्षत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आजकल योजना आयोग द्वारा सम्बन्धित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

RURAL ELECTRIFICATION SCHEMES IN JAIPUR DISTRICT

†1298. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state the number and details of schemes sanctioned and being implemented by the Rural Electrification Corporation in Jaipur District of Rajasthan ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : The Corporation has upto 30th September 1977 sanctioned 16 schemes for a total loan assistance of Rs. 800.003 lakhs in Jaipur district of Rajasthan. Of these, 15 schemes have been sanctioned to the Rajasthan State Electricity Board and one to the Kotputli Rural Electric Cooperative Society set up in Jaipur district.

The details of these schemes are given in the statement enclosed. [Placed in Library, *See* No. L.T.-1160/77]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देने के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबंधों संबंधी अधिनियम ।

1299. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को मान्यता देने के बारे में क्षेत्रीय प्रतिबन्धों संबंधी अधिनियम लागू हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो वह संभवतः कब तक लागू हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, (1976 की सं० 108), 27 जलाई 1977 से प्रवृत्त किया गया है ।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों की मांग

1300. **श्री वयालार रवि** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री 22 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों की मांगों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र थुम्बा के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा प्रस्तुत मांगें दो स्थूल श्रेणियों में आती हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(i) केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों से सम्बन्धित सामान्य प्रकार के सेवा संबंधी मामले ।

(ii) अन्य मामले जैसे उन्नति के अवसर, स्टाफ कल्याण तथा अन्य कार्यकारी सुविधाएं।

जहां तक पहली श्रेणी से संबंधित मांगें हैं, अर्थात् सामान्य प्रकार के सेवा संबंधी मामले जैसे—बोनस की अदायगी, छुट्टी अभ्यर्पण सुविधा, समयोपरि भत्ते की दरों का पुनरीक्षण, मंहगाई भत्ते को उपभोक्ता कीमत सूचकांक के साथ जोड़ना, इत्यादि का सम्बन्ध है, इन मांगों पर केन्द्रीय सरकार के केवल एक वर्ग के लिय अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, अपितु ये सरकार के विद्यमान आदेशों से नियन्त्रित होती हैं, तथा इन मामलों में किसी भी प्रकार का सुधार करना, कर्मचारियों के एक वर्ग से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार का विषय नहीं हो सकता।

जहां तक उपर्युक्त (ii) में वर्णित अन्य मांगों का सम्बन्ध है, या तो इन्हें स्वीकार कर लिया गया है अथवा इन पर सरकार के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । फिर भी, एक बात पर मैं सरकार की नीति और कानून को बिल्कुल स्पष्ट करूंगा और यह प्रश्न कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन रखने से संबंधित है। मैंने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि अन्तरिक्ष केन्द्र एक उद्योग नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियन ऐक्ट लागू नहीं होता है । कर्मचारियों को ऐसी एसोसियेशन बनाने की स्वतन्त्रता है, जो कि संबंधित नियमों के अनुसार मान्यता के बाद कार्य कर सकती है ।

मैं यह प्रबन्ध कर रहा हूं कि उपर्युक्त श्रेणी (ii) के अन्तर्गत वर्णित, मांगों के बारे में निर्णय से कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय ।

नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण के बाद चीन से वापसी

1301. **श्री वयालर रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में आधुनिक शस्त्रों का प्रशिक्षण पाकर नागा विद्रोहियों की नयी टोलियां लौट आई हैं और हाल ही में उत्तर नागालैण्ड में प्रवेश पाने में सफल हो गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में भूमिगत नागाओं की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों से बढ़ गई हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भूमिगत नागाओं के दो गिरोह विदेश में प्रशिक्षण और सहायता प्राप्त करने के पश्चात वापस आए हैं और अब हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार बर्मा में रह रहे हैं। अक्तूबर, 1976 के अन्त में इस गिरोह के दस सदस्य सीमा पार करके नागालैण्ड में आये बताये जाते हैं। बाद में उनमें से 5 ने नवम्बर, 1976 में आत्म समर्पण कर दिया। नागालैण्ड में अन्य किसी घुसपैठ की खबरें नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) जी नहीं, श्रीमान्। शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद नागालैण्ड में स्थिति शान्त बनी हुई है ।

PROMOTION OF CLERKS TO U.D.C.

1302. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state the number of years taken in the promotion of a clerk to the post of Upper Division Clerk in the case of civilian employees (U) in the Indian Air Force ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : Among civilian employees in the Indian Air Force, promotions to the post of Upper Division Clerk are made from the grade of Lower Division Clerk on the basis of seniority-*cum*-fitness. At present, it takes about fifteen to seventeen years for a Lower Division Clerk to be promoted as an Upper Division Clerk.

RECRUITMENT OF CIVILIAN CLERICAL EMPLOYEES

1303. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state whether it is a fact that not even a single civilian clerical employee has been recruited after 1965 ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : No, Sir. Civilian clerks have continued to be recruited after 1965 in the various organisations of the Ministry of Defence.

रूट नं० 91 और 94 पर दिल्ली परिवहन की बसों के अलावा प्राइवेट बसों को लगाने की मांग ।

1304. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूट नं० 91 और 94 पर बसों की संख्या बढ़ाने के लिये इन रूटों के दैनिक यात्रियों से बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, दैनिक यात्रियों की

भारी भीड़भाड़ से, विशेष रूप से अत्यधिक व्यस्तता के घण्टों में निपटने के लिये क्या सरकार का उन रूटों पर प्राइवेट बसें लगाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो कब, और इन रूटों के यात्रियों को कुशल बस सेवा देने के लिये सरकार का क्या अन्य उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) त्रिनगर, जहां से दोनों रूट शुरू होते हैं, के निवासियों से सुबह के समय भीड़ से निपटने के लिए नियमित बसें और अतिरिक्त बस चलाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । त्रिनगर बस स्टैण्ड पर यातायात स्थिति पर निरन्तर नजर रखी गयी, इसके फलस्वरूप सुबह की भीड़-भाड़ को कम करने के लिये रूट नं० 91 पर एक अतिरिक्त फेरे और रूट नं० 94 पर दो ऐसे फेरों की व्यवस्था की गयी है ।

त्रिनगर से जामा मस्जिद (लाल किला) तक रूट न० 97 का चालू किया जाना

1305. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिनगर के निवासियों से प्राप्त अभ्यावेदनों और लम्बे समय से चले आ रहे पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप त्रिनगर से जामा मस्जिद (लाल किला) तक रूट नं० 97 कुछ समय पहले अर्थात् आपात स्थिति के दौरान चालू करने का प्रस्ताव था,

(ख) क्या अधिकारियों ने इस रूट का उद्घाटन करने की तारीख भी निर्धारित कर दी थी, परन्तु उसका उद्घाटन नहीं हुआ, और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को रद्द करने के क्या कारण थे, और क्या इस रूट के दैनिक यात्रियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस रूट को चालू करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने अपने प्रशासकीय नियन्त्रण और परिचालनात्मक प्रभार योजना के अधीन प्राईवेट बसों को रखकर रूट नं० 97 पर इन्द्रलोक से (जो क्षेत्र त्रिनगर से लगा हुआ है) किशनगंज, आजाद मार्केट और रेलवे स्टेशन होकर जामा मस्जिद तक 3-3-77 को एक बस सेवा शुरू की थी । परन्तु प्राईवेट बस मालिकों को यह रूट अलाभप्रद लगा और उन्होंने 29-3-77 से सेवा बन्द कर दी ।

त्रिनगर रूट नं० 94 से रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है जहाँ से लाल किला और अन्य स्थानों की बसें आसानी से मिल जाती हैं । इस समय रूट सं० 97 पर पुनः सेवाएं शुरू करने के लिये निगम के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय संविधान का प्रमाणिक हिन्दी संस्करण उपलब्ध किया जाना

1306. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान का प्रमाणिक हिन्दी संस्करण अब तक जनता को उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय संविधान का प्रमाणिक हिन्दी संस्करण जनता को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय संविधान का प्रमाणिक हिन्दी संस्करण उपलब्ध कराने के विषय में कुछ प्रख्यात विधिवेत्ताओं की राय ली गई है। उनका मत है कि ऐसा करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। उनका यह भी मत है कि संसद् विधान द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि संविधान का, हिन्दी में या संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी दूसरी भाषा में अनुवाद उसका हिन्दी या ऐसी दूसरी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद माना जायेगा। सरकार इस संबंध में व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

आल इण्डिया रेडियो में काम करने वाले न्यूज रिपोर्टरों, सब-एडिटरों, न्यूज रीडर एवं ट्रांसिलेटरों के वेतनमान

1307. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अक्तूबर, 1964 को आल इण्डिया रेडियो के क्षेत्रीय एककों में काम करने वाले न्यूज रिपोर्टरों, सब-एडिटरों, न्यूज रीडरों, एवं ट्रांसलेटरों के लिये 235-530 रुपये का एक ही वेतनमान निर्धारित कर दिया गया था;

(ख) क्या 1 अप्रैल, 1971 को उपरोक्त श्रेणी के वेतनमान बढ़ाकर 350-800 रुपये कर दिये गए थे परन्तु न्यूज रिपोर्टरों और सब-एडीटरों का वेतनमान अनुचित रूप से 325-530 रुपये ही रहने दिया गया था;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1973 से इन सभी तीनो वर्गों के कर्मचारियों के नए वेतनमान घोषित किए गये थे और वेतनमानों में बहुत गम्भीर तोड़मरोड़ की गई थी जैसे न्यूज रीडरों एवं ट्रांसलेटरों तथा सब-एडीटरों के वेतनमान बढ़ाकर 650–1200 रुपए कर दिया गया परन्तु बिना किसी कारण के न्यूज रिपोर्टरों का वेतनमान 550–900 रुपए निर्धारित कर दिया गया; और

(घ) क्या सरकार इस मामलें की जांच करेगी और न्यूज रिपोर्टरों का वेतनमान भी 650–1200 रुपए निर्धारित कर देगी और अन्याय को समाप्त कर देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हाँ। तथापि, समाचार वाचक-व-अनुवादकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दी गई थी और इस प्रकार उनका शुल्क 280 रुपए से शुरू हुआ था। उनके लिए 425–770 रुपए का सलेक्शन ग्रेड भी था।

(ख) फरवरी, 1972 में समाचार वाचक-व-अनुवादकों (जूनियर स्केल) के शुल्कमान संशोधित कर 350–800 रुपए कर दिए गए थे और न्यूज रिपोर्टरों तथा उप-सम्पादकों के शुल्कमान संशोधित कर 325–575 रुपए कर दिए गए थे। ये शुल्कमान 1–4–1971 से प्रभावी हुए थे।

(ग) और (घ) स्टाफ आर्टिस्टों के शुल्कमानों को फरवरी, 1972 में युक्तिसंगत किया गया था। इन आदेशों को एक अप्रैल, 1971 से लागू किया गया था; स्टाफ आर्टिस्ट फरवरी, 1972 में जारी किए गए इन आदेशों से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद से निम्नलिखित का निर्धारण करने के उद्देश्य से स्टाफ आर्टिस्टों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कहा :—

(1) विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के बीच तथा विभिन्न स्तरों पर सही अन्तर ; और

(2) एक ही प्रकार का कार्य करने वाले कतिपय श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों तथा नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच समानता या सापेक्षता ।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने उप-सम्पादकों की न्यूज रिपोर्टरों की 221 की प्वाइंट वैल्यू की तुलना में 281 की प्वाइंट वैल्यू दी । विभागीय समिति, जिसने राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद की सिफारिशों की जाँच की थी, ने यह सिफारिश भी कि उप-सम्पादकों (श्रेत्रीय समाचार एकक) को उद्घोषक व-समाचार वाचकों के ग्रुप में लाया जाए और उन्हें 350–800 रुपए के जूनियर स्केल में रखा जाए ।

स्टाफ आर्टिस्टों के शुल्कमानों में उन निर्णयों की रोशनी में 18 जून, 1976 को संशोधन किया गया जो सरकार ने आकाशवाणी के तुलनीय श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिए थे । इन निर्णयों को 1–2–1973 से लागू किया गया था । इस आधार पर समाचार वाचक-व-अनवादकों तथा उप-सम्पादकों को 650–1200 रुपए का शुल्कमान और न्यूज रिपोर्टरों को 550–900 रुपएका शुल्कमान दिया गया था ।

गढ़वाल-ऋषिकेश पन-बिजली योजना (हरिद्वार) के अन्तर्गत एक बिजलीघर का गिरना

1308. **श्री के० लकप्पा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल-ऋषिकेश पनबिजली योजना (हरिद्वार) के अन्तर्गत आने वाला बिजलीघर हाल ही की वर्षा ऋतु में गिर गया था, क्योंकि उसमें ठेकेदार ने घटिया किस्म की निर्माण-सामग्री लगाई थी ;

(ख) क्या वह सम्बद्ध निर्माण विभाग द्वारा किये गये धन के दुरुपयोग के समाचारों से अवगत हैं; और

(ग) दोषपूर्ण निर्माण और धन के दुरुपयोग की जाँच के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं । उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों ने सूचित किया है कि गढ़वाल-ऋषिकेश जल-विद्युत् योजना के अन्तर्गत आने वाला बिजलीघर, हाल की वर्षा ऋतु में, गिरा नहीं था ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से, प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को गोपनीय फाइलें दिया जाना ।

1309 **श्री के० लकप्पा**
डा० नरी आस्टिन
श्री ओ० वी० अलगेशन } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक राजनैतिक साप्ताहिक पत्रिका 'न्यू' वेव दिनांक 9 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने श्री देसाई के मंत्रिमंडल के सहयोगियों से सम्बन्धित कुछ अत्यन्त गोपनीय फाइलें उनको दी थीं;

(ख) यदि हां, तो यह बात कहां तक सच है;

(ग) उन मत्रियों के नाम क्या है जिनके बारे में प्रधान मंत्री को फाइलें दी गई थीं;

(घ) ये फाइलें किस प्रकार की हैं; और

(ङ) क्या प्रधान मंत्री संसद् में इस बात से इंकार करेंगे, यदि उनको वे फाइलें नहीं मिलीं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी कहां ।

(ख) इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) जी हां ।

साम्प्रदायिक दंगे

1310. **श्री के० लकप्पा**
श्री अनन्त देव
श्री एम० ए० हनान अलहाज
श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत 6 महीनों में देश में साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो साम्प्रदायिक दंगे किन स्थानों पर हुए हैं ;

(ग) क्या दो समुदायों में मुठभेड़ पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी ;

(घ) इस तनाव के लिये किसको जिम्मेदार ठहराया गया है, और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रखी दी जाएगी ।

विज्ञान और प्रौद्योगिक के सम्बन्ध में भारत-चेकोस्लोवाकिया करार

1311. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सरकार और चेकोस्लोवाकिया ने 1977 में एक नये करार पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

FAKE VISA RACKET

1312. SHRI RAMANAND TIWARI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item appearing in the "Times of India" dated the 24th September, 1977 under the caption 'Fave Visa Racket unearthed';

(b) if so, the action taken in the matter; and

(c) the steps proposed to be taken to check such fraudulent activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OM HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir.

(b) On receipt of a report from the Imperial Embassy of Iran, New Delhi, about the forgery of foreign visas, the matter has been investigated by the Delhi Police and two persons have been arrested and 36 fake visas seized. Further investigations are in progress.

(c) Action under law is taken when any such congnizable offences are reported to the Police.

भारत के पूर्वी क्षेत्र में नमक की सप्लाई में कमी

1313. **श्री समर गुह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी क्षेत्र को नमक की सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस कमी से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नमक के मूल्य में वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो पूर्वी भारत में नमक की सप्लाई में ऐसी कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पूर्वी भारत में नमक संकट को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं ।

(ख) नमक के मूल्यों में कोई भी असामान्य वृद्धि नहीं बताई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जुलाई, और अगस्त, 1977 के दौरान नमक की सप्लाई में कमी होने की सूचना दी थी । पश्चिम बंगाल को सप्लाई किए जाने वाले नमक की बताई गई कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने सभी रेल मार्गों से 30,000 मी० टन नमक कलकत्ता ले जाने की अनुमति देने का निर्णय किया था । पश्चिम बंगाल में नमक की उपलब्धता में और अधिक सुधार करने के प्रयोजन से भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को सभी रेल मार्गों से 25 माल डिब्बे प्रतिदिन नमक ले जाने की भी अनुमति दी थी। देश में नमक की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये यह भी निर्णय किया गया था कि नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य सभी देशों को नमक का निर्यात करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया जाए ।

LICENCES GRANTED TO BIG INDUTRIALISTS FOR SETTING UP NEW INDUSTRIES

1314. SHRI HUKAMDEO NARAYAN YADAV : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the names of big industrialists granted licences for setting up new industries as also of those whose licences were renewed and of those whose licences were cancelled togethr with the reasons therefor, after the formation of the Janata Government ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : Out of the total under of 69 industrial licences issued April-September, 1977 under the I(D&R) Act, for setting up of new industries, no industrial licence has gone in favour of undertakings covered by the M.R.T.P. Act. During the same period, three industrial licences were revalidated and four industrial licences were cancelled/revoked in respect of M.R.T.P. undertakings for setting up of new industries. The Industrial licences were cancelled under the provisions of subsection (1) of Section 12 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951) as the licences failed to take effective steps to establish the industrial undertakings within the validity period.

ISSUE OF 37 LICENCES AND 50 LETTERS OF INTENT FOR THE PRODUCTION OF NEW ARTICLES

1315. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether in August, 1977, Government had issued 37 licences and 50 letters of intent for the production, expansion, increasing trade of new articles and opening new institutions therefor; and

(b) if so, the names of the firms and institutions which have been granted these licences ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : Yes, Sir.

(b) The details of industrial licences including the name of the party, item of manufacture, capacity, location of the project etc. are published in "weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", "Indian Trade Journal", and "Monthly list of letters of Intent and Industrial Licences". Copies of these publications are available in the Parliament Library.

डबल रोटी की कमी

1316. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री एस० जी० मुरूगय्यन } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में डबल रोटी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की डबल रोटी बनाने वाली एक कम्पनी अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करके अपने उत्पादन को कम से कम 15 प्रतिशत बढ़ा सकने की स्थिति में है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कम्पनी को इसकी मंजूरी प्रदान करने की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार दिल्ली में डबल रोटी की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकारी नियन्त्रण वाले माडर्न बेकरीज की क्षमता को बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

विशाल विदेशी बहु-राष्ट्रीय निगमों के कार्य के बारे में नीति अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त

1317. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशाल विदेशी बहु-राष्ट्रीय निगमों के कार्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं :

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे बहु-राष्ट्रीय निगमों के कार्यकरण को नियमित तथा नियन्त्रित करने का है अथवा उसके पास इस सम्बन्ध में पहले से ही योजनायें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ङ) सरकार की मौजूदा औद्योगिक लाइसेंस नीति में केवल 19 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों और अन्य अत्यधिक निर्यातोन्मुख उद्योगों में ही विदेशी फर्मों, विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों और शाखाओं द्वारा भाग लिये जाने की व्यवस्था है। इन कम्पनियों में जो निवेश किया जायेगा उसका नियमन विदेशी इक्विटी पूंजी को समाप्त करने के मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार होगा जिस पर प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं, निर्यात की संभावनाओं तथा भुगतान शेष पर सम्पूर्ण रूप से पड़ने वाले असर को विशेष रूप से ध्यान में रख कर विचार किया जायगा।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को फीस की अदायगी

1318. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी तथा 'दूरदर्शन' विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले वार्ताकारों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा अन्य ऐसे भाग लेने वालों को फीस अथवा मानदेय के रूप में कुछ राशि देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के भाग लेने वालों को उक्त राशि देने के सम्बन्ध में कोई कसौटी/नियम बना रखे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या स्टेशन डायरेक्टर स्वयं उक्त राशियों में कोई परिवर्तन कर सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी , हां ।

(ख) जी, हां

(ग) विधिवत गठित स्वर परीक्षण समितियां सभी प्रकार के संगीत और नाटक कलाकारों का स्वर परीक्षण कर उनका वर्गीकरण करती है। कलाकार को जो फीस दी जाती है वह उस श्रेणी के अनुसार होती है जिसमें उसको स्वर परीक्षण समिति द्वारा रखा जाता है। जहां तक वार्ताकारों का सम्बन्ध है, केन्द्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हुए हैं जिनमें वार्ताकारों को शुल्क उनकी योग्यता और स्तर के अनुसार दिए जाने की व्यवस्था है।

(घ) जी, हां।

(ङ) नाटक और संगीत के कलाकारों के लिये निर्धारित शुल्क मान प्रत्येक श्रेणी में सीमाबद्ध है। केन्द्र निदेशकों को इस बात का अधिकार है कि वह अपने विवेक से पहली दो श्रेणियों के किसी कलाकार का शुल्क निर्धारित सीमा के अन्दर बढ़ा सके। केन्द्र निदेशकों को यह भी अधिकार है कि वह किसी वार्ताकार का शुल्क एक निश्चित राशि तक तय कर सके।

तटीय राजमार्गों के निर्माण के लिए दिया गया अनुदान

1319. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तटीय राजमार्गों के निर्माण के लिये एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों को अनुदान अथवा ऋण अथवा दोनों के रूप में कोई वित्तीय सहायता देती है,

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने 1975, 1976 तथा 1977 में ऐसी वित्तीय सहायता मांगी थी, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने गुजरात राज्य सरकार को ऐसी सहायता मंजूर तथा रिलीज की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित सड़कों के लिये उत्तरदायी है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कों, जिनमें वे तटीय सड़कें भी शामिल हैं जो राज्य के सड़क-तंत्र का भाग है, के लिये संबंधित राज्य सरकारें ही मुख्यतः उत्तरदायी हैं। परन्तु राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास कार्यों में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार, जब और जैसे राज्यों से विशेष अनुरोध प्राप्त होते हैं, राज्यों में तटीय सड़कों के विकास के लिये उपलब्ध संसाधनों के अन्दर जहां तक संभव होता है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस संबंध में महाराष्ट्र में पनवेल से शुरू होकर केरल में चालीसेरी तक गोवा और कर्नाटक से गुजरने वाली पश्चिम तटीय सड़क के विकास के लिए लगभग 23 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई। इसी प्रकार तमिलनाडु में पूर्वी तट के साथ-साथ सड़क के लिये 2.95 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिये सहमति हो गई है। इसी प्रकार केन्द्रीय सड़क निधि से और अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय

सहायता कार्यक्रम के अधीन गुजरात में तटीय सड़कों के विकास के लिये 5.42 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई और दी जा रही है । इसमें से, गुजरात सरकार को 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान, निम्नलिखित भुगतान किए गए है जो अन्य बातों के साथ, तटीय सड़क, उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कार्यों की प्रगति आदि के लिये हैं :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	आर्थिक और अन्तर्राज्यीय महत्व के सड़क कार्यक्रम	केन्द्रीय सड़क निधि	
		(नियतन)	(साधारण आरक्षण)
1975-76	25.00	42.90	5.10
1976-77	45.60	63.00	4.40
1977-78 (बजट अनुमान)	30.40	75.00	2.85
कुल . . .	101.00	180.90	12.35

बहु-राष्ट्रीय निगमों, कोका कोला तथा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा निदेशों का पालन करने से इन्कार

1320. **डा० बापू कालदाते** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु-राष्ट्रीय निगमों तथा मुख्यतः कोका कोला और इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने देश में अपनी गतिविधियों को चलाने के संबंध में सरकार के निदेशों का पालन करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देश में उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन जारी किए गए अनुदेश कानूनी हैं और इनका पालन करना ही पड़ेगा।

इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स (आई० बी० एम०) ने बताया है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्देशित विधि के अनुरूप अपनी इक्विटी पूंजी को कम नहीं कर सकेंगी, । अतः दिए गए समय के अन्दर ही कम्पनी भारत में अपने क्रियाकलापों को प्रावस्थाबद्ध करेगी।

कोका कोला निर्यात निगम ने यह बताया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के गैर निवासी लोगों को 40 प्रतिशत से अधिक न रखकर एक भारतीय कम्पनी का गठन करने के निदेश को तब तक पूरा नहीं कर सकेगा जब तक उन्हें भारत में कोकाकोला सान्द्रणों के उत्पादन

को नियंत्रित करने हेतु कोकाकोला कंपनी, यू० एस० ए० का एक किस्म नियन्त्रण कार्यालय स्थापित करने अथवा प्रस्तावित भारतीय कंपनी को नए पेयों का उत्पादन करने की अनुमति नहीं दे दी जाती। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोकाकोला निर्यात निगम द्वारा प्रस्तुत दोनों वैकल्पिक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है।

परमाणु संयंत्रों को आणविक ईंधन की कमी का सामना

1321. **डा० बापू कालदाते** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने कग कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक परमाणु संयंत्रों को आणविक ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आणविक ईंधन की सप्लाई बढ़ाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) (क) जी, नहीं। तथापि, यदि वह समृद्ध यूरेनियम समय पर प्राप्त नहीं हुआ, जिसे देने के लिये अमरीका से अनुरोध किया गया है, तो तारापुर परमाणु बिजलीघर के प्रचालन पर असर पड़ सकता है।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग (रा) के लिए कार्य कर रहे सूचना अधिकारी

1322. **डा० बापू कालदाते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अनेक सूचना अधिकारियों ने आपात स्थिति के दौरान अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग के लिये कार्य किया;

(ख) क्या कुछ अधिकारियों को आपात स्थिति के दौरान सूचना अधिकारियों के रूप में कार्य करने हेतु दूसरे विभागों, विशेषकर गृह-विभाग से भर्ती किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या ये भर्ती किये गये अधिकारी अभी भी सूचना अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सूचना सेवा के कुछ अधिकारियों ने जो आपात स्थिति के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर थे, अनुसंधान और विश्लेषण विंग में काम किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तैयार शुदा शिपयार्ड की खरीद

1323. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे देशों से तैयार शुदा शिपयार्ड खरीदने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दाऊदी वोहरा मुस्लिम समाज के मामलों में दखल देना

1324. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मुस्लिम सम्मेलन ने सामाजिक सुधारों के बहाने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है और दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज के आन्तरिक मामलों की जांच के लिये श्री बी० एम० तारकुण्डे के अधीन एक आयोग की स्थापना की आलोचना की है;

(ख) क्या मुस्लिम नेताओं ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस बारे में प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) ऐसा कोई आयोग सरकार ने नियुक्त नहीं किया है। सरकार किसी गैर सरकारी निकाय को किसी सामाजिक समस्या का अपनी ओर से अध्ययन करने से नहीं रोक सकती है ।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना

1325. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 की अवधि के दौरान कितने नये उद्योगों की स्थापना की गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये उद्योग बड़े व्यापार गृहों द्वारा स्थापित किये गये थे अथवा छोटे उद्योगपतियों द्वारा; और

(ग) ये उद्योग किस क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) राज्यों के उद्योग निदेशकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एस० आई० डी० ओ० के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक पंजीकृत किये गये लघु एककों की कुल संख्या 6,000 के लगभग है, यह संख्या अन्तिम नहीं है तथा पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे संशोधित कर लिया जाएगा।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ?

(ग) प्रश्न के भाग 'क' में दिए गए लघु उद्योग एककों को लघु क्षेत्र में स्थापित किया गया है ।

बेरोजगार स्नातकों को लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी योजना

1326. **श्री ओ० पी० अलगेशन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए बेरोजगार स्नातकों की सहायता करने सम्बन्धी योजना नई सरकार ने छोड़ दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो गत छह महीनों के दौरान उद्योगों की स्थापना करने के लिए कितने बेरोजगार स्नातकों को लाइसेंस दिये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की योजना वर्ष 1975–76 के बाद समाप्त कर दी गई थी। नई सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना को पुनः शुरू करेगी।

(ख) चूंकि पिछले छः महीनों के दौरान योजना अस्तित्व में नहीं थी, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

मिनी बसों के लिए परमिटों की मंजूरी

1327. **डा० मुरली मनोहर जोशी** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्नातक बेरोजगार योजना तथा अन्य ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत 1975–76 तथा मार्च, 1977 तक दिल्ली में मिनी बसों के लिए परमिट दिए जाने के संबंध में हुई अनियमितताओं की जांच की है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले, और

(ग) क्या सरकार को इन बसों में अत्यधिक भीड़भाड़ होने, इनके अत्यधिक तेज गति से चलाए जाने तथा इनके संचालकों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में जनता की शिकायतों की जानकारी है और यदि हां, तो इस संबंध में सुधार करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) प्रशासन ने सूचित किया है कि जांच चल रही है। शाह आयोग स्नातक बेरोजगार योजना के अधीन मिनी बसों के आवंटन संबंधी शिकायतों की जांच कर रहा है।

(ग) जी, हां। बसों में भीड़ को कम करने के लिए मिनी बसों के परमिट एक विशेष अवधि के लिए समय समय पर निलम्बत कर दिए जाते है। बसों में अत्यधिक भीड, अत्यधिक गति से बसें चलाने तथा अन्य अपराधों के लिए मिनी बस ड्राईवरों और परिचालकों के विरुध यातायात पुलिस तथा परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जोरदार अभियान चलाया जाता है। मिनी बसों का पुलिस अधीक्षक (यातायात) और परिवहन निदेशालय, दिल्ली के उप पुलिस अधीक्षक (प्रवर्तन) द्वारा चालान किया जाता है।

छठी योजना में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिये कृषि और उद्योग क्षेत्रों में विनियोजन

1328. **श्री प्रसन्न भाइ मेहता**
डा० हेनरी आस्टिन
श्री हुकम देव नारायण यादव } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का यह मत है कि बेरोजगार की समस्या का हल कृषि और उद्योग में असंगठित क्षेत्रों में, जहां लगभग 2600 लाख लोग बेरोजगार हैं पाया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग आगामी वर्ष आरम्भ होने वाली छठी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों क्षेत्रों में विनियोजन बढाने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) दोनों क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) छठी योजना के अन्तर्गत इन दोनों क्षेत्रों में कितनी नौकरियां निकलने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) अगली पंचवर्षीय योजना इस समय तैयार की जा रही है। जिन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, उन क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश और रोजगार की संभावित उपलब्धता से संबंधित ब्यौरा योजना दस्तावेज में दिया जाएगा।

हिन्दुस्तान शिपयाड विशाखापतनम

1329. **श्री प्रसन्न भाई मेहता:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने एक बड़ी निर्माण गोदी और बनाने तथा वर्कशाप में सेक्शनल फेब्रिकेशन सुविधाओं में सुधार करने के लिए 36 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है,

(ग) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड की उत्पादन में वृद्धि करने की योजना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) ब्रिटिश परामर्शक जिन्हें शिपयार्ड के विकास और आधुनिकीकरण की उपयुक्त सिफारिश करने के लिए लगाए गए ने चुने हुए विकल्प के आधार पर प्रत्येक 21500 डी०डब्ल्यू ०टी० प्रतिवर्ष के 6 और $6\frac{1}{2}$ पायनियर श्रेणी जहाजों का उत्पादन बढ़ाने की तीन वैकल्पिक योजनाओं का सुझाव दिया है।

इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण

1330. **श्री के० ए० राजन** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम का देश में इलैक्ट्रानिक घड़ियो का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) क्या उक्त निगम ने इस योजना को स्वीकृति देने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मेसर्स केरल राज्य इलैक्ट्रानिकी विकास निगम ने दो मूलभूत किस्मों की घड़ियों अर्थात् लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एल०सी०डी०) सादी तथा लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले (एल०सी०डी०) और घड़ियों की कुल 5 लाख इलैक्ट्रानिक अंकीय (डिजीटल) घड़ियों के निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत

किया था । इस परियोजना में कुल 1 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश करना होगा जिसमें लगभग 38 लाख रुपये मुल्य का आयातित पुंजीगत सामान लगेगा । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

देश में शिपयार्ड

1331. **श्री के० ए० राजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अनेक नये शिपयार्डों के निर्माण के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी परियोजनाएं इस समय सरकार के विचाराधीन है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) यह निश्चय किया गया है कि विदेशी परामर्शकों द्वारा 36000 और 60000 सी०डब्ल्यू०टी० के बीच के जहाजों के निर्माण के लिए जहाज निर्माण यार्ड के स्थापना के लिए दो स्थान अर्थात् गुजरात में हाजिरा और उड़ीसा में पारादीप के लिए विस्तृत परियजना रिपोर्ट तैयार कराई जाए । नए शिपयार्ड के स्थापना के बारे में अंतिम निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही किया जाएगा ।

PRODUCTION OF FILM ON THE BIRTH PLACE OF POET KESHAV

1332. SHRI UGRASEN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state : (a) whether Government propose to consider the question of producing a film on Orchha, the birth place of the great peot Keshav, a place of activities of the immortal martyr Azad, the land of beautiful temples and a symbol of ancient dignity, gallantry and literature so as to develop it as a centre of tourist attraction; and

(b) if so, the details in this regards ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) & (b) No separate documentary film on Orchha is proposed to be produced by the Films Division. The Films Division have, however. on their production programme a documentary film on late Shri Chandra Sekhar Azad.

न्यूट्रन बम

1333. **श्री समरगुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग को विस्फोट की तकनीक और न्यूट्रन बम के विस्फोट के स्वरूप तथा उसके प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक तथ्य प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) परमाणु, ताप परमाणु और न्यूट्रन बम में मूल भेदों के बारे में तथ्य क्या हैं ;

(घ) किन-किन देशों के पास न्यूट्रन बम का विस्फोट करने की तकनीक और ऐसे देशों द्वारा अब तक किए गए न्यूट्रन बम के विस्फाट के बारे में तथ्य क्या हैं और इन देशों द्वारा है न्यूट्रन बम के लिए कितने परमाणु ईंधन का प्रयोग किया गया ;

(ङ) क्या न्यूट्रन बम का विस्फोट करने की तकनीक का प्रयोग शान्तिपूर्ण विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है ; और

(च) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ) न्यूट्रन बम के बारे में कोई प्रमाणिक सूचना अथवा वैज्ञानिक विवरण उपलब्ध नहीं है। समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से यह बम एक ऐस हथियार मालूम पड़ता है जो न्यूट्रनों की उच्च मात्रा के प्रयोग के कारण प्राणियों को मार देता है लेकिन जिसके विस्फोट-जनित प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ते हैं तथा इस वजह से, भवनों एवं अन्य संरचनाओं की न्यूनतम हानि पहुंचती है।

न्यूक्लीय विस्फोटक दो प्रकार के होते हैं—विशुद्ध विखंडन विस्फोटक, जिनमें यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के आइसोटोपों के विखण्डन के परिणामस्वरूप ऊर्जा उन्मुक्त होती है, तथा ताप-न्यूक्लीय विस्फोटक जिनमें ट्रिकर का काम तो एक विखंडन-तंत्र करता है, लेकिन अधिकांश ऊर्जा हाइड्रोजन के आइसोटोपों के संलयन से उत्पन्न होती है। न्यूट्रान बम के स्वरूप के बारे में सही-सही जानकारी जाहिर नहीं की गई है, लकिन चूंकि यह बताया जाता है कि इससे रेडियो-सक्रिय पदार्थों की वर्षा अधिक मात्रा में नहीं होती, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति विलयन के परिणाम स्वरूप होती है।

(ङ) तथा (च) न्यूट्रान बम के उपयोग शान्तिमय अनुप्रयोगों पर कोई भी सामग्री वैज्ञानिक साहित्य में उपलब्ध नहीं है। लेकिन, चूंकि ऐसी सम्भावना है कि यह बड़ा मात्रा में न्यट्रान उत्पन्न करना होगा, इसलिए इसका उपयोग सम्भवत: न्यूक्लीय विखंडनशील सामग्री का प्रजनन करने एवं अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए किया जा सकता है। चूंकि, इसके वस्फोटजनित प्रभाव बहुत हल्के बताये जाते हैं इसलिए इसके भूमिगत विस्फोट को नियंत्रित रखना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए, जो कि ऊर्जा के शातिमय उपभोगों की दृष्टि से इसका एक लाभ है।

भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता।

1334. **श्री दुर्गा चन्द**
श्री सुरेन्द्र विक्रम } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास संबंधी उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मंजूर की थी ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को वर्षवार कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई ; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों के लिये उक्त योजनाओ को मंजूरी देने तथा उन्हें वित्तीय सहायता देने के बारे में क्या कसौटी अपनाई गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युद्ध विधवाओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता केन्द्रीय कल्याण निधियों से दी जाती है—अर्थात् भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए बनाई गई विशेष निधि और युद्धोपरांत सेवाओं के लिए बनायी गयी पुनर्निर्माण निधि। भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं की किया पुनर्वास योजना के लिए केन्द्र सरकार की निधि से सीधे वित्तपोषण नहीं किया जाता।

2. केन्द्रीय कल्याण निधियों की तरह प्रत्येक राज्य में भी एक निधि है। राज्य निधियां केन्द्रीय निधियों के अनुदान से स्थापित की गई हैं। राज्य सरकारों की कल्याण निधियों में सम्भव सीमा तक

वृद्धि की जाती है। राज्य सरकारों की निधियों में वृद्धि करने का उनका अनुरोध केवल तब ही माना जाता है यदि वे भी बराबर का अंशदान करें। प्रत्येक राज्य सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान दी गई राशि का एक विवरण परिशिष्ट–1 [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०-1161/77] में दिया गया है।

3. अब यह निर्णय किया गया है कि निधि की मूल पूंजी को सुरक्षित रखा जाए और राज्य सरकार कल्याण निधियों के निवेश से अर्जित ब्याज का ही निधियों के प्रयोजन के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए।

4. इसके अतिरिक्त, जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना और संचालन के व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात में बांटा जाता है। देश में जिला सैनिक बोर्डों के संचालन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित निधियों का राज्यवार विवरण परिशिष्ट–2 [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०–1161/77) में दिया गया है।

5. राज्यों की कल्याण निधि में वृद्धि के लिए राज्यों के अंश की गणना का आधार संबंधित राज्य संघ शासित क्षेत्र से उस वर्ष के पहले दिन भर्ती किए गए सशस्त्र सेनाओं के कार्यरत सेवा कार्मिकों की संख्या होती है जिस वर्ष उनके अंश का निर्धारण किया जाता है।

STRIKE BY POLICE EMPLOYEES IN DELHI

1335. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state : (a) whether police employees in Delhi had gone on strike in the recent past; and

(b) if so, their demands and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) & (b) : There has been no strike by the police employees of Delhi in the recent past. However, some Class IV employees of the Delhi Police went on hunger strike to press for the acceptance of demands which among others included grant of recognition to the association, 8 hourly shift duty, grant of gazetted holidays, supply of complete uniform and shifting of their supervisory control from the Delhi Police to the Delhi Administration. The agitation was called off on the assurance given by the Lt. Governor that their demands would be looked into.

PEOPLE LIVING BELOW POVERTY LINE

1336. SHRI YAGYA DATT SHARMA
SHRI PHOOL CHAND VERMA
SHRI CHANDRA DEO PRASAD VERMA
SHRI NATVERLAL B. PARMAR
SHRI YUVRAJ
} Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government are formulating a scheme for the development of the people living below poverty line;

(b) if so, the main features thereof;

(c) percentage of these people likely to come down by 1982 after the implementation of the above scheme; and

(d) the percentage of the people as in March, 1977 living below poverty line ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) & (b) : The primary objectives of the next Plan will be to remove unemployment and substantial under-employment over a definite period of time, and so to effect a significant improvement in the standard of living of people below the poverty line. The development strategy which is envisaged is to increase labour absorption in agriculture through accelerated irrigation and improvements in

productivity, and simulatneous increase in employment in de-centralised small-scale and household industry. The relevant policies and programmes, and appropriate investment priorities will be indicated in detail in the Draft Plan for 1978 to 1983.

(c) & (d) : The poverty line may be defined in different ways. On the definition suggested by an expert committee of the Planning Commission in Third Plan period, about 60 per cent of the population of the country could be considered to have been living below the poverty line in 1973-74. On an alternative datum-line of poverty based on minimum nutrition requirements, suggested by Professors Dandeker and Rath in 1971, about 40 per cent of the population would have been considered as below the poverty line in the same year. No estimates are available of the percentage of people living below these two levels of consumption in March 1977. It is also not possible to indicate at this stage the exact phasing in the reduction of poverty in the coming years, but planned programmes should be expected to reduce poverty significantly over the next two five year plans.

SETTING UP OF SUPER THERMAL PLANTS IN SIXTH PLAN

†1337. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up five super thermal, thermal power plants during the Sixth Five Year Plan in order to overcome power shortage in the country; and

(b) if so, the locations thereof and the names of States where they are proposed to be set up ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) & (b). In the context of accclerated power development in the country it was considered appropriate by the Government of India to set up Super Thermal Stations at pit-heads, under Central Sector to generate power for meeting the regional needs.

The first Super Thermal Power Station at Singrauli in U.P. is under execution. Four other proposed sites are :—

(1) Korba in Madhya Pradesh.

(2) Ramagundam in Andhra Pradesh.

(3) Neyveli in Tamilnadu.

(4) Farakka in West Bengal.

POWER SHORTAGE IN GUJARAT

†1338. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether there is shortage of power in Gujarat; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by the Central Government to overcome power shortage in Gujarat ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

RURAL ELECTRIFICATION FOR GUJARAT

†1339. SHRI DHARMASINHBHAL PATEL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) the amount allocated by the Rural Electrification Corporation for State Electricity Corporations for 1976-77 and the amount out of it provided to the Gujarat State Electricity Board;

(b) the amount actually utilized by the Board;

(c) the amount provided for Gujarat for 1977-78 and the amount out of it actually provided so far;

(d) the number of villages in Gujarat yet to be electrified; and

(e) the time by which the work of rural electrification is likely to be completed in Gujarat ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) The allocation made to the Gujarat State Electricity Board for 1976-77 was Rs. 320 lakhs. Taking into account releases made on instalments related to schemes sanctioned in the previous years, the total disbursements amounts to Rs. 384 lakhs.

(b) The amount actually utilised by the Board during 1976-77, inclusive of the unutilised amounts released during the previous years, was around Rs. 424 lakhs.

(c) The amount provided for the Gujarat State Electricity Board for 1977-78 is Rs. 350 lakhs. The disbursements upto 15th November, 1977, is around Rs. 29 lakhs.

(d) Total Number of villages — 18,275
Villages electrified upto 31st October, 1977 — 7,619
Villages yet to be electrified — 10,656

(e) The Gujarat State Electricty Board have intmated that subject to availability of adequate resources, the electrification of the remaining villages is likely to be completed by 1990-91.

भारतीय नौवहन निगम को हानि

1340 **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम को गत दो वर्षों से हानि हो रही है;

(ख) क्या निगम के प्रशासनिक व्यय में वृद्धि तथा लाभ में कमी हो रही है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे लाभप्रद बनाने के संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांदराम) : (क) जी नहीं ।

(ख) यद्यपि प्रशासनिक व्यय में अवश्य वृद्धि हुई है, तथापि जब परिचालन व्यय अथवा परिचालन कमाई से प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस में कमी हुई है। इसी प्रकार कंपनी के सकल लाभ में वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई है, परन्तु अधिक ब्याज प्रभारों, प्राप्त किए नये जहाजों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था करने तथा भाड़ा माकट में मन्दी के कारण निवल लाभ में कमी हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

OFFICIALS OF A.I.R. AND T.V. SENT ABROAD FOR SEMINARS AND TRAINING

1341. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of NFORMATION & BROADCASTING be pleased to state :

(a) number of officers of the All India Radio and the Doordarshan deputed abroad for seminars, trainings, etc., during the past six months;

(b) the officers being sent abroad for the purpose durng the coming six months;

(c) their special qualifications, and whether they have obtained proficiency in radio writings; and

(d) the reasons for not sending producers abroad ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) :

(a) All India Radio—16
Doordarshan—15

(b) All India Radio—4
Doordarshan—2

(c) Selections of Officers/Producers for training and other foreign assignment is based on the requirements of the assignments and their qualifications to meet this need. Proficiency in radio writing is not a qualification required for technical and organizational assignments.

(d) It is not correct that Producers are not sent abroad. Four out of the 16 officers in AIR and three out of 15 in Doordarshan sent abroad during the last six months were producers.

हुगली नदी के तलकर्षण के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग

1342 **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी के तलकर्षण के लिए आबंटित धनराशि का कोई दुरुपयोग हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) हुगली नदी केवल निकर्षण के लिये आबंटित धन राशि के दुरुपयोग के बारे में सरकार को पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उत्पादन गतिविधियों के विविधिकरण की अनुमति

1343 **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उत्पादन गतिविधियों के विविधीकरण की अनुमति देने के लिये निर्धारित नीति और शर्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक इसकी अनुमति दी गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी गतिविधियों का स्वरूप क्या है और विविधिकरण के मद क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) से (ग) विद्यमान औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की शर्तों के अनुसार विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाले उपक्रमों, उनकी शाखाओं सहायक कंपनियों अथवा उन कंपनियों द्वारा जिनकी 40 प्रतिशत से अधिक की चुकता पूंजी सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा धारित है, उनकी शाखाओं, अथवा सहायक कंपनियों अथवा विदेशी राष्ट्रियों अथवा गैर आवासीयों भारतीयों को इन उपक्रमों द्वारा किये गये निवेश के स्तर के बावजूद औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। विद्यमान नीति में यह भी विदित है कि विदेशी कंपनियां 19 विशिष्ट उद्योग समूह में हिस्सा लेने की पात्र हैं। जहां उत्पादन प्रमुख रूप से निर्यात के लिये ही किया जाता है वहा वे अन्य उद्योगों में भी निवेश करने की हकदार है। उनके निवेश "विदेशी इक्विटी समाप्त करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों" के अधीन होते हैं तथा प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं, निर्यात की संभावनाओं तथा भुगतान शेष के समग्र रूप पड़ने वाले प्रभाव के विशेष संदर्भ में इन पर विचार किया जाता है। सरकार ने कुछ अनुसूचित उद्योगों में विविधीकरण करने के लिये समय-समय पर विशेष सुविधाओं की घोषणा भी की है जिसके अनुसार औद्योगिक लाइसेंसधारी उपक्रमों को उपक्रम

की समस्त लाइसेंसीकृत क्षमता के अंदर निर्माण की विशिष्ट दिशा में विविधीकरण करने की अनुमति दी जाती है । विदेशी कंपनियों के इस सुविधा को प्राप्त करने के प्रस्तावों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

1976 तथा 1977 (सितम्बर, 1977 तक) की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन हुई नई वस्तुएं बनाने के लिये विदेशी कंपनियों को 26 औद्योगिक लाइसेंस तथा 18 आशयपत्र जारी किये गये थे । इनका सम्बन्ध अनुसूचित उद्योगों से है जैसे धातुकार्मिक उद्योग, विधुतीय उपकरण, औद्योगिक मशीनें, मशीनी औजार, रसायन , दवाइया तथा भेषजीय वस्तुएं, खाद्य परिष्करण उद्योग आदि । उद्योगों का नाम, स्थान आदि सहित आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे "वीकली बुलैटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज इम्पोर्ट लाइसेंसेस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंस" "इंडियन ट्रेड जर्नल", "जर्नल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" तथा "मन्थली लिस्ट आफ लेटर्स आफ इन्टेन्ट एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" में प्रकाशित किए जाते हैं इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

बहुराष्ट्रीय फर्मों को लाइसेंस दिया जाना

श्री सी० के० चन्द्रप्पन । क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई केन्द्रीय सरकार बन जाने के बाद देश में काम कर रही बहुराष्ट्रीय/सहायक फर्मों को कितने लाइसेंस दिये गये हैं/लाइसेंसों की अवधि बढ़ाई गई है ; और

(ख) देश में बहुराष्ट्रीय निगम के प्रति सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नांडिस : (क) अप्रैल से सितम्बर, 1977 की अवधि में विदेशी बहुलाभांश कम्पनियों/सहायक कम्पनियों को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 12 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे ।

(ख) 2 फरवरी, 1977 को औद्योगिक लाइसेंस नीति विवरण में घोषित विद्यमान नीति के अनुसार अन्य आवेदकों के साथ-साथ विदेशी कम्पनिया और सहायक कम्पनियां तथा विदेशी कम्पनियों की शाखायें (प्रेस नोट के) परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट उद्योगों में भाग लेने की हकदार होंगी, किन्तु ये इस सूची में दिये गए उद्योगों से साधारण तौर पर शामिल नहीं होंगी । वे उन उद्योगों में भी निवेश करने की हकदार होंगी जिनमें प्रमुख रूप से निर्यात के लिए उत्पादन किया जाता है । इसके बाद उनका निवेश 'विदेशी इक्विटी समाप्त करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों से' विनियमित होगा, तथा इस पर प्रौद्योगिकी पहलुओं, निर्यात सम्भाव्यताओं तथा भुगतानों के संकलन पर इसके समग्र रूप से पड़ने वाले प्रभाव के विशेष संदर्भ में विचार किया जायगा ।

सिनेमा कलाकारों सम्बन्धी विधान

1345 श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिनेमा कलाकारों सम्बन्धी एक विधेयक प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित कानून के ब्यौरों को अभी विभिन्न सम्बन्धित हितों से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाना है।

नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिये कानून

1246. **श्री अनन्त देव**
श्री शंकर सिंह जी वाघेला } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लोगों की जान लेने वाली नकली अथवा मिलावट वाली शराब बेचने वालों को कठोर दंड देने के लिये कानून बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ;

(ख) देश में गत तीन वर्षों में नकली शराब पीने से राज्यवार कितने-कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ; और

(ग) इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या दंड दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) केन्द्रीय सरकार ने नकली शराब से संबंधित कानून पारित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये हैं, क्योंकि नशीली शराब का विषय राज्यों को आबंटित किया गया है देखिए सूची II की प्रविष्टि 8–सातवीं अनुसूची की राज्य सूची और जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अधीन किसी राज्य के विधान मंडल को, सातवीं अनुसूची में सूची II में उल्लिखित किसी मामले के बारे में ऐसे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए, कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

1347. **श्री एम० एस० गोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा कलकत्ता की तुलना में दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें अधिक होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

वाहनों की संख्या तथा कुल रोड़ माईलेज के अनुपात में दिल्ली में बम्बई और कलकत्ता की तुलना में सड़क दुर्घटनायें कम हैं।

विद्रोही नागाओं द्वारा भर्ती अभियान

1348. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं ने अपने सशस्त्र-विंग में युवक और युवतियों की भर्ती के लिये भारी अभियान आरंभ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् का पुनर्गठन

1349. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री डी डी० देसाई } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एम० आई० आर०) के पुनर्गठन की मुख्य विशेषताओं का एक समाचार भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 अगस्त 1977 को प्रसारित किया गया था, उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है । (ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1162/77) ।

बजाज स्कूटर के बजाय प्रिया स्कूटर देना

1350. **श्री शिवे सम्पत्ति राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी कर्मचारियों और संसद-सदस्यों को केवल प्रिया स्कूटर दिये जायेंगे ;

(ख) प्रति वर्ष कुल कितने बजाज स्कूटरों का उत्पादन होता है तथा उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों को बजाज स्कूटर देना बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों को बजाज स्कूटर दिये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा ममती) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा अर्जकों और आम जनता के लिए आबंटन की प्रतीक्षा अवधि को कम करने के उद्देश्य से बजाज 150 स्कूटरों का आबंटन 1-1-1977 से सरकारी कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों के लिये बन्द कर दिया गया था ।

गत कुछ वर्षों में बजाज स्कूटरों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

वर्ष	उत्पादन
1974	55,123 संख्या
1975	60,745 संख्या
1976	83,088 संख्या
1977 (अक्तूबर तक)	66,763 संख्या

(ग) बजाज 150 स्कूटर इस समय उन आम लोगों को दिये जा रहे हैं जिन्होंने विक्रेताओं के पास अपने क्रयादेश बुक कराये हैं तथा उन लोगों को भी दिये जा रहे हैं जिनके पास अभी भी विदेशी मुद्रा के बदले सरकार द्वारा पहले जारी किया गया परमिट है। बजाज–चेतक स्कूटर विदेशी मुद्रा भेजने पर ही दिया जा रहा है।

अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज के बारे में भावी योजना

1351. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज के लिये कोई भावी कार्यवाही की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, हां। 1978–83 के लिए आगामी पंच वर्षीय योजना हेतु प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल को, प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) योजना आयोग द्वारा विचार करने के बाद ही योजनाओं के पूर्ण ब्यौरे को आगामी कुछ महीनों में अन्तिम रूप दिया जायेगा। आगामी पांच वर्षों के लिए अन्तरिक्ष कायक्रम में प्रस्तावित मूल क्षेप (थ्रस्ट) में चालू परियोजनाओं को पूरा करना तथा संक्रियात्मक अनुप्रयोग मिशनों की दिशा में अन्तरिक्ष कार्यक्रम को निर्धारित करना है।

औद्योगिक उच्छिष्ट का उपयोग करने के लिये तकनीकी विकास महा निदेशालय द्वारा किया गया अनुसंधान

1352. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उच्छिष्ट का उपयोग करने के लिये तकनीकी विकास महा-निदेशालय ने हाल में कोई अनुसंधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसन्धान की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में औद्योगिक उच्छिष्ट का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) सरकार ने प्रत्रियागत औद्योगिक बेकार माल/छीजनों का उपयोग करने के लिए कई योजनाएं शुरु की हैं। बेकार उत्पादों अथवा

चीजनों से पुनः उत्पादन करने के अनेक एकक स्थापित किए गए हैं। इनमें से प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

(1) अल्युमिनियम उद्योग में बेकार उत्पादों और उपोत्पादों की पुनः प्राप्ति और उपयोग।

(2) नाईलोन के बेकार माल से केप्रोलेक्टम प्राप्त करना।

(3) ट्रावनकोर टिटेनियम उत्पादों के बेकार लिकर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज़ डाइआकसाइड और मैंगनीज सल्फाइट मोनोहाइड्रेट का उत्पादन करना

(4) साइट्रिक एसिड का उत्पादन करने हेतु आयातित केल्शियम साइट्रेट के स्थान पर शीशे का उपयोग करना।

(5) उर्वरक उद्योग में अमोनिया संयंत्र की शुद्ध गैसों से आर्गन और अमोनिया प्राप्त करना।

(6) कागज बनाने के लिए खोई का उपयोग करना।

(7) धमन भट्टीस्लैग और फलाई ऐश जैसे औद्योगिक बेकार माल का उपयोग करके पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेन्ट और पोज़लाना सीमन्ट का उत्पादन करना।

(8) अल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाने के लिए उर्वरक कारखानों की बेकार गैसों से फ्लोराइन प्राप्त करना।

सरकार ने हाल ही में सामग्री परिरक्षण संबंधी तकनीकी समिति का गठन करके लौह और अलौह उद्योगों में औद्योगिक कबाड़ के उपयोग करने की और गति प्रदान की है

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में सामग्री परिरक्षण से संबंधित एक प्रभाग ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और शैक्षणिक संस्थानों ने रिसाइकालिन सहित सामग्री परिरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाने तथा औद्योगिक कबाड़ और प्रदूषणों का और अधिक प्रभावी रूप में उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित करने के अन्य कार्यों और अनुसंधान तथा विकास कार्यों में समन्वय करने में पहल की है।

हड़ताल के कारण विभिन्न उद्योगों में उत्पादन कम होना

1353. श्री डी० जी० गवई क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमिया एक्सप्लोसिव्स फैक्टरी में अब भी हड़ताल चल रही है, यदि हां, तो हड़ताल किस तारीख से शुरु हुई थी ;

(ख) गोमिया एक्सप्लोसिव्स फैक्टरी में हड़ताल का विभिन्न उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या हड़ताल के कारण विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में कितनी कमी हुई और

(घ) हड़ताल समाप्त कराने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और श्रमिकों की मांगे पूरी कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है जिससे भविष्य में हड़ताल न हों ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं। मे० इन्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के गोमिया कारखाने में कर्मचारियों द्वारा 20-9-77 को शुरु की गई हड़ताल 26-10-77 को वापस ले ली गई थी।

(ख) और (ग) कोयला ; लोहा और अन्य अयस्कों के खनन पहाड़ों पर सड़कें बनाने सिंचाई के लिए बांधों और नहरों आदि के लिए विस्फोट एक अनिवार्य निवेश है। गोमिया कारखाने में हुई हड़ताल के फलस्वरूप अधिक मात्रा में विस्फोटक उपलब्ध न होने के कारण खनन क्षेत्र विशेषकर कोयले के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

(घ) हड़ताल बिहार राज्य औद्योगिक सम्बन्ध संगठन और राज्य के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप पर वापस ले ली गई थी। इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लि० के प्रबन्धकों द्वारा सरकार को आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों की सभी उचित मांगों पर सहानुभति पूर्वक विचार किया जायेगा।

अखिल भारतीय जेल सुधार आयोग की नियुक्ति

1354. **श्री आर० के० महालगी : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय जेल सुधार आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है तथा उसके निदेश-पद क्या होंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि संसद सदस्य इस आयोग की शीघ्र नियुक्ति की जोरदार मांग कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अतीत में कुछ संसद सदस्यों द्वारा जेल सुधार आयोग की नियुक्ति का प्रश्न उठाया गया था। सरकार का यह विचार रहा है कि जेल प्रशासन की समस्याएं तथा उनके हल भी सुपरिचित है जो विशेषज्ञ दलों द्वारा किये गये कुछ अध्ययनों से प्रकाश में लाई गई हैं। इस प्रकार का अन्तिम दल अक्तूबर, 1972 में नियुक्त किया गया था और उस ने दिसम्बर, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अतः ऐसे कोई आयोग नियुक्त करने से कोई लाभ-प्रद प्रयोजन पूरा होने की संभावना नहीं है।

आयुध कारखानों के अधीक्षण कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

1355. **श्री आर० के० मघालगी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के आयुद्ध कारखानों के अधीक्षण कर्मचारियों ने अगस्त, 1977 के प्रथम सप्ताह अथवा उसके आस-पास शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं ;

(ग) क्या उक्त मांगों तथा उक्त अधीक्षण कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन की पुनः जांच की जा रही है ;—

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मांगें मुख्यरूप से ये थीं कि आर्डनेंस फैक्टरियों के सुपरवाइजरी कर्मचारियों के 10-5-77 को सरकार द्वारा घोषित संशोधित वेतन-मानों में वृद्धिकारी संशोधन किया जाय और संशोधित वेतन-मानों को पिछली तारीख से लागू किया जाये।

(ग) और (घ) इन मांगों पर विचार किया गया है और कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-मानों में और आगे संशोधन करने के आदेश 2 नवम्बर, 1977 को जारी कर दिये गये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग में सुधार के लिये अशोक मेहता समिति

1356. **श्री के० एन० दास गुप्ता** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोदयोग में सुधार लाने के लिये बनाई गई अशोक मेहता समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) अशोक मेहता समिति द्वारा की गई अधिकतर सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के ढांचे में परिवर्तन करने के संबंध में ली गई सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई क्योंकि उन सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के विद्यमान ढांचे में आमूल परिवर्तन असामयिक होगा। फिर भी सरकार ने वर्तमान संगठन की कार्यकुशलता में सुधार करने की आवश्यकता संबंधी समिति की सिफारिशों के मुख्य विषय को स्वीकार कर लिया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले से ही उपाय शुरु किए जा चुके हैं।

SETTING UP OF A SUPER THERMAL POWER STATION IN BIHAR

†1357. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of ENERGY be pleased to state whether Government propose to set up a Super Thermal Power Station in Bihar to meet the shortage of power ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : At present, there is no proposal for setting up a Super Thermal Power Station in Bihar in the Central Sector.

IMPORT OF GAS TURBINE GENERATORS

†1358. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Government have purchased gas turbine generators from abroad;

(b) whether to meet the power shortage each gas turbine generator would generate 25 megawatt electricity; and

(c) state-wise number of gas turbine generators provided out of those generators ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) :

(a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

सम्पूर्ण देश में टेलीविजन सुविधाएं देने के लिए कायवाही

1359. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या सूंचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन क्षेत्रों/राज्यों के लिये टेलीविजन सुविधाएं और केन्द्र उपलब्ध हैं :

(ख) अन्य क्षेत्रों, विशेषकर पर्वतीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिये ये सुविधाऐं देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) जिन क्षेंत्रों में टेंलीविजन सुविधा नहीं है उन सभी क्षेत्रों नें कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री कृष्ण लाल आडवाणी) : (क) फिलहाल निम्नलिखित क्षेत्रों/राज्यों के लिए दूरदर्शन सुविधाए उपलब्ध हैं :—

क्षेत्र	राज्य
1. दिल्ली	दिल्ली
2. बम्बई और पुणे	महाराष्ट्र
3. श्री नगर	जम्म व काश्मीर
4. अमृतसर	पंजाब
5. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
6. मद्रास	तमिलनाडु
7. लखनऊ और मंसूरी	उत्तर प्रदेश
8. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
9. जयपुर	राजस्थान
10. रायपुर	मध्य प्रदेश
11. गुलबर्ग	कर्नाटक
12. पिज	गुजरात

(ख) और (ग) 'साइट' उत्तरवर्ती योजना के अन्तर्गत सम्बलपुर (उड़ीसा) और मुजफ्फरपुर (बिहार) में ट्रांसमीटर, जलन्धर (पंजाब) में दूर-दर्शन केन्द्र और कानपुर (उत्तर

प्रदेश) में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना का काम इस समय चल रहा है। कलकत्ता और लखनऊ में स्थायी टी० वी० टावरों के लगाने का काम भी चालू है। इनसे इन स्थानों के वर्तमान ट्रान्समीटरों का सेवा क्षेत्र बढ़ जायेगा। दिल्ली के वर्तमान ट्रान्समीटर की शक्ति बढ़ाने और यहां अधिक ऊंचा टावर लगाने का भी प्रस्ताव है। अगली योजना के दौरान दूरदर्शन सुविधाओं के और विस्तार के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, किन्तु उनका कार्यान्वयन तकनीकी संभाव्यता, संसाधनों की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा प्राथमिकताओं के आबंटन पर निर्भर करेगा।

DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS

1360. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for the development of backward areas;

(b) if so, since when it is in force and the impact thereof on the development of backward areas indicating the details thereof; and

(c) whether any assessment of this scheme has been made ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) During the Fifth Five Year Plan a number of special schemes have been in operation with the objective of accelerating the development of backward areas. These include : (a) the drought prone areas programme, (b) incentive scheme for industrial development in backward areas, (c) preparation of integrated sub-plans for (i) tribal areas, (ii) hill areas. All these are part of the plans of the States, to whom the Centre gives special assistance for this purpose. In addition there are certain schemes of direct assistance by the Centre for projects in tribal and hill areas.

(b) & (c). It would be premature to attempt the impact of these programmes on the welfare of backward areas, but a general assessment of these special area schemes will be made while formulating the Plan for 1978—83. Evaluation studies of some schemes in the backward areas have also been undertaken by the Agro-Economic Research Centres under the Ministry of Agriculture.

REPRESENTATION OF BIHAR IN ARMED FORCES

1361. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the percentage of representation of Bihar in the Armed Forces as compared to other States; and

(b) the percentage representation of Bihar in various positions in the Armed forces as compared to other States ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b). A Statement is attached.

The percentage of representation of Bihar in the Armed Forces is as under :

Army—5.20.

Navy—4.4.

Air Force—6.06.

2. Its position as compared to other States is as follows :

States	Army	Navy	Air Force
1. Andhra Pradesh .	2·95	4·1	5·80
2. Andaman & Nicobar	0·02	—	—
3. Assam	1·76	0·8	2·60
4. Arunachal	0·03	—	—
5. Bihar	5·20	4·4	6·06

State	Army	Navy	Air Force
6. Chandigarh	0·05	—	0·22
7. Delhi	0·83	2·7	3·30
8. Goa, Daman & Dieu	0·02	0·2	—
9. Haryana	9·78	8·9	6·35
10. Gujarat	0·57	0·2	0·70
11. Himachal Pradesh	4·85	4·8	1·40
12. Jammu & Kashmir	2·06	0·7	0·90
13. Karnataka	2·37	2·6	3·06
14. Kerala	7·03	15·1	18·45
15. Madhya Pradesh	2·24	1·6	1·30
16. Maharashtra	7·66	6·3	4·80
17. Manipur	0·30	0·1	—
18. Meghalaya	0·09	—	—
19. Mizoram	0·03	—	—
20. Nagaland	0·07	—	—
21. Orissa	1·20	1·5	1·90
22. Pondicherry	0·02	—	—
23. Punjab	13·30	12·2	10·40
24. Rajasthan	7·14	4·2	3·30
25. Sikkim	0·06	—	—
26. Tamil Nadu	5·98	4·7	7·80
27. Tripura	0·09	0·1	—
28. Uttar Pradesh	17·15	16·8	15·60
29. West Bengal	3·14	4·4	6·06
30. Bhutan	0·01	—	—
31. Nepal	4·00	—	—
32. States not known	—	3·6	—

3. The total recruitable male population of Bihar according to 1971 census is 28,84,694 and percentage of recruitable male population to the total population is 10.2.

4. The percentage of representation of Bihar in the Officers Cadre as well as other ranks in the Armed Forces alongwith their position as compared to other States is as under :

	Officers		Other Ranks	
	Percentage	Position	Percentage	Position
Army	2·32	15 JCO OR	4·25 5·40	9 8
Navy	2·3	14 Sailors	4·7	7
Air Force	3·2	11 Airmen	6·3	6

NEWSPRINT AT CHEAP RATES TO MAGAZINES AND NEWSPAPERS

1362. SHRI DAYARAM SHAKYA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the action taken by Government to make available newsprint at cheap rates to the weekly, fortnightly, monthly, newspapers and magazines being published from the various States of the country; and

(b) the number of magazines/newspapers (weekly and monthly) being published in the country at present ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) A statement is placed at annexure-I.

(b) The total number of newspapers/periodicals published in the country as on December, 1976 was 13320 as follows :—

(i) Dailies—875.

(ii) Bi-Weeklies/Tri-Weeklies—74.

(iii) Weeklies—3801.

(iv) Fortnightlies—1566.

(v) Monthlies—4993.

(vi) Other periodicals—2011.

STATEMENT

The following action has been taken with a view to make newsprint available to newspapers/periodicals at cheaper rates :—

(1) 5% Import Duty on newsprint has been withdrawn with the result that imported variety of newsprint is cheaper by Rs. 200/- per metric tonne.

(ii) The minimum quantity for the import of newsprint on High Sea Sales basis, the cost of which is less than that of newsprint from the Buffer Stock, has been brought down from 25 metric tonnes to 10 metric tonnes, thus extending the benefit of the High Sea Sales Price, particularly to the Small newspapers.

(iii) In accordance with Newsprint Allocation Policy 1977-78, newspapers whose entitlement is upto 300 metric tonnes per year have been given the option to lift their entire requirement in Nepa newsprint which is available at cheaper rates.

(iv) STC which imports newsprint has been able to negotiate long term contracts at favourable prices.

200 छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

1363. श्री सौगत राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में 200 छोटे सीमट सयत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना के प्रति गैर-सरकारी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) : देश में सीमन्ट का तेजी से उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार के विचाराधीन अनेक उपायों में से एक उपाय यह भी है कि लघु (मिनी) सीमेन्ट संयंत्रों की, विशेष रूप से दूरवर्ती या पिछड़े क्षेत्रों म स्थापना की जाए और चूने के पत्थर के छोटे भंडार बनाए जाएं। सीमन्ट अनुसंधान संस्थान ने लघु (मिनी) सीमन्ट

संयंत्रों की स्थापना करने के लिये 19 राज्यों में ऐसे 43 सम्भावित स्थलों का पता लगाया है। सीमट अनुसंधान संस्थान ने नागालैण्ड में नीमी स्थान पर लघु (मिनी) सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पहले से ही हाथ में ले रखा है। सरकार नए लघु (मिनी) सीमेन्ट संयंत्र प्रक्रिया के बारे में पश्चिमी जर्मनी से तकनीकी जानकारी प्राप्त प्रस्ताव का भी पता लगा रही है। मिनी सीमन्ट बनाने के बारे में गैर-सरकारी क्षेत्रो की प्रतिक्रिया अनुकूल है।

कलकत्ता में साइक्लोट्रोन एटम स्मेशर

1364. **श्री शंकर सिंहजी बाघेला :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कलकत्ता में 10 करोड़ की लागत से साइक्लोट्रोन एटम स्मशर इस समय चालू होने की किस स्थिति में है ;

(ख) साइक्लोट्रोन सुविधा के लिये विद्युत की उपलब्धता के बारे में स्थिति क्या है ;

(ग) क्या बिजली निरन्तर रूप से उपलब्ध नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमोरार जी देसाई) : (क) 16 जून, 1977 को आंतरिक किरण-पुंज के प्राप्त होने के साथ परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान ने काम शुरु कर दिया था। अब बाह्य किरण-पुंज प्राप्त करने के लिए एक अन्य कार्यक्रम हाथ में लिया जा चुका है।

(ख) से (घ) चूंकि दिन के समय साल्ट लेक क्षेत्र में बिजली की वोल्टेज घटती-बढ़ती रहती है और सप्लाई लगातार बनी नहीं रहती, इसलिए, उप-बिजलीघर से साइक्लोट्रान तक एक पृथक भूमिगत केबल डालने की व्यवस्था पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से की जा रही है। इस काम के पूरा होने में लगभग 12 से 18 महीने तक का समय लगने की संभावना है । आशा है कि उसके बाद बिजली की सप्लाई की स्थिति सुधर जाएगी ।

बहुप्रयोजनीय स्थिर भू उप ग्रह (जिओ स्टेशनरी सेटेलाइट)

1365. **श्री ओ० पी० त्यागी :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुप्रयोजनीय स्थिर भू उपग्रह खरीदने का निर्णय किया है जिसे इण्डियन नेशनल सेटेलाइट (इंसेट–I) कहा जायेगा ;

(ख) इस उपग्रह से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी; और

(ग) इसका मूल्य क्या होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारम्भ में, उपग्रह का इस्तेमाल मुख्यतया दूरसंचार तथा मौसमविज्ञान सम्बंधी सेवाओं के लिय किया जायेगा। इस उपग्रह में दूरदर्शन कार्यक्रम के वितरण तथा प्रसारण की क्षमताएं भी होंगी।

(ग) टेंडरों के प्राप्त होने तथा इनके मूल्यांकन के बाद ही उपग्रह के मूल्य का पता चलेगा।

INCENTIVE FOR INTER-CASTE MARRIAGES

1366. SHRI O. P. TYAGI
SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether in order to eradicate caste sysmtem, the root-cause of social evils like untouchability etc., Government propose to provide some sort of incentive at Government level to the youth going in for inter-caste marriage; and

(b) if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) There is no such proposal under consideration of the Centre at present.

(b) Does not arise.

TRAFFIC UNDER RAILWAY UNDER BRIDGE FRONT OF SHYAM LAL DEGREE COLLEGE, DELHI

†1367. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether trucks, buses etc. have started using the railway under bridge in front of Shyam Lal Degree College in Delhi;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) when the bridge is likely to be used and the time by which rest of the construction work of the road would be completed ?

THE MINISTER OF SHIPPING AN DTRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) No, Sir.

(b) Work on the Western side approach road to this bridge has been held up due to the non-avilability of a small stretch of land between the bridge and G. T. Ghaziabad road. The occupants of this land have gone in appeal to the Sessions Court, Delhi.

(c) It depends upon the availability of land on the side of the G.T. Ghaziabad road which in turn is dependent as to when the Sessions Court give their decision in the matter and what that decision is.

DEVELOPMENT OF OFFICIAL LANGUAGES

1368. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the official language Hindi is not making speedy development because of the fact that very few avenues of promotions are available to the persons working against the posts concerned with Hindi and translation work :

(b) the designations, and pay-scales of the various posts concerned with the official language Hindi and translation work in the various Ministries and avenues of promotions available for them; and

(c) when the common cadre for all the employees and officers engaged in translation jobs in all the Ministries will be formed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes Sir, There are many reasons that the official language Hindi is not making speedy development.

(b) Information is being collected in this regard.

(c) The Cadre scheme is almost ready. The recruitment rules of various posts to be included in the Cadre are being finalised and it is expected that this work will be completed shortly.

CHILD LIFTING GANG

1369. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a child lifting gang is operating in the country on a large scale :

(b) whether kidnapped children are either sold or money is extorted from their parents by way of ransom; and

(c) the steps being taken by Government to liquidate such gangs ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (c). The required information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

केन्द्रीय पुलिस आयोग

1370. **श्री यशवन्त बोरोले**
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री जी० एस० रेड्डी
श्री उग्रसेन
} क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पुलिस प्रशासन में कुछ मूल सुधार लाने के लिए एक पुलिस आयोग की स्थापना का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग के गठन का निर्णय किया गया है। इस संबंध में एक विवरण पहले ही 15 नवम्बर, 1977 को सदन में रख दिया गया है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों द्वारा विज्ञान का अध्ययन

1371. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1977 के टाइम्स आफ इण्डिया (नई दिल्ली) में 2000 स्यूडो-साइंटिस्ट इन "सी० एस० आई० आर०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कमचारी ऐसे हैं जो जहां "वैज्ञानिक" के रूप में पदनामित हैं, लेकिन उन्होंने विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सी० एस० आई० आर० की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसकी जांच के परिणाम आदरणीय सदस्य महोदय को प्रेषित कर दिय जायेंगे।

कोका कोला के कर्मचारियों का पेय पदार्थों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये ज्ञापन

1372. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोका कोला वर्कर्स यूनियन से पेय पदार्थ बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने जैसी महत्वपूर्ण मांगों वाला एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां।

(ख) कोका कोला वर्कस यूनियन ने 27 सितम्बर, 1977 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें मे० प्योरे ड्रिन्कस लिमिटेड द्वारा यूनियन के कर्मचारियों को शिकार बनाये जाने का आरोप लगाये जाने और कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किए जाने का अनुरोध किया गया था। कम्पनी के कर्मचारियों के एक अन्य दल ने इस आन्दोलन के विरोध में सरकार को एक तार भेजा है। सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र में पेयों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। ऐसी कम्पनियों में श्रमिक विवादों को इसके लिए उपलब्ध सामान्य तन्त्र के माध्यम से निबटाया जाना चाहिए।

दिल्ली को राज्य का दर्जा

1373. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री वसन्त साठे } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली महानगर परिषद द्वारा सवसम्मति से पारित किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसके लिये एक विधान सभा की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामला विचारधीन है।

एम० ई० एस० पोर्ट ब्लेयर के कार्यकारी दल के कर्मचारी

1374. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को एम० ई० एस० पोर्ट ब्लेयर के कार्यकारी दल के कर्मचारियों द्वारा लम्बे अर्से से चल रही शिकायतों के बारे म, दिये गये अभ्यावेदनों के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ख) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

उनकी शिकायतें वेतन तथा भत्ते, महंगाई भत्ता, समुद्र यात्रा भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, आवास, कर्मकार-मुआवजा आदि के संबंध में हैं।

(ख) उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई के संबंध म एक विवरण संलग्न है। इन कमचारियों को नियमित सिव्बन्दी में खपा लिए जाने के प्रश्न पर निर्णय ले लिए जाने के बाद इनकी शष शिकायतों को हल कर दिए जाने की सम्भावना है।

विवरण

(क) कारीगरों (ट्रेडसमन) की शिकायतों को दूर करन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) संशोधित वेतन-मान 1973 के अन्तर्गत 1-1-73 स 30-11-75 तक की अवधि के वेतन के बकाया का भुगतान।

इन कार्मिकों की सेवा शर्तों के अनुसार, इन्हें संशोधित वेतन-मान 1960, यथा संशोधित, के अन्तगत वेतन दिया जाना है। तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें ठेके के कर्मचारियों को स्वयमेव ही लागू नहीं होती हैं। इस बारे में आगे और विचार किया गया है और इन्हें पहली दिसम्बर, 1975 से संशोधित वेतन-मान 1973 मंजूर किए गए हैं। इन वेतन-मानों को पहली जनवरी, 1973 से लागू किए जाने के बारे में इनकी मांग पर सहमति नहीं हुई है।

(2) समुद्र-यात्रा भत्ता

इनकी सेवा शर्तों के अनुसार इन्हें वर्ष में एक बार समुद्र-यात्रा भत्ता मंजूर किए जाने की व्यवस्था है। चूंकि कारीगरों ने अनुबंध के नवीकरण के लिए मना कर दिया और एकतरफा यह दावा किया कि लम्बी सेवा के कारण वे नियमित कर्मचारी हैं, उन्हें समुद्र-यात्रा भत्ता मंजूर नहीं किया गया। स्थानीय प्राधिकारियों ने इस दलील को नहीं माना और लेखा-परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुबंधों के नवीकरण पर बल दिया। कर्मचारियों ने अनुबंध का अब नवीकरण करा लिया है। इसलिए उन्हें अब समुद्र यात्रा भत्ता मिलेगा।

(3) आवास (अस्थायी हटमेन्ट)

अस्थायी हटमेंटों की मरम्मत की जा रही है। और अधिकांशतः पूरी हो गई है। इनके लिए पानी और बिजली की व्यवस्था की जा रही है।

(4) कल्याण समिति

कल्याण समिति कार्य कर रही है।

(5) कोमोरतो द्वीप में नियुक्ति पर विशेष वेतन

पोर्ट ब्लेयर में आने की तारीख से मूल वेतन के 33⅓ प्रतिशत की दर से विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है जो न्यूनतम 50 रुपए और अधिकतम 150 रुपए प्रतिमास है।

कोमोरतो में नियुक्त हो जाने के बाद इस भत्ते के भी हक में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोमोरतो में नियुक्त नियमित कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई दर पर प्रतिपूर्ति भत्ता देने के लिए सरकारी आदेश विद्यमान हैं परन्तु ये आदेश टास्क फोर्स के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। टास्क फोर्स के कर्मचारियों को नियमित कर दिए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय हो जाने के बाद उन्हें उच्च दर पर भत्ता मिलेगा।

(6) पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को पुनः नियोजन पर पेंशन देने वाले प्राधिकारियों द्वारा मंहगाई भत्ता दिया जाना।

पेंशन पाने वाले पुनर्नियोजित कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाता है।

(7) कर्मकार मुआवजा

कर्मकार-मुआवजा देय है और यह कर्मकार-मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार दिया जाता है।

(ख) मजदूरों की जिकायतों को दूर करन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(1) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का बकाया

मुख्यभूमि के रंगरूटों को यह भत्ता भुगतान किए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(2) समुद्र यात्रा भत्ता

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समुद्र-यात्रा भत्ता मंजूर किया जायेगा और अनुबंध में संशोधन कर के उसे दिये जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(3) मुख्य भूमि के लिए छुट्टी

स्थानीय लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को इस बारे में स्पष्टीकरण दे दिया गया है और अनुबंध में संशोधन कर दिए जाने के बाद इसे स्वीकृत किया जाएगा।

(4) आवास (स्थायी हटमेंट)

अस्थायी हटमेंटों की मरम्मत की जा रही है और अधिकांश हटमेंटों की मरम्मत कर दी गई है। पानी और बिजली का प्रबंध अभी किया जा रहा है।

(5) कल्याण समिति

कल्याण समिति कार्य कर रही है।

(6) पेंशन पाने वाले पुनर्नियोजित कर्मचारी

पेंशन पाने वाले पुनर्नियोजित कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

(7) कर्मकार मुआवजा

कर्मकार-मुआवजा देय है और यह कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 के अनुसार दिया जा रहा है।

पोर्ट ब्लेयर की शुष्क गोदी

1375. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोर्ट ब्लेयर में शुष्क गोदी के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में अवगत है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) क्या सरकार की अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जहाज मरम्मत करने की कर्मशाला को पूरा करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पोर्ट ब्लेयर म सूखी गोदी के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(ख) पोर्ट ब्लेयर में इस समय 5 फिसलनों सहित जहाज को जल में उतारने के बहु-रूपी ढार निर्माणाधीन हैं जिससे 2.5 मी० डुबाव तक के जलयानों को मरम्मत सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी।

कारनिकोबार में मत्स्य नौका का गुम हो जाना

1376. **श्री मनोरंजन भक्त**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारनिकोबार (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) में रखी हुई एक मत्स्य नौका, जिसकी लागत कई लाख रुपये है, गुम हो गई है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस प्रकार की हानि के लिये दायित्व का निर्धारण करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) लगभग 1,46,000/- रु० मूल्य की एक यंत्रिकृत मत्स्य नौका, जो कार निकोबार में मछली पकड़ने के कार्यों के लिए रखी हुई थी, का 19 अगस्त, 1977 को तेज तुफान के कारण लंगर टूट गया और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में बह कर दूर चली गई थी। इस नौका को तलाश करने के लिए किये गये प्रयत्नों का अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है।

(ख) अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने उन परिस्थितियों की जांच करने के आदेश दिये थे जिन के कारण यह घटना हुई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उनके द्वारा उस की जांच की जा रही है।

रोजगार प्रधान क्षेत्र योजना का लागू किया जाना

1377. **श्री रामकिशोर सिंह**
डा० हेनरी आस्तिन } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अगले वर्ष के अप्रैल से आरम्भ होने वाली प्रथम पंच-वर्षीय अनवरत योजना के लिये 2000 ब्लाकों के लिये रोजगार प्रधान क्षेत्र योजना लागू करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित क्षेत्र योजनाओं की रूपरेखा क्या है और इन योजनाओं की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 1978 से 1983 तक की अवधि के लिए योजना-नीति के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में खंड स्तर पर ऐसी क्षेत्र विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी जिनका विशिष्ट उद्देश्य होगा उस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बेरोजगरी और अल्प रोजगार का निर्धारण करना और अनुमान लगाना और ऐसे कायक्रम तथा नीतियां प्रस्तावित करना जिनसे फालतू श्रमिकों को एक निश्चित समयावधि में काम में लगाया जा सके। ऐसी क्षेत्र योजनाओं को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए जा रहे हैं। इस समय यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इन क्षेत्र योजनाओं के आधार पर कितने रोजगार उपलब्ध कराए जा सकेंगे या कितना निवेश किया जा सकेगा। क्षेत्र योजनाओं को तैयार करने के लिए रखे गए अस्थायी लक्ष्य के अनुसार अगले पांच वर्षों म ऐसी 2000 योजनाएं तयार की जाएंगी और शुरु की जाएंगी।

फिल्मों के माध्म से यौन की शिक्षा

1378. श्री मोहमद शफी कुरेशी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मों के माध्यम से यौन की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस शुरुआत की मुख्य बात क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

T.V. SETS FOR RURAL POPULATION

1379. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether there is any scheme under the consideration of the Central Government to provide media facilities like television sets to illiterate rural population with a view to create among them a zeal for and an interest in education;

(b) whether Central Government have provided some television sets to the States for the purpose; and

(c) if so, the number of such sets sent to Rajasthan State alongwith the names of areas for which these have been provided ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) A community viewing scheme is already in operation and under this scheme, TV sets have been provided for Community Viewing in the coverage areas of various Doordarshan Kendras.

(b) Yes Sir.

(c) 790 Community Viewing TV sets have been allocated for installation within the service areas of the Jaipur Transmitter. An additional 40 sets will be retained at Jaipur

as service spares. 380 sets have already been installed as in the list placed below. The remaining 410 sets are to be installed in consultation with the State Government.

STATEMENT

Details of T. V. Receiver installed under C. V. S. of Doordarshan

Name of District	Block	No. of villages
Jaipur	1. Amer	36
	2. Basssi	15
	3. Briath	7
	4. Chaksu	8
	5. Dausa	5
	6. Dudu . .	20
	7. Govindh Garh	45
	8. Jawan Ramgarh	23
	9. Jatwara	22
	10. Saugner	44
	11. Sambher	37
	12. Shahpur	33
	13. Sikrau .	3
	14. Seerelariate	1
	15. Lalsot	6
	16. Phagi	4
	17. Niwai	13
	18. Tonk .	8
	19. Malpura	3
	20. Shri Madhopur	5
	21. Danto Ramgarh	11
	22. Piprati	10
	Sets	359
Sawai Madhopur	23. Bawanbas	4
	24. Bonli .	6
	25. Mahuwa	7
	26. Todabhim	4
		21
	TOTAL . . Sets	380

INCENTIVE TO MINORITY COMMUNITIES ENGAGED IN THEIR TRADITIONAL TYPES OF SMALL SCALE INDUSTRIES

1380. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to give incentives to minority communities engaged in their traditional types of small scale industries in the country; and

(b) the names of such backward States where weaker sections particularly Scheduled Castes and Scheduled Tribes engaged in such types of trades are being given incentives along with the nature thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) The Ministry of Industry's incentives for traditional types of small scale industries are not community specific. The State Governments and the Ministry of Home Affairs have given incentives to scheduled castes and scheduled tribes.

(b) The details are not available with the Ministry of Industry.

वर्ष 1977-78 में किये गये विदेशी सहयोग करार

1381. **श्री बयालार रवि :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के पहले छः महीनों के दौरान कुल कितने विदेशी सहयोग करार सरकार द्वारा अनुमोदित किए गये और गत दो वर्षों के तुलनात्मक आँकड़ों में इनकी स्थिति क्या है ; और

(ख) उन फर्मों का देशवार ब्यौरा क्या है जिनके साथ करार किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) 1976-77 (अप्रैल, 1976 से मार्च 1977) तथा 1975-76 (अप्रैल 75 से मार्च 76) में क्रमशः 279 तथा 271 की तुलना में अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 की अवधि में कुल मिलाकर 101 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गयी थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	अप्रैल, 77 से सितम्बर, 77	अप्रैल, 76 से मार्च, 77	अप्रैल, 75 से मार्च 76
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	—	3	1
2.	आस्ट्रिया	1	3	1
3.	बेल्जियम	1	1	4
4.	बरमूडा	—	—	1
5.	कनाडा	—	2	4
6.	चेकोस्लोवाकिया	—	1	4
7.	डेनमार्क	1	5	—
8.	एफ० आर० जी०	25	59	52
9.	फिनलैंड	—	—	1
10.	फ्रांस	6	17	14

1 2	3	4	5
11. जी० डी० आर० .	1	5	4
12. होंग कांग	—	—	1
13. हंगरी	1	1	1
14. हालड	1	5	2
15. इटली	4	12	9
16 जापान	7	10	22
17. लक्सेमबर्ग	—	—	1
18. नार्वे	—	2	—
19. पौलैंड .	—	2	—
20. रूमानिया	—	—	1
21. स्वीडन . . .	2	4	4
22. स्वीटजरलैण्ड .	11	23	26
23. स्पेन . . .	—	1	—
24. ग्रेट ब्रिटेन	20	56	56
25. अमरीका . .	19	65	61
26. सोवियत रूस .	1	2	—
27. युगोस्लाविया . .	—	—	1
योग . . .	101	279	271

सुपर टैंकर तेल टर्मिनल परियोजना, कोचीन

1382. **श्री वयालार रवि**
श्री जी०एम० बनतवाला
श्री इब्राहीम सलेमान सेठ } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 6 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कोचीन में सुपर टैंकर तेल टर्मिनल परियोजना पर पूंजी निवेश के बारे में कोई निर्णय ले लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय विद्युत् प्रजनन परियोजनाओं की स्थापना

1384. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्युत् प्रजनन परियोजनाओं की स्थापना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें बाद में राज्य बिजली बोर्डों को सौंप दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें किन शर्तों पर सौंपा जाता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं को राज्य बिजली बोर्डों को सौंपने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

1385. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 10 किलोवाट का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह इस संबंध में पश्चिम जर्मनी के साथ सहयोग कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में प्रोटो-टाइप प्रायोगिक निदर्शन यूनिट के रूप में 10 किलोवाट क्षमता का एक सौर विद्युत् संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां । यह विद्युत् संयंत्र भारत–पश्चिम जर्मनी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है ।

सिंगरौली में वृहत् तापीय संयंत्र

1386. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की सिंगरौली में बृहत् तापीय संयंत्र स्थापित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इसको पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : सिंगरौली को सुपर ताप विद्युत् परियोजना के लिए अवसरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य प्रगति पर है। टरबो जेनरेटरों, बायलरों और ट्रांसफार्मरों जैसे मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं । उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ भूमि राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम को हस्तांतरित हो जाने पर निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है

आशा है कि प्रयत्न करने से, 200 मेगावाट के पहले यूनिट को 1981 तक चालू करने के मूल कार्यक्रम का पालन कर सकना संभव हो सकेगा ।

पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

1387. **श्री सुखदे प्रसाद वर्मा :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब रकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से निकट भविष्य में राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर क्षेत्र में, जिसमें पंजाब भी शामिल है, सरकार राजस्थान परमाणु बिजलीघर स्थापित कर चुकी है तथा नरोरा में एक परमाणु बिजलीघर का निर्माणकार्य चल रहा है। उत्तरी क्षेत्र में तीसरा परमाणु बिजलीघर स्थापित करना, इस समय व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है ।

ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS OF EMPLOYEES

1388. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :—

(a) whether the present practice of writing annual confidential reports of Government servants containing the assessment of their work by their higher officers at their discretion is satisfactory,

(b) whether the procedure of assessment of the work on the basis of work done by the employees after fixing particular quota for them will encourage them to discharge their duties with added interest; and

(c) if so, whether Government propose to take steps on this ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir, but such a procedure is possible where targets can be specified and the performance quantified.

(c) The forms of the confidential Reports have been made performance-oriented. Appropriate columns have been provided in them for self assessment by the employees as also for ensuring an objective assessment of the performance by their reporting officers.

दूरदर्शन दिल्ली के स्टुडियो में आग

1389. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री दूरदर्शन, दिल्ली के स्टूडियो में आग के बारे में 27 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5030 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और उसका प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसको यह मामला पुन: भेजा गया था, ने 4-8-77 के अपने उत्तर में यह बताया कि आगजनी के मामले की दो वर्ष के बाद जांच से कोई ठोस परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हाल ही में जांच के लिए अनेक महत्वपूर्ण मामले हाथ म लिए ह और वे अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत इससे अधिक जांच कार्य नहीं कर सके। अत: उन्होंने इस मामले की जांच करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

पश्चिम बंगाल में नमक का संकट

1390. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल पश्चिम बंगाल में ही नमक का मूल्य निर्धारण करने के कारण पश्चिम बंगाल में नमक का संकट है ;

(ख) क्या इंडियन साल्ट मेन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन ने भी निर्धारित मूल्य पर नमक देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) जनता की आवयश्कताओं को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल को नमक की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इंडियन साल्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसियेशन ने बताया है कि निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अधीन निश्चित किए गये मूल्य पर समुद्र द्वारा पश्चिम बंगाल को नमक की सप्लाई करना अलाभप्रद है ।

(ग) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने नाववालों/डोंगावालों की हड़ताल के परिणाम-स्वरूप तथा व्यावसायियों द्वारा बंगलादेश को नमक का निर्यात करने की वचन बद्धता के कारण जुलाई तथा अगस्त 1977 के महीनों में नमक का निर्यात करने की वचनबद्धता के कारण जुलाई तथा अगस्त 1977 के महीनों में नमक की सप्लाई में कमी होना बताया था पश्चिम बंगाल को तत्कालीन तथाकथित नमक की सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने सभी रेलमार्गों से कलकत्ता के लिये 30,000 मीट्रिक टन नमक ले जाने की अनुमति देने का निश्चय किया है । भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में नमक की उपलब्धि में सुधार करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल को सभी रेलमार्गों से प्रतिदिन 25 वैगन नमक भेजने की अनुमति देने का भी निश्चय किया है । नेपाल तथा भूटान को छोड़कर सभी देशों में नमक निर्यात करने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया गया था ताकि देश में उपलब्धि बढ़ जाये ।

पश्चिम बंगाल में सीमट की कमी

1391. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सीमट की भारी कमी है ;

(ख) जनवरी, 1977 से अक्तूबर, 1977 तक सीमेंट का कितना नियतन किया गया और इसकी कितनी सप्लाई की गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के लिये सीमेंट का पुनर्निर्धारण करने और जनता की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इसकी मात्रा में वृद्धि करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल का सीमेन्ट का सामान्य तिमाही कोटा 2.27 लाख मी० टन है । इसमें से राज्य को 1977 की अवधि में तिमाही

आवटनों और भेजे गये सीमेंट का विवरण निम्न प्रकार है :—

अवधि	आवंटन (मी० टनों में)	पूर्ति
जनवरी से मार्च 77	3,66,000	3,14,756
अप्रैल से जून 77	2,46,000	2,52,335
जुलाई से सितम्बर 77 . . .	2,65,000	2,58,229

राज्य सरकार ने सीमेन्ट की अपनी तिमाही आवश्यकता 3.5 लाख मी० टन बतायी है। किन्तु देश भर में सीमेन्ट की मांग में एकाएक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप सीमेन्ट उपलब्ध न होने के कारण यह मांग पूरी कर सकना सम्भव नहीं हुआ है। इसी कारण पश्चिम बंगाल सहित कई भागों से सीमेन्ट की कमी होने के समाचार मिले हैं। सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने पर राज्य को किए जाने वाले आवंटन में भी धीरे-धीरे सुधार हो जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रिमोट सेंसिंग एजेंसी का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और विवरण आदि

और

कम्पनी अधीनियम के अधीन पत्र

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन तथा लेखे से सरकार की सहमति सम्बन्धी ब्यौरा देने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी०—1147/77)

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महलेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन तथा लेखे से सरकार की सहमति सम्बन्धी ब्यौरा देने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—1148/77)

(दो) (क) इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इण्डियन रेअर अर्फस् लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०–1149/77]

(तीन) (क) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1976–77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
[ग्रन्थालय में रखा गया **दखिए** संख्या एल० टी० 1250/77]

सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदन और विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

(तीन) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०–1151/77] ।

(3) दिल्ली परिवहन निगम के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी संस्करण)* ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०–1152/77] ।

*विवरण का अंग्रेजी संस्करण 16 नवम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में राज्य भंत्री (कुमारी आभा मैती) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० अ० 673 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०–1153/77]।

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :

मैं मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बधित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अर्न्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) दूसरा संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सी० नि० 698 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1154/77]।

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अधीन अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) :

मैं अखिल भारतीय सवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 3480 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०–1155/77]।

सभापति तालिका

PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं—कि मैं निम्नलिखित सदस्यों को, कुमारी आभा मैती और श्री एस डी० पाटिल के स्थान पर, जिन्हें मंत्री नियुक्त किया गया है, सभापति तालिका में नाम-निर्दिष्ट करता हूं :—

(1) डा० सुशीला नायर

(2) श्री एन० के० शेजवलकर

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर के अध्याय 4 में सम्मिलित अन्य प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का छटा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

7वां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

श्री निर्मल चन्द्र जैन: मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION COMMITTEE

प्राक्कलन समिति

श्री सत्येन्द्र नाराण सिन्हा : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं ।

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री समरगुह के स्थान पर, जिन्होंने प्राक्कलन समिति से त्याग पत्र दे दिया, तथा श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी और सर्वश्री एस० कुन्डू, जनेश्वर मिश्र, फजलुर रहमान और शेर सिंह के स्थान पर, जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति की शेष कालावधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से छः सदस्य निर्वाचित करे ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री समरगुह के स्थान पर, जिन्होंने प्राक्कलन समिति से त्याग पत्र दे दिया, तथा श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी और सर्वश्री एस० कुन्डू, जनेश्वर मिश्र, फजलुर रहमान और शेर सिंह के स्थान पर, जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर श्री समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति की शेष कालावधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से छः सदस्य निर्वाचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक

INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (ACQUISITION OF SHARES) AMENDMENT BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री बीजू पटनायक : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (ACQUISITION OF SHARES) (AMENDMENT) ORDINANCE

श्री बीजू पटनायक : मैं इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन' अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाय जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

जम्मू और काश्मीर में जन सुरक्षा अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के बारे में

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : नवम्बर के प्रथम सप्ताह में जम्मू और काश्मीर राज्य में जन सुरक्षा अध्यादेश की उद्घोषणा और कुछ नहीं अपितु राज्य में पुन: एक बार आपात स्थिति लागू करना है। इस अध्यादेश से जनता की नागरिक स्वतन्त्रता और मौलिक अधिकार ही समाप्त नहीं होंगे बल्कि प्रेस की स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जायेगी।

जम्मू काश्मीर सरकार का यह तर्क उचित नहीं है कि ऐसा पाकिस्तानी तत्वों से निपटने के लिये किया गया है। इस अध्यादेश को जारी करने की तारीख को या उससे पहले सरकार ने कहीं भी यह बात प्रकट नहीं की कि जम्मू काश्मीर राज्य में घुसपैठ हुई है।

राज्य सरकार की गलत नीतियों जैसे कि गजेन्द्रगढ़कर आयोग की सिफारिशों, जिनके द्वारा जम्मू और लद्दाख के लोगों को कुछ राहत देने का प्रावधान है, की उपेक्षा करना, कम आय वाले कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते की मांग को स्वीकार न करना, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने में असफलता, क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर न करना आदि कई बातों से वहां की जनता में रोष है और इस रोष को दबाने के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया है।

जनता सरकार द्वारा लोक सभा में दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में कभी भी आपात स्थिति लागू नहीं की जायेगी, यह अध्यादेश भारत सरकार को चुनौती देता है। इस अध्यादेश में जम्मू कश्मीर राज्य के 50 लाख लोगों के जीवन का प्रश्न है और यह लोक महत्व का मामला है। केन्द्रीय सरकार को तत्काल इस मामले म हस्तक्षेप करना चाहिये ।

पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पेरूलिया जिले में एन के फैलाइटस (मस्तिष्क ज्वर) रोग के फैलने के बारे में समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री बलदेव सिंह ने नियम 377 के अधीन यह मामला उठाया है। मुझे अन्य कई सदस्यों से भी इस बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। अतः मैं इस विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देता हूं। जिन सदस्यों के नाम आये हैं उनके नामों का बैलट किया जायेगा और यह अगले सप्ताह कभी भी आ सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

15 नवम्बर, 1977 के अमृत बाजार पत्रिका तथा जुगान्तर में पश्चिम बंगाल के वांकुरा तथा पुरुलिया जिले में एन के फैलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) रोग महामारी के रूप में फैलने तथा 50 व्यक्तियों की जान लेने का समाचार छपा है। साथ ही इस बीमारी से 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। संक्रामक रोग के राष्ट्रीय संस्थान के एक प्रवचन के अनुसार यह बीमारी महामारी का रूप धारण कर रही है और जब तक सरकार उपचारात्मक उपाय नहीं करेगी, यह बीमारी साथ लगे अन्य क्षेत्रों में भी फैल जायेगी और भयंकर रूप धारण कर लेगी। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री को यह बीमारी रोकने में राज्य सरकार की सहायता हेतु एक केन्द्रीय दल वहां भेजना चाहिए। और उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये हैं उसके बारे में सभा में एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह निर्णय करना तो आपका काम है कि किस मामले पर चर्चा होनी चाहिये किन्तु राष्ट्रपति सादत की इजरायल यात्रा का मामला एक महत्व ही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। मैंने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे रखी है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने केरल में आये तूफान तथा बाढ़ों के बारे में मामला उठाने के लिए आपसे निवेदन किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। वहां तूफान तथा बाढ़ से जन-धन की बहुत हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आज पहले ही एक प्रस्ताव पेश किया गया है। कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक हो रही है। मैं समझता हूं कि कल लगभग 12 बजे से तीन बजे तक इस मामले पर चर्चा की जाये। कल हम मध्यान्ह भोजन के लिए भी नहीं उठेंगे।

श्रीमती पार्वत्ती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : वहां जन-धन तथा फसलों की अत्यधिक तबाही हुई है.. (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स जून से बन्द है और अब वहां के प्रबन्धकों ने उसे हमेशा के लिए बन्द करने का नोटिस दे दिया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1700 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। गुजरात सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि यह केन्द्रीय सरकार का काम है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में नोटिस दीजिए।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (चिक्बल्लापुर) : तूफान का मामला एक बहुत ही गंभीर मामला है और आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा कल होगी। यदि राहत कार्य दो या तीन दिनों बाद आरम्भ कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : नहीं। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता ने कल कहा है..... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैंने नियम 377 के अधीन नोटिस दिया है। मेरा नोटिस मसजिद गिराने के बारे में है ..... (**व्यवधान**)

सराय गोपाल फ्लैग स्टेशन के लेवल क्रासिंग तथा नैनी स्टेशन पर हुई गम्भीर दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : SERIOUS TRAIN ACCIDENTS AT SARAI GOPAL FLAG STATION CROSSING AND NAINI STATION

श्रीमती पार्वत्ती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि यह सभा उत्तर रेलवे में दो गंभीर रेल दुर्घटनाओं नामत: 28 अगस्त, 1977 की सराय गोपाल फ्लैग स्टेशन के लैवल क्रासिंग पर हुई दुर्घटना तथा 10 अक्तूबर, 1977 को नैनी स्टेशन पर 103 अप हावड़ा–अमृतसर डीलक्स एक्सप्रैस और अप सीपीसी स्पेशल मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के बारे में रेल मंत्री द्वारा 14 नवम्बर, 1977 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर विचार करती है।"

रेल मंत्री के वक्तव्य में कुछ बैचेनी करने वाली बातें हैं। पृष्ठ 4 में कहा गया कि इस दुर्घटना की जांच रेल सुरक्षा, लखनऊ के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा भी की गई है और उन्होंने इस दुर्घटना को रेलवे स्टाफ के वर्ग में रखा है। इस प्रकार स्टाफ की निन्दा की गई है। अन्य स्थान पर रेल मंत्री ने कहा इस दुर्घटना के पश्चात मैंने मुख्य सुरक्षा अधीक्षक तथा जोनल रेलवे के मुख्य संचालन अधीक्षकों की दुर्घटना की जांच तथा दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए गाड़ियों के संचालन में इस समय काम में लाए जा रहे सुरक्षा उपायों पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई है। "दुर्घटनाओं को कम करने"

शब्दों पर मुझे आश्चर्य होता है। उन्होंने केवल इसी दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दिया है जबकि अन्य दुर्घटनाओं से सम्बन्धित बातें नहीं बताई हैं। मंत्री जी दुर्घटनाओं को कम करना चाहते हैं जबकि हम यह चाहते हैं कि भविष्य में रेल गाड़ियों की सुरक्षा के बारे में सभा को आश्वासन दिया जाये। यह एक अजीब सी बात है · · · (**व्यवधान**) हम चाहते हैं कि दुर्घटनायें बिल्कुल न हों। मंत्री जी को भारतीय रेलवे में सुधार करना चाहिए।

जहां तक रेल दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, इनका एक कारण यह है कि कर्मचारियों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार नहीं किया जा रहा है। भूतपूर्व सरकार ने भी औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया और वर्तमान सरकार के शासन में भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है।

लेवल क्रासिंग पर नियुक्त द्वारपालों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने घर से लेवल क्रासिंग तक तथा वहां से अपने घर तक मीलों पैदल चलना पड़ता है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जब वे लेवल क्रासिंग पर काम कर रहे हों तो वे अपना कार्य पूरी सतर्कता तथा ध्यान से कर सकें।

सरकार ने 24 अक्तूबर, 1977 को राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान चलाया था। इस सुरक्षा अभियान की मुख्य बातें क्या हैं? क्या सरकार हवाई अड्डों की तरह यहां भी बीमा योजना लागू करना चाहती हैं। उन दुर्घटनाओं का क्या हुआ है, जिनके बारे में समाचार पत्रों में खबरें नहीं छपतीं। जो दुर्घटनाएं टली हैं क्या उनके बारे में मंत्री जी सभा को अपने विश्वास में नहीं ले सकते?

सरकार के जो सुरक्षा उपाय तथा सुरक्षा नियम हैं, उनमें त्रुटियां हैं। जब कभी कोई गाड़ी यंत्रों की खराबी के कारण कहीं रुक जाती हैं तो उसके कर्मी दल के पास सिवाय नजदीक के स्टेशनों से सम्पर्क करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। मंत्री जी को उन्हें कुछ इलेक्ट्रानिक उपकरण देने की बात पर विचार करना चाहिए ताकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेज सकें।

रनिंग स्टाफ के काम की मात्रा के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इस बारे में कर्मचारियों से बातचीत की जानी चाहिए। जिस ढंग से प्रतिनिधि संगठनों का चयन होता है, वह उचित नहीं है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

मंत्री जी को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि वर्षानुवर्ष कई बातों की अधिकाधिक उपेक्षा क्यों की जा रही है। आज रेलवे की जो दशा है क्या उसके लिए कुछ अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं। ये दुर्घटनाएं भगवान नहीं करता और न ही ये संयोग से होती हैं। इस तरह बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के कुछ कारण अवश्य हैं।

मंत्री जी ने जिस शीघ्रता से क्षतिपूर्ति की घोषणा की है, उसके लिए वे बधाई तथा निन्दा, दोनों के ही पात्र हैं। साथ ही उन्हें रेल दुर्घटनाओं के मामले पर नए ढंग से सोचना चाहिए और भविष्य में दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए उपाय करने चाहिएं। उन्हें रेल चलाने वाले कर्मचारियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि रेलों को चलाने में उनके सहयोग की परम आवश्यकता है। रेल दुर्घटनाओं को रोकने में ये ही लोग मदद कर सकते हैं। वह हमें यह भी आश्वासन दें कि वह रेलों को चलाने में सभी वर्गों के कर्मचारियों का सहयोग लेंगे।

रेलवे में श्रमिक वर्गों के सम्बन्धों में उत्पन्न हो रही एकता की भावना को आगे बढ़ाने के विचार से मैंने मंत्री जी को पहले ही सुझाव दिया था कि वह एन०सी०सी०आर०एफ० तथा एन०एफ०आई०आर० की संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायें ताकि हम रेल कर्मचारियों को अधिकाधिक एकता रखने के लिए कह सकें और साथ ही साथ मंत्री जी के साथ रेलवे से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए उन्हें अवसर दे सकें। इन मामलों में रेल दुर्घटना को रोकने का मामला सर्वाधिक महत्व का है।

SHRI YUVRAJ (Katihar) : I want to move the substitute motion.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : 1962 में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। उस समिति के अध्यक्ष पंडित कुंगरू थे और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उस समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उन्हें पूरी तरह न तो स्वीकार ही किया गया और न ही उन्हें कार्यान्वित किया गया। यदि उनमें से कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता और अब तक भी कुछ एक पर अमल हो जाता तो हम बहुत सी रेल दुर्घटनाओं से बच जाते।

जब भी कोई दुर्घटना होती है तो तत्सम्बन्धी मामले को रेलवे सुरक्षा आयुक्त के पास भेज दिया जाता है। और हर बार होता यह है कि आयुक्त अभी कोई जांच कर ही रहा होता है कि कोई मंत्री अथवा उनका कोई सहयोगी मानवीय तत्वों को दोष देता हुआ अपना वक्तव्य दे जाता है। फिर यह कहना शुरू हो जाता है कि एक डिवीजन के स्टाफ को दूसरे डिवीजन में तबदील कर दिया जाना चाहिए क्योंकि दुर्घटनाओं से बचने का यही एक तरीका है। इस तरह इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। मामला इतना सरल नहीं बल्कि गंभीर है।

इलाहाबाद के निकट होने वाली दुर्घटना का जहां तक प्रश्न है, उसका सविस्तार विवरण अभी तक मंत्री महोदय को प्राप्त नहीं हुआ है। गाड़ी जिस क्षेत्र में चलती है वहां "सिगनलिंग" की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः हुआ क्या कि अगली गाड़ी जा रही थी और लाइनमैन ने सोचा कि जो पहली गाड़ी खड़ी थी, वह फाटक पार कर गई होगी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ और दुर्घटना हो गई। अतः मंत्री महोदय को इस मामले की विशेष रूप से छानबीन करनी चाहिए।

रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। चौकीदारों वाले रेल फाटकों पर भी दुर्घटनाएं हुई हैं। बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं होने का तो बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन यदि चौकीदार वाले रेल फाटकों पर कर्मचारी के होते हुए दुर्घटना हो जाये तो इसका कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। 50,000 से भी अधिक सभी रेल फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करना तो सम्भव नहीं है किन्तु बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें चौकीदार वाले रेलवे फाटकों में परिवर्तित करना चाहिए क्योंकि अब यातायात का स्वरूप ही बदल गया है।

रोलिंग स्टाफ अथवा रेल पटरी के खराब होने से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में रेल पटरियां बहुत पुरानी हो गई हैं। यदि कोई रेल पटरी ठीक स्थिति में नहीं है तो फिर आधुनिक साज सज्जा वाले आधुनिक बोगियों या डिब्बों को लगाने का कोई लाभ नहीं है। अब आवश्यकता इस बात की है कि रेल पटरियों और रोलिंग स्टाफ दोनों को आधुनिक बनाया जाये।

गत दो या तीन महीनों के दौरान कई दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन एक या दो दुर्घटनाओं का समाचार दिया गया है। और अधिकांश दुर्घटनाओं को बताया ही नहीं गया है। मंत्री महोदय को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दुर्घटनाओं की संसद को सूचना दी जाये क्योंकि हमें स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिये।

हाल ही में मुझे किसी एक संस्था से कुछ पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें बताया गया है कि वह कुछ गड़बड़ी करने पर उतारू हैं। इसलिए जब रेलवे के यातायात में वृद्धि हो रही है तो हमें सावधान हो जाना चाहिये कि रेलवे में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ आरम्भ करेंगे। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अब रेलवे के पास काफी धन हो गया है और दुर्घटनाओं के लिए रेलवे द्वारा उपकर लिया जा रहा है। यदि मंत्री महोदय दुर्घटनाएं रोकने में सफल हो जायें तो वह काफी धन बचा सकते हैं जिससे यात्रियों की सुविधाओं तथा दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों की ओर अधिक सुविधाएं देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

इस समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे की राशी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय ऐसा कर सकते हैं।

यह भी आवश्यक है कि मंत्री महोदय जो धन उपकर के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उसे दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हम रेल पटरियों के साथ बाड़ लगा सकते हैं। उपरिपुल तथा अन्य पुल भी बनाए जा सकते हैं ताकि दुर्घटनाएं कम हो सकें

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : The main cause of railway accidents has been the carelessness and negligence of railway workers and officials. There have been complaints about the defective signalling machinery used in the railways, that was purchased only from certain particular firms which have a monopoly in their manufacture. This matter should be enquired into.

The Traffic rules laid down by the Railway Board are not being observed. The working hours of railway workers are on the high side and the facilities given to them are inadequate. During the emergency the previous Government had made large scale appointments of untrained and incompetent persons on the basis of bribe and nepotism. It is also one of the factors that contribute to accidents. This matter should be looked into.

A feeiing should be created among the railway workers and officials that stringent action can be taken against them if they do not perform their duties honestly. The railway administration must be reorganised.

A special Cell should be set up to ascertain the reasons for not implementing the recommendations made by the various Committees which have enquired into railway accidents so far and also to fix responsibility for not implementing them. Their findings should be placed before the house.

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुए।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the Clock.

(अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए)

(Mr. Speaker in the Chair).

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

श्री प्रकाशवीर शास्त्री का निधन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को राज्य सभा के वर्तमान सदस्य, श्री प्रकाश वीर शास्त्री के आज प्रातः रिवाड़ी के नजदीक हुई रेल दुर्घटना में हुई मृत्यु के बारे सूचित करना है।

श्री शास्त्री वर्ष 1958–70 के दौरान दूसरी, तीसरी तथा चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। इसके पश्चात् वह राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए।

हिन्दी और संस्कृत के प्रकांड पंडित श्री शास्त्री बहुत अच्छे वक्ता थे और उन्होंने सदन के वाद-विवाद में बहुत अधिक योगदान दिया। उनके विचारों को सदन के सभी सदस्य बड़े आदर से सुनते थे। वह एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे और उन्होंने आर्य समाज के आन्दोलन में भाग लिया था तथा पददलित और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह बहुत अच्छे और प्रभावी लेखक थे तथा उन्होंने विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं।

तत्पश्चात् सदस्यगण उन के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कुछ देर बाद इस सभा में वक्तव्य देंगे।

SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI (Kanoug) : The Minister should give details of this rail incidents. If his statement is not found satisfactory, the House will compel him to resign

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : उन्होंने जो वक्तव्य राज्य सभा में दिया है उसी को वह यहां भी दोहरा देंगे। यदि यहां वक्तव्य देने के पश्चात उन्हें कुछ और नई जानकारी मिले तो उन्हें सम्पूरक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : 12.30 बजे उन्हें इस दुर्घटना के बारे में पता चला है। और उसके बाद कुछ और जानकारी प्राप्त हुई है। मैं उन्हें सम्पूरक वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

सराय गोपाल फ्लैग स्टेशन के लेवल क्रासिंग तथा नैनी स्टेशन पर हुई गम्भीर दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव —जारी

MOTION RE : SERIOUS TRAIN ACCIDENTS AT SARAI GOPAL FLAG STATION AND NAINI STATION—*Contd.*

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : The Hon. Minister should enquire into this rail accident in which Shri Prakash Vir Shastri was killed. I doubt this accident took place due to sabotage. Such activities of sabotage are increasing day by day. Government should deeply think over this problem and the Railway Ministry should take effective steps to check such accidents in future. There are some elements in the country which are engaged in sabotage and other anti-national activities.

Proper maintenance of railway track and modern equipments that are used by railway should be given more importance. There must be adequate training of staff and enforcement of safety measures as suggested by the Directorate of Rail Safety. A programme should be devised to involve the people living adjacent to railway track, for introducing those safety measure. There should be proper maintenance of railway bridges also.

23-11-1977 को अहमदाबाद–दिल्ली मेल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DERAILMENT OF AHMEDABAD-DELHI MAIL TRAIN ON 23-11-77

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) : मुझे सदन को सूचित करते हुए खेद है कि आज प्रातः लगभग 05-25 बजे जब अहमदाबाद दिल्ली मेल गाड़ी पश्चिम रेलवे के जयपुर बांदीकुई-रेवाड़ी मीटर लाइन खंड पर अजेरका और बावल स्टेशनों के बीच चल रही थी तो कि० मी० 16/4-6 पर गाड़ी इंजन और 10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये और उलट गये।

अब तक मिली सूचना के अनुसार 15 आदमी मारे गये और 17 गम्भीर रूप से घायल हुए बतलाये जाते हैं।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख है कि मृतकों में राज्य सभा के माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री भी हैं।

मेरे साथ यह सदन भी श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी और दुर्घटना के शिकार अन्य व्यक्तियों के दुखी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करेगा।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे राज्य मंत्री, सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड और महाप्रबन्धक उत्तर रेलवे तुरन्त दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये हैं।

रेवाड़ी और बांदीकुई से चिकित्सा सहायता यानों के साथ दुर्घटना सहायता गाड़ियां दुर्घटना स्थल को तत्काल रवाना कर दी गयी हैं। पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के अधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक और 6 डाक्टर भी दिल्ली से दुर्घटना स्थल के लिए तुरन्त रवाना हो गये हैं। सभी घायल व्यक्तियों को रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया गया है।

मृतकों के नज़दीकी सम्बन्धियों को और घायल यात्रियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

निःसहाय यात्रियों को लाने के लिए एक सहायता गाड़ी रेवाड़ी से दुर्घटना स्थल को भेज दी गयी है और यह गाड़ी दिल्ली को रवाना हो चुकी है।

पटरी का एक जोड़ खुला हुआ पाया गया—फिश प्लेट और बोल्ट मौके पर ही पड़े पाये गये। समूचे इलाके की घेराबन्दी कर दी गयी है और खोज-पड़ताल में सहायता के लिए दिल्ली से एक कुत्ता दल भेज दिया गया है। यह दुर्घटना तोड़-फोड़ की कारवाई मालूम होती है। इस वर्ष नवम्बर में गाड़ियों के संचलन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में यह तीसरी गम्भीर दुर्घटना है जिसमें तोड़-फोड़ का सन्देह पाया जाता है। इन दुर्घटनाओं की ओर गृह मंत्रालय और सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जा चुका है।

निधन सम्बन्धी उल्लेख––जारी
OBITUARY REFERENCE—*Contd.*

श्री प्रकाश वीर शास्त्री का निधन––जारी
TRIBUTES TO SHRI PRAKASH VIR SHASTRI

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-South) : Shri Prakash Vir Shastri was a personal friend of mine since childhood. He was an eloquent speaker and a learned man. He had devoted his whole life to social and religious work. His death is a great loss to Arya Samaj and in fact to the entire country.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Shri Prakash Vir Shastri was well-known in the whole country. He had great love for the people of Andhra Pradesh. His death will be deeply mourned by the people in Andhra.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Almora) : I was associated with Shri Prakash Vir Shastri since childhood. He was a man of learning. He deserved praise for his service to the nation, service to the society and contribution to the cause of agriculture.

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South Delhi) : Shri Prakash Vir Shastri was a resident of Delhi for last several years. He was an eloquent speaker and a great writer.

He participated in almost every cultural and social functions. His death is a great loss to the nation.

श्री शशंकाशेखर सान्याल (जंगीपुर) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री कुछ समय से राज्य सभा में मेरे सहयोगी रहे थे। उनकी मृत्यु से मुझे बहुत आघात पहुचा है और मैं बहुत शोक सम्पन्न हूं।

SHRI R. N. RAKESH (Chail) The tragic and untimely death of Shri Prakash Vir Shastri is an irreparable loss to the nation. In him we have lost a great social worker a partiot and a man of letters.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं अपने दल की ओर से श्री प्रकाशवीर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

गत 5 वर्ष से मुझे उनका सहयोगी होने का अवसर मिला है। उनके सुसंस्कृत व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हुई। संसद्विद होने के नाते उन्होंने प्रत्येक कार्य को विशिष्ट रूप से सम्पन्न किया हम उन्हें भली प्रकार की श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जबकि हम उनके सौभ्य व्यवहार का पालन करें।

SHRI KAILASH PRAKASH (Meerut) : I had been very close to Shri Prakashvir Shastri. He used to come to Meerut and received maximum honour. He was a scholar and a good orator. I pay my heartfelt tributes to him.

डा० सुब्रामण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं इस दुखमयी दुर्घटना के प्रति शोक प्रकट करता हूं। मैं सुझाव दूंगा कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के उपलक्ष में इस सभा को स्थगित किया जाये।

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH (Varanasi) : Shri Prakash Vir Shastri was not only leader of this country but he also contributed a lot towards Arya Samaj. I ofler him my heartiest tributes. I would also suggest that this house should be adjourned.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : I pay my tributes to Shri Prakash Vir Shastri an eloquent of the people of Madhya Pradesh. He often visited Madhya Pradesh in connection with the activities of Arya Samaj. Shri Shastri's death was a great loss.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं प्रसिद्ध संसदविद श्री प्रकाशवीर शास्त्री को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करता हूं। यह संसद या संसदीय जीवन के लिए ही नहीं वरन अनेकों सांस्कृतिक संस्थाओं विशेषकर आर्य समाज के लिए एक भयंकर क्षति है।

श्री बशीर अहमद (फतेहपुर) : बड़े ही दुख की बात है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री जैसे व्यक्ति की असमायिक मृत्यु एक रेलवे दुर्घटना में हुई है। उनकी मृत्यु से राष्ट्र ने एक महान नेता को खो दिया है। अध्यक्ष महोदय दिवंगत आत्मा की स्मृति में सदन को स्थगित करें।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने में अन्य सदस्यों के साथ हूं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री एक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे वरन संस्कृत के महान विद्वान भी थे, मेरा उनसे निकट का सम्पर्क रहा है।

मैं सदन के शेष समय के लिए स्थागित किए जाने के सुझाव का समर्थन करता हूं।

SHRI L. L. KAPOOR (Purnea) : The sudden death of Shri Shastri has come as a great shock. He was member of the Fourth Lok Sabha. I know him very closely. He was fearless speaker and a literary figure. In his death the country has lost a great scholar.

SHRI RAGHAVJI (Vidisha) : The death of Shri Prakash Vir Shastri has come as a great shock to the whole nation. He was not only a politician but also a religious and social leader. He was also a good orator. I pay my tributes to him.

SHRI RAGHUBIR SINGH MACHHAND (Bhind) : The whole nation and this House is distressed at the death of Shri Shastri. We pay our condolences and tributes to him.

SHRI KACHARU LAL HEMRAJ JAIN (Balaghat) : Death of Shastriji is a great shock. He was doing a great social service through an Institution which he was running very efficiently for the children of those defence personnel who had died. The greatest tributes to his memory will be to pay special attentions the institutions which he was running.

SHRI MATI P. CHAVAN (Karod) : We knew Shri Shastri very well. He was not only a good orator but also an ideal parliamentarian. He had respect for women and did a lot for their uplift. I offer my heartiest tributes to him.

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री भारतीय संस्कृति के एक सुन्दरतम फूल थे और वे सभी क्षेत्रों में, चाहे वह समाज-सुधार हो, संसद अथवा राजनीति हों अद्वितीय थे। ऐसे महान व्यक्ति की असामाजिक मत्यु से हुई हानि के पूरा करने में बड़ा समय लगेगा।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : श्री शास्त्री के दुखद् निधन पर व्यक्त शोक में मैं भी सदन के साथ हूं। शास्त्री जी बहुत ही सीधे सादे आदमी थे। वे हमारे देश के रत्न थे मत्यु के बेरहेम हाथों ने उन्हें हमसे उस समय छीन लिया जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI (Rewa) : Sudden death of Shri Shastri has shocked the entire country. He was not only a politician but had also done great service to the country through his social work and literary writings.

***श्री आर० मोहन रंगम** (चेंगलपट्टु) : यह बहुत ही हृदयविदारक घटना है कि घर की रेल दुर्घटना ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी से महान नेता की जान ले ली। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तथा पददलितों की सेवा के प्रति महान् योगदान दिया है। संसद और राजनीति में उनकी सेवाएं सराहनीय हैं। इस दुर्घटना में हुई अन्य लोगों की मृत्यु से बहुत परिवारों के रोटी कमाने वाले लोग मारे गए होंगे। सरकार दुर्घटना के शिकार लोगों को उदारता से वित्तीय सहायता दे।

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रजी अनुवाद का संक्षिप्त सिन्दी रूपांतर**

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : सरकार की ओर से मैं भी अध्यक्ष और सदन के अन्य सदस्यों के साथ दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री शास्त्री अनेक वर्षों तक इस सदन के प्रशंसनीय सदस्य रहे हैं। हम में से बहुत को उनकी ओजस्वी और समधुर वाणी सुनने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने इस सदन और दूसरे सदन की सेवा सभा में ही नहीं वरन लोक लेखा समिति समेत अनेक समितियों में भी की। श्री शास्त्री राज्य सभा के सदस्य थे। वे एक अद्वितीय और महान संसदविद थे जिनकी याद हम सबको प्रिय है। जिन विशिष्ट और दुखद परिस्थितियों में उनकी असामाजिक मृत्यु हुई है जैसा कि सदस्यों ने सुझाव दिया है, सदन उनकी स्मृति में स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से पहल मैं भी शास्त्री जी के सम्बन्ध में अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्ति किए गए विचारों से अपनी सहमति प्रकट करता हूं। वे बड़े ही प्रतिभाशाली शिक्षाविद और योग्य सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमें खेद है कि राष्ट्र उनकी सेवाओं से वंचित रहेगा। हमें चाहिये कि हम सब उसी प्रकार आचरण करें जैसा कि उन्होंने लोक सभा और राज्य सभा में किया।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 24 नवम्बर, 1977/3 अग्रहायण, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, November 24, 1977/ Agrahayana 3, 1899 (Saka).

913LSS/77—200—9-2-78—GIPF.